

तम्बाकू बोर्ड



वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17



E-AUCTION PROCESS FOR SALE OF FCV TOBACCO



TOBACCO BOARD INDIA

(Ministry of Commerce & Industry)

Department of Commerce, Government of India

An ISO 9001:2008 Certified Organisation

Explore the enticing array of Indian Tobaccos and products

Experience the true blend of aroma, flavour and taste of Indian tobaccos from a wide range of Flue Cured Virginia, Burley HDBRG, Dark Air / Sun Cured, Oriental, Rustica, Bidi, Chewing tobaccos, Dark Fire Cured and more...



India is the second largest producer of quality tobaccos. Its tobaccos are preferred in blends of over 114 countries across the globe.

State-of-the-art processing plants to meet exacting international processing specifications. Quality assurance of end product at most competitive prices.

Offers wide range of products -cigarettes, bidis, hookah tobacco paste, chewing tobacco, snuff etc., to immensely satisfy its customers.

India - the right destination for quality tobaccos



An ISO Certified Organisation

TOBACCO BOARD

Government of India, Ministry of Commerce & Industry,

Department of Commerce

P.B. No. 322, G.T. Road

Guntur - 522 004, Andhra Pradesh, India.

Ph : 91 863 2358399, Fax : 91 863 2354232

E-mail : info@indiantobacco.com, Website : www.indiantobacco.com

विषयसूची

बोर्ड संघटन	5
वरिष्ठ प्रबंध	6
2016-17 के दौरान तम्बाकू बोर्ड की क्रियाकलाप - एक समीक्षा	8
2017-18 के दौरान बैठकें	9-10
दि. 31/03/2017 तक मंजूर और मौजूदा संख्या दर्शनेवाली विवरण	11-12
तम्बाकू बोर्ड के संगठनात्मक चार्ट	12
फसल योजना और विनियमन	
I. भारत में एफसीवी तम्बाकू के उत्पादन में प्रवृत्ति	13
II. 2016-17 केलिए एफसीवी तम्बाकू उत्पादन नीति	13
III. 2016-17 केलिए उत्पादन नीति - विशिष्टिताएँ	13-14
IV. 2016-17 केलिए पंजीकरण मापदण्ड - विशिष्टिताएँ	14
V. 2016-17 केलिए मिट्टी क्षेत्र वार पंजीकृत क्षेत्र तथा प्राधिकृत उत्पादन कोटा	15
VI. उत्पादन नियंत्रण अभियान	16
VII. 2016-17 के दौरान पंजीकृत ग्रोयरों का विवरण	16
VIII. 2016-17 कर्नाटका फसल पर रिपोर्ट	17-21
IX. 2016-17 आन्ध्र प्रदेश फसल पर रिपोर्ट	21-27
X. 2016-17 के दौरान आधिक्य / अप्राधिकृत तम्बाकू विक्रय	27
XI. आन्ध्र प्रदेश में वर्षा की कमी	27-30
XII. एफसीवी तम्बाकू के लिए राजस्व बीमा योजना	30
XIII. तम्बाकू के लिए वैकल्पिक फसलों का प्रचार	31-32
XIV. 2016-17 आन्ध्र प्रदेश फसल मौसम के लिए व्यूनतम गांरटी मूल्य को वर्क आउट करने गठित समिति	32
2016-17 आन्ध्र प्रदेश फसल मौसम के लिए नीलाम प्लैटफार्म वार रजिस्ट्रेशन व प्लानटेशन विवरण	33-34
2016-17 कर्नाटका फसल मौसम के लिए नीलाम प्लैटफार्म वार रजिस्ट्रेशन व प्लानटेशन विवरण	35
तम्बाकू उपज तथा गुणवत्ता की वृद्धि करने विस्तार और परामर्श सेवाएं	
I. तम्बाकू उपज तथा गुणवत्ता की वृद्धि	36-37
II. संघटित पोषकतत्व प्रबंध (आईएनएम)	38-39
III. फार्म मशीनीकरण	39
IV. संघटित पेरस्ट प्रबंध	40

V.	टॉपिंग और डी-सक्करिंग	41
VI.	ऊर्जा संरक्षण उपाय	41-43
VII.	एनटीआरएम का निष्कासन	43
VIII.	बल्किंग शेड	44
IX.	कृषि-रासायनिक अवशेषों की नियंत्रण और निगरानी	44
X.	इनपुट ऋण	44
XI.	अन्य विस्तार कार्यक्रम - प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण	45-50
XII.	ऑन-फार्म परीक्षण & प्रयोगात्मक प्रयास	50
XIII.	नमूना परियोजना क्षेत्र	51
XIV.	ओरबान्खे नियंत्रण पर कार्रवाई योजना	52-53
XV.	2016-17 में व्यय	53
XVI.	लक्ष्य और उपलब्धियाँ 2016-17 फसल मौसम लक्ष्य और उपलब्धियाँ - विस्तार & विकास योजनाएँ 2016-17 के दौरान विभिन्न विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत अजा/अजजा/महिला एवं अन्य ग्रोयरों का आच्छेदन	54-58 59-62
ग्रोयरों कल्याण पहलू (सूत्रपात)		
I.	ग्रोयर कल्याण योजनाएँ	63-64
II.	किसानों को उत्पादन से संबंधित सेवाएं	65
III.	अध्ययन परियोजनाएं	65-66
प्लैटफार्मों पर नीलामकार सेवाएँ		
I.	आन्ध्र प्रदेश में 2015-16 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ	67-73
II.	कर्नाटक में 2016-17 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ	73-76
III.	आन्ध्र प्रदेश में 2016-17 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ	76-79
IV.	कुल विपणित तम्बाकू परिमाण 01/04/2016 से 31/03/2017 अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में विपणित तम्बाकू का नीलाम प्लैटफार्म वार परिमाण दर्शनेवाली तालिका 2016 कर्नाटका नीलामियों में 31/03/2016 तक नीलाम प्लैटफार्म वार बिक्री विवरण	79 80-81 82
	2017 आन्ध्र प्रदेश नीलामियों में दि. 31/03/2017 तक नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित तम्बाकू का परिमाण, प्राप्त औसतम मूल्य, दर्ज किये उच्चतम और निम्नतम बोली	83-84
	01/04/2016 से 31/03/2017 तक अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों में क्रेतावार खरीदी	85-86

व्यापार संक्षेप

I.	मूल्य समर्थन प्रचालन	87
II.	प्रोसेसर/निर्माणकर्ता/वर्जीनिया तम्बाकू के बाणिज्यिक श्रेणीकरणकर्ता/तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पादों के निर्यातक/पैकर/तम्बाकू डीलर के रूप में पंजीकरण	87-88

तम्बाकू & तम्बाकू उत्पादों के विपणन एवं निर्यात

I.	भारत से तम्बाकू निर्यात	89-94
II.	निर्यात संवर्धन गतिविधियाँ	95

राजभाषा कार्यान्वयन

I.	राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए लिये उपाय	96
II.	हिन्दी शिक्षण योजना का कार्यक्रम	96
III.	हर दिन एक शब्द सीखिये हिन्दी योजना का कार्यक्रम	96
IV.	बोर्ड में राजभाषा कार्यान्वयन समिति	96
V.	हिन्दी सप्ताह	96
VI.	हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ तथा ग्रंथालय	97
VII.	कम्प्यूटरों पर हिन्दी	97
VIII.	हिन्दी कार्यशाला	97

वित्त एवं लेखा

I.	आंतरिक साधन	98
II.	उपकर	98
III.	बजट अनुमान	98
IV.	लेखा और लेखा-परीक्षण	99-102
V.	तम्बाकू निधि लेखा - 31/03/2017 तक वित्तीय विवरण तुलन-पत्र	103
VI.	31 मार्च, 2017 अंत तक वर्ष/अवधि के लिए आय व व्यय लेखा	104
VII.	अनुसूची - 24: 31मार्च, 2017 वर्ष अंत तक के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	105-108
VIII.	अनुसूची - 25: 31मार्च, 2017 वर्ष अंत तक के लिए लेखाओं पर आकस्मिक देयताएँ तथा नोट	109
IX.	तम्बाकू निधि लेखाओं पर नोट वित्त व लेखा विवरण	110-119
	2004-05 से 2016-17 तक गैर-योजना & योजना के अंतर्गत निधि प्रवाह (प्लो) स्थिति दर्शाने वाला विवरण	120-130
	संकेताक्षर	131
		132

बोर्ड संघटन

दि. 31/03/2017 तक

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बोर्ड, निम्नानुसार गठित किया गया था।

धारा 4 की उपधारा 4 (क) के अंतर्गत अध्यक्ष का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री मनोज कुमार द्विवेदी, भा.प्र.से., संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय & अध्यक्ष

धारा 4 की उपधारा 4 (छ) के अंतर्गत - पदेन सदस्य का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री मनोज कुमार द्विवेदी, भा.प्र.से., संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय & अध्यक्ष

दि. 29/03/2017 तक

श्री तुरुमल्ला वेंकटेश, भा.प्र.से., कार्यपालक निदेशक दि. 30/03/2017 से

धारा 4 की उपधारा 4 (ख) के अंतर्गत सदस्यों का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री लाल सिंह वडोदिया, माननीय संसद-सदस्य (राज्य सभा)

श्री जयदेव गल्ला, माननीय संसद-सदस्य (लोक सभा)

श्री गोकराजु गंगराजू, माननीय संसद-सदस्य (लोक सभा)

धारा 4 की उपधारा 4 (ज) के अंतर्गत सदस्यों का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

निदेशक (कृषि सम्बधित), भारत सरकार, कृषि मंत्रालय।

श्री एन. रमेश, निदेशक (वाणिज्य सम्बधित), भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग।

मिस. रूपा दत्ता, आर्थिक सलाहकार (वित्त सम्बधित), भारत सरकार, वाणिज्य

एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग।

श्री जयारिया खान यूसफजाय, निदेशक (औद्योगिक विकास सम्बधित), भारत सरकार,

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग विभाग।

डॉ. डी.दामोदर रेड्डी, निदेशक, केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजमहेन्द्रवरम

डॉ. बी. आर. षाह, कृषि निदेशक, गुजरात सरकार।

श्री के. श्रीनिवास, कृषि निदेशक, कर्नाटक सरकार।

श्री बुडिति राजशेखर, भा.प्र.से., प्रधान सचिव, खाद्य & कृषि विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार।

धारा 4 की उपधारा 4 (घ) के अंतर्गत सदस्यों का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री सुधीर कुमार गोयल, भा.प्र.से., सचिव (कृषि), महाराष्ट्र सरकार।

श्री मनोज अहूजा, भा.प्र.से., प्रधान सचिव (कृषि), ओडिशा सरकार।

धारा 4 की उपधारा 4 (ङ) के अंतर्गत सदस्यों का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री कृष्ण कुमार मिश्रा

श्री गड्ढमनुगु सत्यनारायण

श्री पी.वी. बसवराजप्पा

श्री सी. किरण कुमार

श्री बालिनेनी सीताय्या

धारा 4 की उपधारा 4 (च) के अंतर्गत - पदेन सदस्य का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री के.एस. श्रीनिवास, भा.प्र.से., कृषि विपणन सलाहकार-भारत सरकार।

वरिष्ठ प्रबंध

(दि. 31/03/2017 तक)

प्रबंध और वरिष्ठ कर्मचारीगण

अध्यक्ष

श्री मनोज कुमार द्विवेदी, भा.प्र.से.,

संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
& अध्यक्ष

कार्यपालक निदेशक

श्री टी. वेंकटेश., भा.प्र.से.,

दि. 30/03/2017 से

निदेशक (नीलाम)

श्री बिपिन बिहारी चौधुरी, आईओएफएस.,

सचिव (पू. अ प्र) और प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

श्री सी.एस.एस. पट्टनायक

प्रबंधक (विस्तार)

श्री बी.एन. मित्रा

प्रबंधक (नीलाम)

श्री के. रवि कुमार

प्रबंधक (उत्पादन)

श्री टी. श्रीनाथ

प्रबंधक (विपणन और निर्यात)

श्री आर. सुख्वाराव चौधरी

प्रादेशिक प्रबंधक (राजमहेन्द्रवरम)

श्री एम. श्रीराम मृति

प्रादेशिक प्रबंधक (दकामि, ओंगोल)

श्री जी. उमामहेश्वर राव

प्रादेशिक प्रबंधक (दहमि, ओंगोल)

श्री जी. रत्न सागर

प्रादेशिक प्रबंधक (मैसूर)

श्री ए.वी. शिवरुद्रव्या

प्रादेशिक प्रबंधक (पेरियापट्टना)

श्री एस.के. ताजुद्दीन

नीलाम अधीक्षक (उत्पादन)

श्री सीएच. वी.मारुती प्रसाद

ओ.एस.डी. (सतर्कता)

श्री पी. रमेश

सहायक प्रबंधक (यो व स)

श्री. सी. गोपीनाथ

कर्मचारी गण

अधिकारीगण : 99

कर्मचारीगण : 521

तम्बाकू बोर्ड

भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

पोर्ट बॉक्स नं. 322, जी.टी. रोड, गुण्डूर - 522 004 (आन्ध्र प्रदेश)

दूरभाष सं/फैक्स

0863-2358399/0863-2354232

ई-मेल & वेबसाइट :

info@indiantobacco.com/www.indiantobacco.com

कारपोरेट शासन



टी. वेंकटेश, भा.प्र.से.,
अध्यक्ष & कार्यपालक निदेशक



मनोज कुमार द्विवेदी, भा.प्र.से.,
संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय & अध्यक्ष



विपिन बिहारी चौधुरी, आईओएफएस,
निदेशक (नीलाम)



सी.एस.एस. पट्टनायक
सचिव (पू.आ.प्र.) और प्रबंधक (वि.व.ले)



बी.एन. मित्रा
प्रबंधक (विस्तार)



आर. सुव्वाराव चौधरी
प्रबंधक (विपणन & नियात)



के. रवि कुमार
प्रबंधक (नीलाम)




टी. श्रीनाथ
प्रबंधक (उत्पादन)



ए.गी. शिवरुद्राध्या
प्रादेशिक प्रबंधक, मैसूर



एसके. ताजुदीन
प्रादेशिक प्रबंधक
पेरियपट्टना



जी. उमामहेश्वर राव
प्रादेशिक प्रबंधक
दक्कामि ओंगोल



जी. रल्ल सागर
प्रादेशिक प्रबंधक
दहमि ओंगोल



एम.श्रीराम मूर्ती
प्रादेशिक प्रबंधक
राजमहेन्द्री

2016-17 के दौरान तम्बाकू बोर्ड की क्रियाकलाप

तम्बाकू बोर्ड की स्थापना, भारत सरकार के द्वारा, “तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975” के रूप में ज्ञात संसदीय अधिनियम के तहत, तम्बाकू उद्योग में सर्वतोमुखी विकास लाने के लिए, की गई थी। बोर्ड की प्राथमिक भूमिका - संसद के द्वारा की गई कामना - तम्बाकू किसानों को न्यायसंगत एवं लाभप्रद दामों तथा निर्यातों के विकास के साथ एक सक्रिय खेतीबारी पद्धति की सुविधा (सुचारू) प्रणाली का सुनिश्चयन है।

तम्बाकू, भारत में उगाने वाले मुख्य वाणिज्यक फसलों में एक हैं। यह प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 45.7 मिलियन लोगों को रोजगार देता है और उत्पाद शुल्क के रूप में ₹ 22,737.07 करोड़ तक तथा विदेशी मुद्रा के रूप में ₹ 5,975.08 करोड़ रूपये राष्ट्रीय राजकोष को योगदान देता है। विश्व में तम्बाकू उत्पादन में भारत का एक विशिष्ट स्थान है। भारत विश्व में तम्बाकू उत्पादन और तम्बाकू निर्यात में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। भारत एफसीवी तम्बाकू के विभिन्न प्रकारों का उत्पादन करता है, जो विभिन्न आगे जल-वायु स्थितियों के अंतर्गत उनके भौतिक एवं रसायनिक लक्षणों से भिन्न-भिन्न हैं। भारतीय तम्बाकू विश्व-व्याप्त 114 से अधिक देशों को निर्यात किया जाता है। भारत, निर्यातों के लिए उत्पादन का एक आकर्षक विविधकृत आधार प्रदान करते हुए तम्बाकू के विभिन्न प्रकारों, विशेषताओं एवं मूल्य श्रेणियों के लिए एक ओन-स्टॉप शॉप प्रदान करता है। एफसीवी तम्बाकू का पैदावार, पारंपरिक काली मिट्टी (टीबीएस), उत्तरी हल्की मिट्टी (एनएलएस), दक्षिणी हल्की मिट्टी (एसएलएस) और कर्नाटका हल्की मिट्टी (केएलएस) में किया जाता है। गुणवत्ता की विस्तृत श्रेणी तम्बाकू जैसे., अर्ध-गमकीय से लेकर गमकीय (एनएलएस & इएलएस) तथा गुणता व्यूद्धल फिल्हर (केएलएस & एसएलएस) और अच्छे फिल्हर (टीबीस) प्रकारों का उत्पादन हुआ। तम्बाकू बोर्ड ने 2016-17 फसल मौसम के दौरान, एफसीवी तम्बाकू कृषि केलिए फसल परिमाण को 2015-16 फसल मौसम के दौरान निर्धारित 220.00 मिलियन कि.ग्रा. से 225.00 मिलियन कि.ग्रा. तक बढ़ाया। इस केलिए लगभग 197.80 मिलियन कि.ग्रा. उत्पादन होने का अनुमान है। तम्बाकू बोर्ड ने, तम्बाकू उपज तथा गुणवत्ता को विकसित करने के लिए विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत ₹ 326.23 लाख की राशि व्यय की है। 2016-17 के दौरान, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के दोनों नीलाम प्लैटफार्मों में 210.91 मि.कि.ग्रा. का परिमाण, जो 2015-16 में ₹ 104.42 औसतम मूल्य में विपणित 288.69 मि.कि.ग्रा. परिमाण की तुलना में ₹ 124.39 औसतम मूल्य में विपणित किया गया। 2016-17 के दौरान, भारत से ₹ 5,975.08 करोड़ मूल्य के 2,31.800 मेट्रिक टन तम्बाकू उत्पादों का निर्यात हुआ है। निर्यातों का मूल्य डालरों के शब्दों में 891.91 मिलियन यूएस \$, जो वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर 4% घट गये।

ग्रोयरों को उत्तम सेवाएँ और तम्बाकू उद्योग का विकास से संबंधित क्रियाकलापों के सम्मान में मेसर्स डेट नारखे वेरिटास - जीएल ने अंप्रसं 9001:2008 प्रमाणपत्र से तम्बाकू बोर्ड को प्राधिकृत किया।

2016-17 के दौरान बैठकें

दि. 01/04/2016 से दि. 31/03/2017 तक)

क) सांविधिक बैठकें :

एक बोर्ड की बैठक और एक समिति की बैठक संपन्न हुई।



दि. 17/08/2016 को हैदराबाद में संपन्न बोर्ड की 142वीं बैठक में भाषण देते हुए¹
श्री मनोज कुमार छिवेदी, भा. प्र. से., माननीय संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और
अध्यक्ष & कार्यपालक निदेशक, तम्बाकू बोर्ड

बोर्ड बैठकें :

1. हैदराबाद में दिनांक 17 अगस्त, 2016 (बुधवार) को पूर्वाहन् 11.00 बजे बोर्ड की 142वीं बैठक संपन्न हुई।

ग्रोयरों तथा अन्यों के लिए पंजीकरण समिति :

1. ग्रोयरों तथा अन्यों के लिए पंजीकरण समिति की 83वीं बैठक दि. 15/09/2016 (गुरुवार) को अपराह्न 04.30
बजे उद्योग भवन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली में सम्पन्न हुई।

व्यापारियों तथा निर्माणकर्ताओं के लिए रजिस्ट्रेशन समिति :

2. व्यापारियों तथा निर्माणकर्ताओं की रजिस्ट्रेशन समिति की 41वीं बैठक दि. 13/10/2016 को परिचालन द्वारा
अनुमोदित किया गया।

ख) असांविधिक बैठकें :

1. दि. 12/04/2016 को 2015-16 आं.प्र.-एफसीवी तम्बाकू फसल की विक्री के लिए चालू नीलामियों पर

समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें माननीय कृषि मंत्री श्री पी. पुल्लाराव के साथ तम्बाकू बोर्ड अधिकारियों, भा.तं.स., निर्माणकर्ता तथा निर्यातकों भाग लिये थे।

2. 2015-16 आं.प्र.-एफ सी वी तम्बाकू फसल की विक्री केलिए चालू नीलामियों पर समीक्षा बैठक आन्ध्र प्रदेश के सभी नीलाम प्लैटफार्म में ग्रोयर प्रतिनिधियों के साथ दि. 22/04/2016 को संपन्न हुई।
3. 2015-16 आं.प्र.-एफ सी वी तम्बाकू फसल की विक्री केलिए चालू नीलामियों पर समीक्षा बैठक भा तं स और व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ दि. 22/04/2016 को संपन्न हुई।
4. ओंगोल - II और टंगुटूर - I & II नीलाम प्लैटफार्म में 2016 चालू नीलामियों पर समीक्षा बैठक, बोर्ड अधिकारियों तथा ग्रोयर संघों के साथ दि. 14/05/2016 को संपन्न हुई।
5. 2016 आं.प्र. - एफ सी वी तम्बाकू नीलामियों की विक्री के लिए चालू नीलामियों पर समीक्षा बैठक भा तं सं & एफ सी वी तम्बाकू के निर्यातकों साथ दि. 31/05/2016 को संपन्न हुई।
6. नीलाम निदेशालय का कार्यालय को बैंगलूरु से मैसूर को शिफ्टिंग करने से संबंधित राय जानकारी लेने और आन्ध्र प्रदेश नीलामियों के समापन संबंधित राय और 2016-17 कर्नाटका फसल के लिए नीलाम विक्रियों का प्रारंभ से संबंधित उनके राय पर चर्चा करने भा तं सं और व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन दि. 04/08/2016 को किया गया।
7. आगमी 2017 आन्ध्र प्रदेश एफ सी वी तम्बाकू नीलामियों से संबंधित विषयों पर भा तं सं और व्यापारी प्रतिनिधियों तथा ग्रोयर प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने दि. 08/03/2017 को एक पूर्वारंग बैठक आयोजन किया गया।




हैदराबाद में दि. 17/08/2016 को संपन्न 142वीं बोर्ड बैठक में ग्रोयर कल्याण निधि योजना पर ब्रोचर रीलीज करते हुए श्री मनोज कुमार द्विवेदी, भा.प्र.से., माननीय संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और उद्यक्ष & कार्यपालक निदेशक, तम्बाकू बोर्ड, श्री लाल सिंह वडोदिया, माननीय संसद सदस्य (राज्य सभा), श्री जयदेव गल्ला, माननीय संसद सदस्य (लोक सभा) आदि प्रमुख।

**31/03/2017 तक मंजूर और मौजूदा अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या
दर्शनेवाली तालिका**

क्रम संख्या	पद का नाम	कुल	
		मंजूर	मौजूदा
ग्रूप - ए - वरिष्ठ श्रेणी प्रबंध			
1	अध्यक्ष	1	0
2	कार्यपालक निदेशक	1	1
3	निदेशक (नीलाम)	1	1
4	सचिव	1	0
5	प्रबंधक / प्रादेशिक प्रबंधक	10	10
6	उप प्रबंधक (लेखा)	1	0
7	नीलाम अधीक्षक / व श्रे अ	55	55
8	सहायक प्रबंधक (लेखा) / सां.अ.	34	33
9	सिस्टम विश्लेषक	1	0
	उप कुल	105	100
ग्रूप - बी - मध्य श्रेणी प्रबंध			
10	प्रोग्रामर	1	1
11	हिंदी अधिकारी	1	1
12	नि.स., अध्यक्ष	1	1
13	क्षेत्र अधिकारी / तकनीकी सहायक	88	74
14	वरिष्ठ अनुवादक	1	1
15	आशुलिपिक ग्रेड - I	1	1
16	लेखाकार / वरिष्ठ अन्वेशक	34	23
17	सहायक / सर्वियकीय सहायक	14	13
18	रखवाला (केयरटेकर)	1	0
19	आशुलिपिक ग्रेड - II	3	1
20	विशेष श्रेणी चालक	1	1
	उप कुल	146	117
ग्रूप - सी - जूनियर श्रेणी प्रबंध			
21	कम्प्यूटर प्रचालक	27	27
22	आशुलिपिक ग्रेड - III	4	3
23	उ. श्रे. लि.	43	35
24	वरिष्ठ क्षेत्र सहायक / क्षेत्र सहायक	203	167
25	नि. श्रे. लि	52	41
26	हिन्दी टंकक	2	1
27	चालक	31	21
28	गेस्टेटनर ऑपरेटर	1	1
29	बहु कार्य कर्मचारी	140	63
	उप कुल	503	359
	महायोग	754	576




तम्बाकू बोर्ड का संगठन चार्ट



फसल योजना और नियंत्रण

I) भारत में एफ सी वी तम्बाकू उत्पादन में प्रवृत्तियाँ :

एफ सी वी तम्बाकू उत्पादन पिछले ५ वर्षों से वर्ष-प्रति-वर्ष घटता-बढ़ता जा रहा है। यह विस्तृत अस्थिरता उत्पाद पर वातावरण का प्रभाव, साथ-ही-साथ आपूर्ति की मूल्य सापेक्षता के शब्दों में बाजार गतिशीलता आदि., को प्रतिबिम्बित करता है। एफ सी वी तम्बाकू उत्पादन पिछले 5 वर्षों के दौरान (याने., 2011-12 से 2015-16 तक) -6.56% का और इस वर्ष 2016-17 को मिलाकर -4.49% यौगिक वृद्धि दर (सी ए जी आए) दर्ज किया।



* आकलित

II) 2016-17 के लिए एफ सी वी तम्बाकू उत्पादन नीति :

2016-17 फसल मौसम के दौरान, तम्बाकू बोर्ड ने 2015-16 फसल मौसम के दौरान निर्धारित 220 मिलियन कि.ग्रा. से 225 मिलियन कि.ग्रा. तक एफ सी वी तम्बाकू कृषि के लिए फसल परिमाण को बढ़ाया। कर्नाटका राज्य के लिए 95 मिलियन कि.ग्रा. का फसल परिमाण निर्धारित किया गया। आन्ध्र प्रदेश राज्य में तम्बाकू बोर्ड ने, पिछले वर्ष के दौरान निर्धारित 120 मिलियन कि.ग्रा की जगह 130 मिलियन कि.ग्रा. का फसल परिमाण को निर्धारित किया था।

III) 2016-17 के लिए उत्पादन नीति - विशिष्टतयाँ :

2016-17 फसल मौसम के दौरान उत्पादन नीति के लिए विस्तृत नीति- ढाँचा (फ्रेमवर्क) निम्नानुसार है :

- अतिरिक्त (आधिक्य) और अप्राधिकृत तम्बाकू की कृषि पर नियंत्रण की दृष्टि रखने के साथ उत्पाद गुणवत्ता पर केन्द्रीकरण करते हुए तम्बाकू कृषि (के अंतर्गत) क्षेत्र को नियंत्रण करना नीति का उद्देश्य है।
- एफ सी वी तम्बाकू खेती के अंतर्गत क्षेत्र को कम करना और अन्य वैकल्पिक फसल / क्रापिंग प्रणाली को परिवर्तन करना।

- आधिक्य उत्पादन को निर्धारित परिमाण तक, जो सख्त रूप से उत्पादन को सीमित करने, ताकि ग्रोयरों को उचित एवं लाभप्रद मूल्य सुनिश्चितता तथा भविष्य में बाजार समस्याओं को दोहराने से रोकने के लिए खूँटियों (तना) के साथ व्यावहार करना होगा ।
- एफ सी वी तम्बाकू कृषि को, जो गुणता समस्याओं से दूर रखने लवणीय क्षेत्रों, धान परती भूमियों और अनुपयुक्त भूमियों में अपनाने के लिए अनुमति न देना । तथा अन्य वैकल्पिक फसलों के लिए परिवर्तित करना ।
- बोर्ड के अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार ग्रोयरों, जिन्होंने अप्रधिकृत बखारों का निर्माण कर रहे हैं/किया है और अप्रधिकृत तम्बाकू की कृषि को अपनाये हैं, के प्रति कठिन कार्रवाई प्रारंभ करना ।

IV) 2016-17 के लिए रजिस्ट्रेशन मानदण्ड-विशिष्टितयाँ :

- 2016-17 फसल मौसम के दौरान ग्रोयरों के लिए रजिस्ट्रेशन नवीकरण या रजिस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित मानदण्ड रखा गया है ।
- 2015-16 फसल मौसम में बोर्ड के साथ पंजीकृत सभी ग्रोयरों/बखारों को 2016-17 में, बशर्ते कि ग्रोयर एक योग्य बखार का मालिक हो और अपने स्वयं या पट्टे पर वर्जीनिया तम्बाकू उगाने के लिए उपयुक्त भूमि वाला हो या तम्बाकू बोर्ड अधिनियम या इनके अंतर्गत बनाये गये नियमों को उल्लंघन न किये जाने पर रजिस्ट्रेशन नवीकरण के लिए योग्य होंगे ।
 - नये बखारों के निर्माण करने के द्वारा एफ सी वी तम्बाकू कृषि को अपनाने के लिए कोई नये ग्रोयर को अनुमतित नहीं किया जायेगा और एफ सी वी तम्बाकू कृषि के लिए नये प्रांतों को अनुमतित नहीं किया जायेगा । नये बखारों को निर्माण करने के लिए अनुज्ञापित नहीं किया जायेगा ।
 - ग्रोयरों, जिन्होंने 2015-16 में पंजीकृत किये थे, लेकिन बकाया देय/दंड भुगतान/बखार विवादों में शामिल/अयोग्य बखारों की मरम्मत/पंजीकरण स्थानान्तरण के लिए निर्धारित दस्तावेजों की अप्रस्तुतीकरण आदि., के अंतर्गत हो, को रजिस्ट्रेशन नवीकरण के लिए निर्धारित तारीख के अंदर इन शर्तों को पूरा करना होगा ।
 - ग्रोयर आवेदकों, जिन्होंने 2015-16 फसल मौसम में पंजीकृत किये थे और तम्बाकू की कृषि और क्यूरिंग के लिए सबूत के रूप में फार्म - II & III में रिपोर्टों को प्रस्तुत किये थे, लेकिन अपने तम्बाकू को नीलाम प्लैटफार्मों में विक्रय नहीं किये थे, को रजिस्ट्रेशन के लिए, बशर्ते कि निर्धारित जुर्माना भुगतान करने के अधीन रजिस्ट्रेशन के लिए विचार किया जायेगा ।
 - तम्बाकू बोर्ड अधिनियम और नियमों को उल्लंघन करके, बोर्ड से अनुज्ञापि प्राप्त किये बिना बखार का निर्माण किये पंजीकृत ग्रोयरों रजिस्ट्रेशन नवीकरण की अनुमति के लिए अयोग्य होंगे । पंजीकृत ग्रोयर, जो अपने स्वयं या अपने परिवार सदस्यों के नाम पर अप्रधिकृत तम्बाकू धारक हो, को (अपना) अप्रधिकृत बखार को डिसफन्क्शन करना होगा तथा भविष्य में इस बखार को नवीकरण न करने जैसा उल्लिखित करते हुए शपथ - पत्र प्रस्तुत करने पर, रजिस्ट्रेशन नवीकरण प्रदान करने के लिए योग्य होंगे ।



- भारत सरकार के पत्र दि. 02/10/2015, सं. 05/07/2015-ईपी (आगि-VI) के आदेशों के अनुसार आन्ध्र प्रदेश & कर्नाटका में 2016-17 फसल मौसम के दौरान तम्बाकू फसलों केलिए अनुपयुक्त / अप्राधिकृत बखारों की बिक्री / स्थानांतरण के लिए अनुमति नहीं किया जायेगा। अनुज्ञापित बखारों की क्रय & शिफिटिंग द्वारा अप्राधिकृत बखारों की नियमितीकरण के लिए भी अनुमति नहीं किया जायेगा। ग्रोयरों तथा ग्रोयर नेताओं से प्राप्त प्रतिवेदनों को दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार ने आदेश सं. 09/11/2016 - ईपी (आगि-III) दि. 31/10/2016 द्वारा दि. 31/10/2016 से 31/03/2017 तक विशेष मामला के रूप में नये बखारों के निर्माण केलिए या अप्राधिकृत बखारों के नियमितिकरण केलिए अनुज्ञापित बखारों की शिफिटेटिंग केलिए अनुमति दी।
- ग्रोयर आवेदकों, जो अनुज्ञापित क्यूरिंग सुविधा (बखार) के बिना आवेदन/अप्राधिकृत बखार/अयोग्य बखार के लिए रजिस्ट्रेशन/नये बखारों का निर्माण करने अनुज्ञापित के लिए माँग/3 वर्षों से अधिक ब्रेक-इन रजिस्ट्रेशन/क्रियाकलापों को अवरोधन, जो तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, नियम & विनियमों को उल्लंघन किये हैं, वे 2016-17 फसल मौसम के दौरान रजिस्ट्रेशन के लिए अयोग्य होंगे।

V) 2016-17 के लिए प्राधिकृत मिट्टी क्षेत्र वार प्रांत और उत्पादन कोटा:

2016-17 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में कृषि के लिए मिट्टी क्षेत्र वार प्राधिकृत क्षेत्र और प्रति बखार केलिए प्राधिकृत उत्पादन कोटा निम्नानुसार है :

आन्ध्र प्रदेश

मिट्टी क्षेत्र	पंजीकृत क्षेत्र (हे.)		उत्पादन कोटा (कि.ग्रा./बखार)	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
उत्तरी हल्की मिट्टी (उ ह मि)	1.40	1.00	3,000	2,500
दक्षिणी हल्की मिट्टी (द ह मि)	2.40	2.40	3,400	3,400
दक्षिणी काली मिट्टी (द का मि)	1.60	1.40	3,370	3,200
उत्तरी काली मिट्टी (उ का मि)	1.20	1.00	2,600	1,950

* उ ह मि में पू ह मि भी शामिल है।

कर्नाटका

बखार	पंजीकृत क्षेत्र (हे.)		उत्पादन कोटा (कि.ग्रा./बखार)	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
सिमप्लेक्स बखार	1.20	1.20	1,650	1,740
डुप्लेक्स बखार	2.40	2.40	3,300	3,480

VI) उत्पादन नियंत्रण अभियान :

बोर्ड ने, 2016-17 फसल मौसम के दौरान एफसीवी तम्बाकू का आधिक्य / अप्राधिकृत उत्पादन को रोकने केलिए गाँवों में व्यक्तिगत संपर्क, सामूहिक बैठकें और सामूहिक संपर्क कार्यक्रमों के द्वारा उत्पादन नियंत्रण अभियान को अपनाया है।

- बखारों के अप्राधिकृत निर्माण तथा तम्बाकू के अप्राधिकृत क्यूरिंग को नियंत्रण करने के लिए, उन पंजीकृत ग्रोयरों, जिन्होंने अपने निजी या अपने परिवार सदस्यों के नाम पर अप्राधिकृत बखारों को अपनाये हैं, को अप्राधिकृत बखारों को निष्क्रियात्मक करने के बाद ही नवीकरण के लिए स्वीकार किया जायेगा।
- एफसीवी तम्बाकू की आधिक्य/अप्राधिकृत उत्पादन को रोकने के लिए ग्रोयरों को अपील करने के लिए सार्वजानिक प्रचार साधन जैसे., सार्वजानिक स्थानों में दीवारों में लेखन, करपत्रों का वितरण, श्रव्य-केसेटों को चलाना, सही संदेशों को प्रसार करने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का उपयोग, छोटे समूह चर्चा, औपचारिक बैठकें आदि., का उपयोग प्रभावी रूप से किये जाते हैं।
- 2016-17 के दौरान उत्पादन नियंत्रण अभियान के एक भाग के रूप में बोर्ड द्वारा आन्ध्र प्रदेश में लगभग 144 ग्रोयर बैठकें और कर्नाटका में 129 बैठकों का आयोजन किया।

VII) 2016-17 के दौरान पंजीकृत ग्रोयरों का विवरण :

2016-17 फसल मौसम के दौरान, एफसीवी तम्बाकू कृषि के लिए कुल मिलाकर 87,882 ग्रोयरों ने बोर्ड के साथ पंजीकृत किये थे। आन्ध्र प्रदेश में, तम्बाकू कृषि के लिए 39,780 बखारों को कवर करते हुए 45,760 ग्रोयरों पंजीकृत किये थे। एफ सी वी तम्बाकू उत्पादन के लिए पंजीकृत 69,456 हैं। क्षेत्र के लिए वार्तव में 61,281 हैं। के क्षेत्र में रोपण हुआ था। कर्नाटका में, तम्बाकू कृषि के लिए 55,899 बखारों को कवर करते हुए 42,122 ग्रोयरों को पंजीकृत किये गये। एफ सी वी तम्बाकू के अंतर्गत 67,079 हैं। प्राधिकृत किया गया और 76,089 हैं। मे. रोपण हुआ।



2016-17 फसल मौसम के लिए कर्नाटका और आन्ध्र प्रदेश में एफ सी वी तम्बाकू के अंतर्गत पंजीकृत गोयरों, बखार और रोपित क्षेत्र का नीलाम प्लैटफार्म वार विवरण पृष्ठ सं. 33-35 में दखे गये हैं।

VIII) 2016-17 कर्नाटका फसल पर रिपोर्ट :

नर्सरी :

2016-17 के दौरान कर्नाटका में नर्सरी के अंतर्गत बोआई क्षेत्र 807.85 हेक्टार है। नर्सरी के अंतर्गत क्षेत्र, जो पिछले वर्ष की (829.85 हे.) तुलना में 3% अवनति रहा। नर्सरी की वृद्धि अच्छी रही तथा पेस्ट तथा बीमारियों से मुक्त रहा है। पूरा नर्सरी वृद्धि अवधि वर्षा रहित रहा है। इस मौसम के दौरान बीजों की अच्छी स्थिति है। तम्बाकू बोर्ड ने, मिट्टी जनित बीमारियों की प्रबंधन के लिए जीव-नाशियों का प्रयोग पर क्षेत्र प्रदर्शन आयोजित की और नर्सरी प्रचालनों के लिए गोयरों को जीवाणु-समूह (कलचर) को वितरित किये गये।



कंचन बोया हुआ प्रधान किरम है, जो बोया हुआ नर्सरी क्षेत्र याने., 619.86 हे. में लगभग 77% का हिस्सा अपना लिया। सीएच - 3 और एफसीएच -222 संकर ने बाकी 23% क्षेत्र को हासिल किया। संकर किसों के अंतर्गत क्षेत्र धीरे-धीरे से बढ़ रहा था।

प्रधान क्षेत्र

मई तथा जून महीने में पर्याप्त मात्रा में वर्षा की प्राप्ति के कारण जून, 2016 के अंत तक ग्रोयर ट्रान्सलानटेशन समाप्त किये थे। कर्नाटका में, 2016-17 के दौरान रोपित एफसीवी तम्बाकू क्षेत्र याने., पिछले वर्ष में रोपित क्षेत्र 75,837 हे. केलिए 0.33% क्षेत्र अधिक होने के साथ कुल 76,089 हे. में रोपित किया गया था। इनमें से 51,997 हे. (68%) क्षेत्र 31 मई से पहले (प्रारंभिक प्लानटेशन) में रोपित किया गया था। लगभग 23,694 हे. (31%)

का क्षेत्र जून महीने (मध्य प्लानटेशन) के पहले सप्ताह में रोपित किया गया। विलंब प्लानटेशन लगभग 398 हे. (1%) क्षेत्र में रहा था। कुल रोपित क्षेत्र में 80% कंचन किरम के अंतर्गत रहा है, बाकी 20% का हिस्सा सीएच - 3



और एफसीएच - 222 मिश्र किरमों का है। संकर किरमों के अंतर्गत क्षेत्र, जो पिछले वर्ष की तुलना में 23% वृद्धि हुई।



प्लानटेशन संवर्ग	2016-17		2015-16	
प्रारंभिक प्लानटेशन (31 मई से पहले)	51,997 हे.	68%	64,538 हे.	85%
मध्य प्लानटेशन (जून 1 से 15 जून तक)	23,694 हे.	31%	11,022 हे.	14.5%
देरी प्लानटेशन (जून 16 स)	398 हे.	1%	277 हे.	0.4%
कुल	76,089 हे.	100%	75,837 हे.	100%

कर्नाटका में फसल वृद्धि :

प्रारंभ में प्रधान क्षेत्र में प्रारंभिक फसल अच्छा सुव्यवस्थित रहा था। बाद में पौधों में मध्य 2-3 पत्तों में निक्रोटिक स्पाट और दग्ध प्रकटन / आविर्भाव आदि., पोटाशियम लोप लक्षण का प्रदर्शन रहा। जून के अंतिम सप्ताह में, कुछ क्षेत्रों में विविध वातावरण परिस्थितियों के कारण, जहाँ पर विशेषकर मई 3 & 4 वीं सप्ताह में ट्रानसालटेशन को अपनाये थे, में पौधों में पोटाशियम का कम अपटेक रहा। ग्रेयरों को पोटाशियम / नैट्रेट को स्प्रे करने के लिए सूचित किया गया। यह लक्षण जुलाई पहली सप्ताह में धूप बढ़ने के बाद लुप्त हो गये। फसल वृद्धि अवधि के दौरान पर्याप्त वर्षा की प्राप्ति के कारण सुख्यष्ट पत्ता विस्तार के साथ अच्छा विकसित हुई।



तम्बाकू पैदावार क्षेत्र जुलाई महीने के साधारण से भारी वर्षा पाप्त किये।

इन वर्षाओं के कारण पूर्व फसल के प्रथम और द्वितीय क्यूरिंग प्रभावित हुई। मध्यम और देरी फसल अगस्त महीने के सूखा के कारण प्रभावित हुई। पीला और बुरा परिपक्व पत्ता



पेटियपट्ना और रामनाथपुरा क्षेत्रों के सूखा प्रांतों (बेल्ट) में पाया गया। किसान अंतर ख्रेती प्रचालनों और टॉपिंग & डिसकरिंग को अपनाये थे, के कारण फसल आर्द्धता दबाव स्थिति से रिकवर हुई। समग्र रूप से, वर्तमान फसल मौसम के दौरान पैदावार, जो पिछले मौसम की तुलना में अच्छा रही।

पेस्ट तथा बीमारियाँ :

प्रधान क्षेत्र में कोई प्रधान पेस्ट तथा बीमारियों का आपतन की रिपोर्ट नहीं की गई। पेटियपट्ना क्षेत्र में, कुछ निम्न स्तरीय प्रांतों के कुछ क्षेत्रों में स्थूसारियम विल्ट, मोसाईक और काला वृन्त जैसे स्पोरडिक आपतन का रिपोर्ट मिला था। पेटियपट्ना - 4 के कुछ क्षेत्रों में अफिड का आपतन पाया गया तथा ग्रोयरों को 0.2% के हिसाब से असिफेट का प्रयोग करने के लिए सूचित किया गया। ग्रोयरों ने, पेस्ट आपतन के अनुसार पेस्ट की संख्या को मूल्यांकन करने तथा नियंत्रण उपायों को अपनाने फोरोमन द्राप तथा पीला चिपचिपा द्रापों को लगाये।



फसल & क्यूरिंग :

प्रत्येक बखार के लिए औसतम 6-7 क्यूरिंगों को अपनाये गये। जुलाई महीने के दौरान प्राप्त वर्षा के कारण प्रारंभिक फसल के पहली और दूसरी क्यूरिंगों में अधिक निम्न श्रेणी पाये गये। तीसरी क्यूरिंग से क्यूरिंग तम्बाकू की स्थिति चमकीला तथा मध्यम श्रेणियों के साथ अच्छी रही है। आगे, अगस्त महीने में वर्षाओं की अप्राप्ति के कारण कम वजन के साथ पतला आकृति वाला क्यूरड़ पत्ता प्राप्त हुई इसलिए पत्ता गिनती



मध्यम रोपित फसल में क्यूरिंग

अधिक चमकीला और मध्यम श्रेणियों के साथ अच्छे रहे। इस वर्ष मध्य फसल में के दौरान पत्ता वजन, जो पिछले वर्ष की तुलना में अत्यधिक पत्ता वजन वाली रही है। क्यूरड़ पत्ता का नींबू से नींबू नारंगी रंग का रही।



पैदावार :

फसल की गुणवत्ता औसतम से अच्छी किस्म का पैदावार रहा है। औसतम पैदावार 1200-1300 कि.ग्रा/हे. के बीच रहा। 98-72 कि.ग्रा. का फसल चमकीला, मध्यम और निम्न श्रेणियाँ क्रमशः 29:38:33 की श्रेणी आउटर टर्न के साथ विपणन की गई।



IX. 2016-17 आन्ध्र प्रदेश फसल पर रिपोर्ट :

नर्सरी :

आन्ध्र प्रदेश में 2016-17 के दौरान, जो पिछले वर्ष में बोया गया 338.08 हे. नर्सरी क्षेत्र के लिए लगभग 389.85 हे. के क्षेत्र में नर्सरी को अपनाया गया। द ह मि & द का मि क्षेत्रों में नर्सरियाँ, जो ट्रान्सप्लानटेशन में देरी होने के कारण सीडलिंग अधिक विकसित हो गये और किसानों ने सीडलिंगों की करतन (किलपिंग) के लिए चले गये। इस मौसम के दौरान सीडलिंगों की अच्छी आपूर्ति रही और नर्सरी मूल्य इन क्षेत्रों में नियंत्रण में रहे थे। उहमि के अधिकाधिक ग्रोयर



ट्रे नर्सरियों, जिससे उत्तम व्यवस्थित, 100% फसल स्थिति और एकरूपता प्राप्त हुई, को अपनाये थे। सितम्बर

महीने में प्राप्त भारी वर्षाओं के कारण पारंपरिक नर्सरीयों में कम से साधारण डामेज पाया गया और बाद में नर्सरीयों रिकवर हो गये।

सीडिलिंगों का मूल्य, जो गुणवत्ता और सीडिलिंगों की आयु के आधार द का मि में लगभग ₹.600/- से ₹.800/- प्रति गठरी और द ह मि में ₹.500/- से ₹.1000/- प्रति गठरी के लिए मूल्य रहे थे। उ ह मि क्षेत्र में प्रति गठरी का मूल्य लगभग ₹.2,500/- से ₹.3000/- तक रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹.1000/- से ₹.1500/- तक अधिक रहा था। ट्रे सीडिलिंगों का मूल्य प्रति गठरी के लिए ₹.4,500/- से ₹.5,000/- तक रहा है, जो पिछले वर्ष मूल्य की तुलना में ₹.1,500/- से ₹.2,500/- तक अधिक रहा था।

किस्म :

दक्षिण हल्की मिट्टियों और परंपरागत मिट्टी क्षेत्रों में बोया जाने वाले “सिरी” एक प्रधान किस्म है, जो कुल क्षेत्र में लगभग 75% का हिसाब रखता है। अन्य बोया जाने वाले किस्मों में जी-11 (हेमा), वीटी-1158 और एन-98, आदि हैं। उ ह मि क्षेत्र में एलवी-7 किस्म (मिश्र) कुल नर्सरी क्षेत्र में 84% का हिसाब रखता है। उ ह मि क्षेत्र में बोया जाने वाले अन्य किस्म में के-326 और एलवी-6 हैं।

प्रधान क्षेत्र :

2016-17 के दौरान, प्रकाशम और श्री पोट्टी श्रीरामुलू नेल्लुरु जिलों के तम्बाकू उगाने वाले क्षेत्रों ने प्लानटेशन अवधि के दौरान दीर्घ सूखा स्थिति का अनुभव किया। इन क्षेत्रों में अक्तूबर और नवंबर महीनों में कोई वर्षा प्राप्त नहीं किये, और किसानों ने समय पर ट्रान्सप्लानटेशन को नहीं अपनाये थे तथा रोपण बहुत विलंब हुई। आँगोल, वेल्लमपल्ली और पोदिली क्षेत्र के अंतर्गत कुछ क्षेत्र रिक्त छोड़ दिये गये। उ ह मि और द का मि क्षेत्र प्लानटेशन अवधि के दौरान पर्याप्त मात्रा में वर्षा प्राप्त की और प्लानटेशन भी समय पर समाप्त हुई।

आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम और एस पी एस नेल्लुरु जिला के सूखा प्रभावित मिट्टियाँ (द का मि) और दक्षिण हल्की मिट्टी क्षेत्र (द ह मि), जो 12 और 13 दिसंबर, 2016 को “वार्धा” चक्रवात के कारण प्राप्त वर्षा से कुछ सीमा तक तम्बाकू किसानों को आवश्यक राहत प्रदान किया। एस पी एस नेल्लुरु जिला के अधिकाधिक तम्बाकू पैदावार क्षेत्र इन दो दिनों के दौरान 8-11 तक भारी वर्षा प्राप्त हुई।



प्रकाशम जिला के कन्दुकुरु और वलवेटीपालेम क्षेत्र, और निकटस्थ एस पी एस जिला 15-20 से.मि. तक अत्यधिक वर्षा प्राप्त की, जो तटवर्ती कोडेपी, कनिगिरी और टंगुटूर क्षेत्र भी 6-11 से.मि.तक साधारण से भारी वर्षा प्राप्त किये। यह वर्षा पहले ही रोपित फसल की सुव्यवस्थिता के लिए उपयोग रही है और दक्षिण काली हल्की मिट्टी क्षेत्रों में आगे



प्लानटेशन अपनाने में किसानों को मदद की है। फिर भी, पोदिली क्षेत्र बहुत कम वर्षा प्राप्त किया, जिससे स्थायी फसल को सहायता मिली लेकिन आँगोल - I & II और वेल्लमपल्ली I & II क्षेत्र के लिए कोई वर्षा प्राप्त नहीं हुई।

एफ सी वी तम्बाकू के अंतर्गत, जो 2015-16 फसल मौसम के दौरान रोपित 70,122 हे. के लिए आन्ध्र प्रदेश में कुल 61,281 हे. क्षेत्र में रोपण हुआ था। क्षेत्र में लगभग 36% घटौती रहा था। 2016-17 के दौरान प्रारंभ में रोपित फसल बहुत कम (1468 हे.) रहा था, जो कुल रोपित क्षेत्र में 2% का हिसाब रखता है। 15 अक्टूबर और 15 नवंबर (मध्य प्लानटेशन) के बीच 23% फसल (23,431 हे.) रोपित हुई और 65% फसल (38,382 हे.) देरी से याने., नवंबर महीने के दूसरी पक्ष में रोपित हुई।

दक्षिण हल्की क्षेत्र और दक्षिण काली मिट्टी क्षेत्रों में 'सिरी' एक प्रधान उगाये गये किरम (44,748.40 हे.) रहा था, जो इन क्षेत्रों में रोपित कुल प्रांत में 65% के हिसाब रखता है। बाकी क्षेत्र जी - 11 (हेमा), वीटी - 1158 और एन - 98 किरमों के अंतर्गत था। उत्तरी हल्की क्षेत्रों में एल वी - 7 संकर, जो प्रधान उगाया गया किरम (12,874.10 हे.) था, क्षेत्र में 72% का हिसाब रखा था। सीएच - 3 (3,893 हे.) कंचन (874.30 हे.) और एल वी-6 (45.80 हे.) अन्य प्रधान किरम हैं। उत्तरी हल्की क्षेत्रों में, 'सिरी' एक प्रधान उगाये गये किरम (1109.50 हे.), के - 326 (102 हे.) और एल वी - 7 (63 हे.) आदि किरम भी कुछ हल्की मिट्टी क्षेत्रों में रोपित किये गये।

प्लानटेशन संवर्ग	2015-16		2016-17	
प्रारंभ प्लानटेशन (15 अक्टूबर तक)	2048 हे.	3%	1,468 हे.	2%
मध्य प्लानटेशन (15 नवंबर तक)	22,737 हे.	32%	21,431 हे.	35%
देरी प्लानटेशन (15 नवंबर तक)	45,337 हे.	65%	38,382 हे.	63%
कुल :	70,122 हे.	100%	61,281 हे.	100%

आन्ध्र प्रदेश में फसल वृद्धि

उत्तरी हल्की मिट्टियाँ (उ ह मि) फसल :

इस वर्ष उहमि क्षेत्र में कुल रोपण क्षेत्र, जो 2015-16 में रोपित 17,776 हेक्टार की तम्बाकू क्षेत्र में 19% अधिक होकर 21,104 हेक्टार का रहा है। अधिकाधिक फसल मध्य में रोपित फसल था। प्रारंभ में रोपित फसल महात्वपूर्ण नहीं रहा। प्रारंभ और मध्य काल फसल अनुकूलतम पत्ते विस्तार के साथ अच्छी वृद्धि दिखाया था। देरी फसल की वृद्धि संतोषजनक रहा और औसतम उपज दर्ज हुए। यह फसल पेरट तथा बीमारियों से अपेक्षाकृत मुक्त रहा है। उहमि फसल का पैदावार, अधिक परिपक्व गुणता पत्ता के साथ पूर्णरूप से उत्तम रहा और “अच्छी” श्रेणी दर्ज की।



दक्षिण हल्की मिट्टियाँ (द ह मि) फसल :

इस वर्ष द ह मि क्षेत्र में कुल रोपण क्षेत्र 21,500 हे. रहा, जो 2015-16 में रोपित 30,025 हे. की तुलना में 28% तक क्षेत्र कम हो गया। अधिकाधिक फसल देरी से रोपित किया गया। पोदिली और कनिंगिरी क्षेत्रों में, एफ सी वी तम्बाकू के अंतर्गत क्षेत्र काफी नीचे रहा और संपूर्ण उत्पाद प्राधिकृत फसल परिमाण से कम रहा। इस गिरावट के लिए फसल प्रतिरोपण समय के दौरान रहे प्रारंभ सूखा, प्रमुख कारण रहा है। कुल मिलाकार, कन्दुकूरु क्षेत्र में अनुकूलतम पत्ता विस्तार के साथ फसल वृद्धि अच्छी रही।



दक्षिण हल्की मिट्टियों में विशेषकर पोदिली - I & II, कनिंगिरी और कलिंगिरी प्लैटफार्म क्षेत्रों में फसल वृद्धि, जो फसल वृद्धि अवधि के दौरान लगातार सूखा स्थिति के कारण स्तंभित रहा। प्रारंभिक और मध्य फसल में ओरबब्बे का आपतन मिला था, जिससे उपज प्रभावित हुई। उपज में महत्वपूर्ण कमी प्राप्त हुआ था।

इस क्षेत्र में संपूर्ण फसल “कम औसतम” का दर्ज दिया गया। फिरभी, द ह मि क्षेत्र में कन्दुकूरु क्षेत्रों में साधारण तथा औसतम से परे उपज के साथ फसल अच्छी रही।

पारंपरिक काली मिट्टियाँ (पा का मि) फसल :

द का मि के सभी क्षेत्र, ठंगुदूर और कोडंपी प्लैटफार्म में पर्याप्त मात्रा में वर्षा प्राप्त हुई। ओंगोल और वेल्लमपल्ली क्षेत्र हल्की से सामान्य वर्षा प्राप्त किये। दक्षिण काली मिट्टी क्षेत्रों में कुल रोपित 17,207 हे. क्षेत्र याने., 2015-16 में रोपित 21,046 हे. क्षेत्र की तुलना में 18% कम रहा। अधिकांश फसल, जो लगभग 92% कुल फसल, देरी में रोपित फसल था। फसल की वृद्धि, सूखा के कारण प्रभावित रही और अधिकाधिक किसानों, जो जीवन रक्षा कृषि के लिए दूरस्थ प्रांतों से पानी लाने में अधिक व्यय किये थे। द ह मि क्षेत्र में प्रारंभिक पसल में भी, ओरबान्धे की भारी आपतन का रिपोर्ट मिला, जिससे फसल पैदावार पर अधिक प्रभाव पड़ा। पेरेट तथा बीमारियों का आपात कम रहा। देरी फसल में वृद्धि, जो ट्रान्सलानटेशन के बाद निरन्तर सुखा स्थिति के कारण संतोषजनक नहीं रही। देरी फसल में औसतम और औसतम से कम पैदावार दर्ज हुए। क्यूरिंग में 40% चमकीला श्रेणियों का रिपोर्ट मिला। इस क्षेत्र में पूरा फसल “औसतम फसल” श्रेणी का रहा।



2016-17 के दौरान उत्तर काली मिट्टी (उ का मि) में कुल प्लानटेशन, जो 2015-16 के दैरान रोपित क्षेत्र (1,275 हे.) की तुलना में 15% कम होकर 1,470 हे. में हुए। उ का मि में कोई प्रधान वृद्धि समस्याएँ नहीं रही और उत्तम पैदावार दर्ज की।

पेस्ट तथा बीमारियाँ :

प्रधान क्षेत्र में, पेस्ट तथा बीमारियों का आपतन, नहीं रही। स्पोडोप्टरा, हेलियोतिस तथा आफिड्स का आपतन की रिपोर्ट मिला लेकिन यह आपतन आर्थिक देहली (थ्रेशोल्ड) मात्रा से कम रहा था। क्षेत्रों में सभी वैरल बीमारी जैसे., “लीफ कर्ल” का आपतन नोटीस किया गया। दक्षिण हल्की मिट्टी और दक्षिण काली मिट्टी क्षेत्रों में ओरबन्धे की उत्पीड़ना पहचान (नोटीस) की गई। पराश्रयी उत्पीड़ना के कारण उपज, ग्रेड उत्पादन और पत्ता गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ा।



- गेंदा और अरंडी जैसे किनारांत/ट्राप फसलों को किसान अपनाये थे। उन्होंने कीट आक्रमण परिवेक्षण के लिए क्षेत्रों में फोरोमेन ट्राप और पीला चिपचिपा जालों को प्रतिष्ठापित किया।

पैदावार :

उत्तर हल्की मिट्टी क्षेत्र में औसतम 8-10 क्यूरिंग अपनाये गये। उत्तर काली मिट्टी & दक्षिण हल्कि मिट्टी क्षेत्रों में, जो सूखी और उत्पादन कमी के कारण केवल 5-8 क्यूरिंग ही अपनाया गया।

सूखा स्थिति के कारण द ह मि & द का मि क्षेत्रों में अधिक निकोटिन तथा कम शक्ति के साथ पत्ता रसायन भी असंतुलित रहा था। अंतिम तीन क्यूरिंगों में गहरी हरी का मात्रा अत्यधिक रहा। उ ह मि फसल पैदावार चमकीला श्रेणी के साथ अच्छी रही और “उत्तम” किस्म का रहा था।

द ह मि में चमकीला, मध्यम तथा निम्न श्रेणियों के शब्दों में ग्रेड आऊटर्टर्न क्रमशः 37:39:24 रहा है। द का मि क्षेत्र में 40:33:27 (च म नि) के अनुपात में ग्रेड आऊटर्टर्न रहा है। उ का मि क्षेत्र में 50:30:20 (च म नि) के अनुपात में ग्रेड आऊटर्टर्न रहा है। उहमि क्षेत्र में 47:40:13 (च म नि) के अनुपात में ग्रेड आऊटर्टर्न रहा है।

उपज :

आन्ध्र प्रदेश में एफ सी वी तम्बाकू उत्पादन, जो 130 मिलियन कि.ग्रा. के प्राधिकृत परिमाण के लिए 104 मि.कि.ग्रा. अनुमानित है। प्रकाशम और एस पी एस आर जिलों (दक्षिण आन्ध्र प्रदेश) में तम्बाकू उत्पादन, जो 84 मिलियन कि.ग्रा. फसल परिमाण के लिए लगभग 55 मिलियन कि.ग्रा. रहा है। उ हा मि में उत्पादन, जो 42 मिलियन कि.ग्रा. प्राधिकृत फसल के लिए, 46 मिलियन कि.ग्रा. आकलित रहा है। उ का मि में लगभग 3 मिलियन कि.ग्रा. आकलित उत्पादन रहा है।



दक्षिण हल्की मिट्टियों (द ह मि) में 940 से 1560 कि.ग्रा/हे. और पारंपरिक काली मिट्टियों में 1,420 से 1,840 कि.ग्रा/हे. तक आकलित औसतम उपज रहा था। उ ह मि क्षेत्र में औसतम उपज लगभग 2,170 कि.ग्रा/हे. रहा था।



X. 2016-17 के दौरान आधिक्य/अप्राधिकृत तम्बाकू की बिक्री :

2016-17 कर्नाटका फसल मौसम के दौरान प्राधिकृत 10% कोटा से अधिक सीमा तक पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित अत्यधिक तम्बाकू के लिए ₹ 2/- प्रति किलो अतिरिक्त शुल्क और बिक्री प्रोसीड़ों से 7.5% के हिसाब से अतिरिक्त प्रभार लगाने के द्वारा अनुमतित किया गया। प्रधिकृत 10% कोटा सीमा से अधिक पंजीकृत ग्रोयरों के द्वारा उत्पादित तम्बाकू और अप्राधिकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित तम्बाकू के लिए ₹ 2/- प्रतिकिलो अतिरिक्त शुल्क और बिक्री प्रोसीड़ों से 15% के हिसाब से अतिरिक्त प्रभार लगाने के द्वारा अनुमतित किया गया। यह कोटाओं को पुनः समायोजन और पंजीकृत ग्रोयरों के नाम पर अतिरिक्त तम्बाकू के रूप में, अप्राधिकृत तम्बाकू की बिक्री को दूर करने वोर्ड को सहायता मिला। कर्नाटका में 2016-17 फसल मौसम के दौरान पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित लगभग 11.31 मि.कि.ग्रा आधिक्य तम्बाकू और अपंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित अत्यधिक 7.54 मि.कि.ग्रा. को अतिरिक्त प्रभार लगाने के द्वारा बिक्री के लिए अनुमतित किया गया।

XI. आन्ध्र प्रदेश में सूखा :

2016-17 के दौरान, प्रकाशम और श्री पोट्टीश्रीरामुलू नेल्लुरु जिलों के तम्बाकू पैदावार क्षेत्र प्लानटेशन अवधि के दौरान दीर्घ सूखा स्थिति का अनुभव किया और अकूबर और नवंबर महीनों में कोई वर्षा प्राप्त नहीं किये। प्रकाशम जिला ने 793.8 मि.मि. साधारण वर्षा के लिए इस वर्ष 2016 के दौरान केवल 444.6 मि.मि. प्राप्त किया और सभी मंडलों को प्राप्त वर्षा के शब्दों में, जो साधारण 44% से कम रहा है, के लिए “अपूर्ण” के रूप में वर्गीकृत किया गया था। एस पी एस जिला ने 1007 मि.मि. साधारण वर्षा के लिए इस वर्ष 2016 के दौरान केवल 358 मि.मि. प्राप्त किया और सभी मंडलों के प्राप्त वर्षा, जो साधारण से 64.4 मि.मि. कम रहा है, के लिए “अल्प” के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इन दोनों जिलों में एफ सी वी तम्बाकू की कृषि पर सूखा का प्रभाव नीचे दिया गया है :



- किसान सही समय में (अक्टूबर पहली पखवाडा) तम्बाकू रोपण करने में असमर्थ रह गये, जिसके कारण “बुआई रोक” कारण रहा। इन दोनों जिलों के कुल प्राधिकृत 47,559.99 हे. में से 2,134.80 हे. (4%) में अक्टूबर, 2016 में रोपण हुआ था। नवंबर, 2017 के अंत तक प्राधिकृत कुल क्षेत्र (29%) में से केवल 13,640.80 हे. में रोपण हुआ था। इस दोनों महीनों में रोपित क्षेत्रों में विचलन लगभग 71% रहा है।
- किसानों ने चक्रवात वर्षा (13 दिसंबर, 2016 के बाद) की प्राप्ति के बाद दिसंबर में तम्बाकू रोपित किये थे और रोपण करने में लगभग दो महीने देरी लगा था। कुछ मंडलों के किसानों कुछ क्षेत्रों में बिना किसी फसल के परती भूमि के रूप में छोड़ दिये गये थे।
- एफ सी वी तम्बाकू फसल, जो दिसंबर वर्षाओं के बाद रोपित किये गये थे, नमी (आद्रता) प्रभाव को अनुभव किया है। कुछ किसान प्रति एकड़ केलिए लगभग ₹. 6,000/- से ₹. 10,000/- तक खर्च करके जीवन रक्षा सिंचाई को अपनाये थे।
- इस वर्ष इन दोनों जिलों में, प्राधिकृत क्षेत्र 47,609 हे. के लिए 38,430.30 हे. क्षेत्र में रोपित किये थे, जो 19% कम रहा था। एफ सी वी तम्बाकू के अंतर्गत क्षेत्र इस वर्ष, जो 2015-16 फसल मौसम के दौरान रोपित 50,698.80 हे. की तुलना में 24% घट गया।

विवरण	2016-17		2015-16		% परिवर्तन
	पंजीकृत क्षेत्र (हे.)	रोपित क्षेत्र (हे.)	% क्षेत्र	रोपित क्षेत्र (हे.)	
प्रकाशम जिला	39,919.27	32,876.90	82	42,245.80	22
एस पी एस नेल्लुल जिला	7,689.73	5,553.40	72	8,453.00	34
कुल योग	47,609.00	38,430.30	81	50,698.80	24



किसान जल टैंकरों को उपयोग करके क्षेत्र में तम्बाकू को पुनः रोपण



नमी प्रभाव के कारण पीला निशान दर्शनेवाली पहले रोपित फसल



टैकरों के साथ तम्बाकू फसल की सिंचाई



नमी प्रभाव के कारण अचेतन लक्षण वाला
35 दिन फसल



फैलिंग वैकल्पिक फसल - लाल ग्राम



दक्षिण हल्की मिट्टी क्षेत्रों के ग्रोयरों की कठिनाईयों को कम करने बोर्ड ने निम्नलिखित कार्यकलायों को अपनाये :

- किसानों से दिसंबर में तम्बाकू रोपण न करने तथा घटा को कम करने अन्य वैकल्पिक फसल जैसे., जोवर, तिल, सूरज मुखी (सनप्लवर), रागी और मूँगफली, जो सूखा स्थितियों में सही है, को अपनाने के लिए सूचित किये थे।
- डी ए टी टी केन्द्र, ओंगोल & नेल्लुरु के विशेषज्ञ, केंतंअसं अनुसंधान केन्द्र, कन्दुकुरु के विशेषज्ञ और राज्य कृषि विभाग के पदाधिकारियों के साथ तम्बाकू के वैकल्पिक फसलों पर ग्रोयर जागरूकता बैठक आयोजन किये गये।
- प्रकाशम और एसपीएस नेल्लुरु जिलों में सूखा परिस्थितियों के दौरान तम्बाकू के वैकल्पिक फसलों पर करपत्रों को मुद्रित करना तथा इसे द ह मि & द का मि क्षेत्रों के एफसीवी तम्बाकू किसानों को वितरित करना।
- ग्रोयरों को, वैकल्पिक फसल / क्रापिंग प्रणाली राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयित किये जाने वाला राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर के वी वाइ) के अंतर्गत “फसल विविधता कार्यक्रम” योजना को उपयोग करने के लिए सूचित किया गया था।

तम्बाकू बोर्ड ने पत्र दि. 03.02.2017, सं. 1(26)/2016-17/ उत्पादन के द्वारा प्रकाशम और एस पी एस नेल्लुरु जिला के जिलीधीश & मजिस्ट्रेट से, जो उत्तर - पूर्व मानसून - 2016 के दौरान प्रकाशम और एसपीएस नेल्लुरु जिला के तम्बाकू उगाये गये मंडलों में सूखा प्रकट करने, जो दक्षिण-पश्चिम मानसून में घोषित किया गया था, की तरह घोषणा करने के लिए अनुरोध की है। तम्बाकू बोर्ड ने इन दो जिलाधीशों से राज्य सूखा समिति को इस विषय पर राज्य महाविपदा प्रतिक्रिया निधि (एस डी आए एफ) के अंतर्गत हानियों की परिणामना, आवश्यक राहत और फसल हानियों के लिए मुआवजा उपलब्धता पर प्रस्तावों को स्वीकार करके भेजने के लिए अनुरोध किया।

तम्बाकू बोर्ड भी प्रकाशम और एसपीएस नेल्लुरु जिलों में रबी - 2016 में एफसीवी तम्बाकू किसानों की दशा के बारे में तथा इन दोनों क्षेत्रों में नियमों के अनुसार सूखा की घोषणा करने तथा एफसीवी तम्बाकू के किसानों को राज्य महाविषद। प्रतिक्रिया निधि (एसडी आर एफ) के अंतर्गत यथाशीघ्र वित्तीय सहायता का प्रावधान करने संबंधितों को आवश्यक निदेशों जारी करने माननीय कृषि मंत्री को अप्रैल करने के लिए पत्र दि. 09.02.2017 सं, 1(26)/2016-17/ उत्पादन द्वारा श्री वैकटरामय्या, ओएसडी - कृषि मंत्री, अग्नि - प्रोसेसिंग, विपणन, वेयर हाउस, पशु-पालन, डायरी विकास & मृत्यु पालन को अपने पत्र द्वारा अनुरोध किया।

XII. एफ सी वी तम्बाकू के लिए राजस्व बीमा योजना :

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने पत्र दि. 16.09.2016, सं. 3/1/2014 - प्लांट-सी द्वारा 2016-17 से प्रारंभ होकर दो वर्षों के लिए पश्चिम गोदावरी जिला में एफसीवी तम्बाकू के लिए पैलेट आधार पर प्लानटेशन फसलें की राजस्व बीमा योजना (आर आई एस पी सी) का कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक अनुमति दी। यह पैलेट योजना तम्बाकू बोर्ड और आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जायेगा।

यह योजना दो जोखम जैसे वातावरण, जो प्रतिकूल वातावरण पेरामीटर, पेर्स्ट आक्रमण, फसलों की आभाव आदि, के कारण उपज हानी होता है और अंतर्राष्ट्रीय / घरेलू मूल्यों में गिरावट द्वारा जो, हानी होता है, को फसल बीमा मोकानिजम द्वारा प्लानटेशन ग्रोयरों को रक्षा करने के लिए उद्देशित है, जिसके द्वारा उनको (ग्रोयरों के) बढ़ावा देना साथ-साथ ग्रोयरों को स्थायी आय सुनिश्चित देने के लिए उद्देशित है।

इस योजना के लिए सितम्बर, 2016 महीने में अनुमति प्राप्त हुआ था, जो कि फसल मौसम अक्टूबर 2016 महीने में प्रारंभ हुई, के कारण बिड नोटीस जारी करने तथा बीमा कंपेनियों का चयन (जो इस के लिए लगभग एक / दो महीने समय लगेगा) करने के लिए समय नहीं रहा था। 2017-18 आन्ध्र प्रदेश फसल मौसम के दौरान कार्यान्वित करने की सूचना मंत्रालय को दि. 30-09-2016 पत्र द्वारा सूचित किया गया था।

तम्बाकू बोर्ड ने वर्ष 2017-18 में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाया है। बोर्ड ने एफसीवी तम्बाकू के लिए राजस्व बीमा योजना का कार्यान्वयन से संबंधित नियम व शर्तों के बारे में विचार करने परामर्शियों की बैठक (ग्रोयर, बीमा कंपेनियाँ, बैंक तथा राज्य सरकार के पदाधिकारियों) दि. 22-12-2016 को तम्बाकू बोर्ड, कोयलगूडेम नीलाम प्लैटफार्म में आयोजित किया गया था। बोर्ड इसकी बिड सूचना शीर्ष ही जारी करेगा तथा आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार से पृष्ठीकरण प्राप्त होने के बाद बीड नोटीस 2017-18 फसल मौसम के लिए आन्ध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिल्ला में तम्बाकू के लिए राजस्व बीमा योजना का कार्यान्वयन अपनाने बीमा कंपेनियों को चयन करेगा।



XIII. तम्बाकू के लिए अन्य वैकल्पिक फसलों का चयन :

भारत सरकार ने अपनी सूचना दि. 03.05.2016, सं. 05.07.2016 - ई पी (अग्रि - VI) द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए तम्बाकू बोर्ड से संबंधित निम्नलिखित प्रधान परिणाम क्षेत्र को अनुमोदित किया।

“एफ सी वी तम्बाकू ग्रोयरों के लिए एफ सी वी तम्बाकू के स्थान में अन्य आर्थिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती को प्रमोट करने एक निश्चित कार्यवाही योजना तैयार करना”।

इससे संबंधित बोर्ड द्वारा अपनाया गया कार्यवाही योजना निम्नानुसार है :

- 1) तम्बाकू बोर्ड ने, कार्यवाही योजना तैयार करने तथा एफसीवी तम्बाकू उगाने वाले क्षेत्रों में वैकल्पिक फसलों को प्रमोट करने के लिए तैयारी करने के उद्देश्य से “आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न मिट्टी क्षेत्रों में एफ सी वी तम्बाकू को वैकल्पिक फसलों की आर्थिक व्यवहार्यता को आकलन” लक्ष्य से क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ए एन जी आए ए यू, लॉम, गुण्टूर को “आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न मिट्टी क्षेत्रों में एफसीवी तम्बाकू उत्पादन, क्यूरिंग, नीलाम तथा विपणन का आर्थिक विश्लेषण” नामक अध्ययन परियोजना को सौंप दिया था।
- 2) 2016-17 के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने प्रधान तम्बाकू क्षेत्र जैसे, ओंगोल, कन्दुकुरु, पोदिली, कोंडपी, विंजमूर, गोपालपुरम, देवरपल्ली, कोय्यलगूडेम, और जंगारेड्डी गूडेम आदि., में केंतंअसं, आन्ध्र प्रदेश कृषि विभाग के सहयोग से एफसीवी तम्बाकू के स्थान पर अन्य आर्थिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती को प्रमोट करना” विषय पर ग्रोयर जागरूकता बैठक आयोजित किया था।
- 3) तम्बाकू बोर्ड ने, ग्रोयरों के बीच जागरूकता को पैदा करने दक्षिण हल्की मिट्टी दक्षिण वाली मिट्टी क्षेत्रों में एफ सी वी तम्बाकू को वैकल्पिक फसलों पर करपत्रों मुद्रित करके वितरण किया था।
- 4) तम्बाकू बोर्ड ने, एफ सी वी तम्बाकू को वैकल्पिक फसलों की खेती पर शैक्षिक एवं जागरूकता कार्यक्रमों के साथ - साथ तम्बाकू उगाने वाले किसानों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य विकल्पों के उपलब्ध कराने निरंतर केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान (केंतंअसं) के साथ मिलकर कार्य कर रही है।
- 5) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 2015-16 से चालू आर.के.वी.वाई. के अंतर्गत फसल विविधता कार्यक्रम (सीडीपी) की उप योजना के एक भाग के रूप में देश में 10 प्रधान तम्बाकू पैदावार राज्य जैसे., आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडू, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल आदि., में वैकल्पिक फसल क्रापिंग प्रणाली को शिफ्ट करने तम्बाकू किसानों की प्रोत्साहित करते एक योजना को कार्यान्वित कर रहा है। कृषि मंत्रालय भी इस योजना के अंतर्गत 2015-16 में ₹. 25-00 करोड तथा 2016-17 में ₹. 30-00 करोड की अस्थायी राशि भी प्रदान किया। तम्बाकू बोर्ड भी इस योजना का कार्यान्वयन के लिए आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य के कृषि विभाग के साथ समन्वयन में काम कर रही है और तम्बाकू ग्रोयरों को इस योजना के बारे में जागरूकता पैदा कर रही है।
- 6) 2016-17 के दौरान आन्ध्र प्रदेश के 8,750 हेक्टार क्षेत्र तम्बाकू से अन्य वैकल्पिक फसलों की ओर परिवर्तन हुए थे, जो 2015-16 में तम्बाकू के अंतर्गत रोपित कुल क्षेत्र में 12% का हिस्सा रखता है। यह परिवर्तन विशेषकर प्रकाशम और एस पी एस आर नेल्लुरु जिलों में बंगाल ग्राम और मिर्च फसलों में हुआ था।

XIV. 2016-17 आन्ध्र प्रदेश फसल मौसम के लिए न्यूनतम गारंटी मूल्य को वर्कआऊट करने गठित समिति :

दि. 17.08.2016 को हैदराबाद में संपन्न बोर्ड की 142 वीं बैठक में पारित किया गया कि 2016-17 आन्ध्र प्रदेश फसल के लिए न्यूनतम गारंटी मूल्य वर्कआऊट करने भारतीय तम्बाकू संघ के अध्यक्ष, बोर्ड सदस्य और बोर्ड पदाधिकारियों से एक समिति को बनाया जाय। 142 वीं बोर्ड की बैठक में बोर्ड पदाधिकारियों से समाविष्ट एक समिति को बनाया गया। 142 वीं बोर्ड की बैठक में, बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार तम्बाकू बोर्ड ने का. ज्ञा. सं. 3(6)क/2016-17/उत्पादन, दि. 07.12.2016 द्वारा 2016-17 आन्ध्र प्रदेश फसल मौसम के लिए कृषि लागत, पैदावार, पिछले 4/5 वर्षों के बाजार मूल्य और ग्रोयरों की आकांक्षाओं, जो सभी पण्धारियों को स्वीकृत है, को आधार बनाकर मिट्टी क्षेत्र वार श्रेणी वार एमजीपी को वर्कआऊट करने एक समिति का गठन किया।

समिति के पाँच बैठकें क्रमशः 26.12.2016, 23.01.2017, 04.02.2017, 08.03.2017 तथा 23.03.2017 को गुण्ठूर में संपन्न हुए थे। अंतिम बैठक में निम्नलिखित शर्तों के अधीन मिट्टी क्षेत्र वार न्यूनतम गारंटी निर्दिष्ट मूल्य (एमजीआईपी) को निम्नानुसार सूचित किया।

पारंपरिक मूल्य श्रेणी (₹. / कि.ग्रा.)			उहमि मूल्य श्रेणी (₹. / कि.ग्रा.)	
श्रेणी	से	तक	से	तक
चमकीला	110	120	130	140
मध्यम	95	105	110	120
निम्न *	50	60	50	60

* 'एन ओजी' श्रेणी वर्जित

यह मूल्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगा।

- क) एम जी आई पी, जो “फोर्स मोज्यूर” मामलों और वर्तमान कर प्रणाली, जो व्यापारी वर्ग के विरुद्ध में प्रधान परिवर्तन या प्रतिरप्त्यर्थात्मक देशों में प्रधान मुद्रा में उतार - चढाव आदि., मामलों में लागू नहीं होगा।
- ख) एम जी आई पी, जो बुरा गुणवत्ता तम्बाकू - सेलाइन, सीजीए अवशेष और एन टी आर एम सम्मिश्रित तम्बाकू के लिए लागू नहीं होगा।
- ग) एम जी आई केवल प्राधिकृत फसल के लिए लागू रहेगा।
- घ) एम जी आई पर तीन वर्षों में एक बार समीक्षा किया जायेगा।
- ड) एम जी आई पी फसल स्तर पर भी मोनिटरिंग किया जायेगा, जो समेकित संपूर्ण फसल औसतम पर प्रत्येक प्रतिभागी स्तर के आधार पर नहीं किया जायेगा।

तम्बाकू बोर्ड : : गुण्टूर
भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग
आनन्द प्रदेश में 2016-17 (31.03.2017) कसल नीलाम प्लैटफार्म
बार रजिस्ट्रेशन तथा रोपण विवरण

विवरण	निधारित फसल परिमाण (मि.कि.ग्रा.)			ग्रोवरों की सं.			बखारों की सं.			पंजीकृत क्षेत्र (हेक्टे.)			रोपित क्षेत्र (हेक्टे.)		
	ह.सि	का.सि	कुल	ह.सि	का.सि	कुल	ह.सि	का.सि	कुल	ह.सि	का.सि	कुल	ह.सि	का.सि	कुल
देवरपत्ती	6.84	0.00	6.84	1962	0	1962	2267.00	0.00	2267.00	3173.80	0.00	3173.80	3397.90	0.00	3397.90
जंगरेट्टी गुडेम-।	9.47	0.00	9.47	2681	0	2681	3160.50	0.00	3160.50	4424.70	0.00	4424.70	4933.50	0.00	4933.50
जंगरेट्टी गुडेम-॥	9.60	0.00	9.60	3130	0	3130	3179.34	0.00	3179.34	4451.08	0.00	4451.08	4876.60	0.00	4876.60
कोख्यलगड़ीम	8.90	0.00	8.90	2573	0	2573	2929.60	0.00	2929.60	4101.44	0.00	4101.44	4480.70	0.00	4480.70
गोपालपुरम	7.19	0.00	7.19	1951	0	1951	2373.50	0.00	2373.50	3322.90	0.00	3322.90	3414.60	0.00	3414.60
वेल्लमपल्ली-।	2.98	1.84	4.82	1151	630	1781	858.34	543.66	1402.00	2060.02	869.86	2929.88	1252.60	852.40	2105.00
वेल्लमपल्ली-॥	0.24	3.41	3.65	68	1039	1107	67.50	987.00	1054.50	162.00	1579.20	1741.20	84.00	1317.00	1401.00
ओंगोल-।	1.29	5.72	7.01	525	1709	2234	378.38	1666.75	2045.13	715.31	2666.80	3382.11	673.86	2616.40	3290.26
ओंगोल-॥	0.00	8.22	8.22	0	2383	2383	0.00	2427.00	2427.00	0.00	3883.19	3883.19	0.00	2831.00	2831.00
ठंगदूस-।	0.00	6.01	6.01	0	2002	2002	0.00	1781.63	1781.63	0.00	2850.61	2850.61	0.00	2890.00	2890.00
ठंगदूस-॥	0.00	5.21	5.21	0	1650	1650	0.00	1556.63	1556.63	0.00	2490.61	2490.61	0.00	2509.60	2509.60
कोडेपी	3.89	3.78	7.67	1954	1594	3548	1118.84	1121.12	2239.96	2645.60	1793.81	4439.41	2270.34	1789.00	4059.34
पोदिली-।	6.47	0.00	6.47	3401	0	3401	1820.26	0.00	1820.26	4368.60	0.00	4368.60	1068.40	0.00	1068.40
पोदिली-॥	3.66	0.80	4.46	1874	289	2163	1041.72	222.10	1263.82	2478.83	355.35	2834.18	1233.60	224.60	1458.20



विवरण	नियारित फसल परिमाण (मि.कि.ग्र.)			गोयरों की सं.			बखारों की सं.			पंजीकृत क्षेत्र (हेक्टे.)			रोपित क्षेत्र (हेक्टे.)		
	ह.सि	का.सि	कुल	ह.सि	का.सि	कुल	ह.सि	का.सि	कुल	ह.सि	का.सि	कुल	ह.सि	का.सि	कुल
कंडुकूर-।	5.75	1.99	7.74	2440	738	3178	1686.30	589.66	2275.96	3383.94	943.46	4327.40	4267.50	1185.00	5452.50
कंडुकूर-॥	5.18	1.82	7.00	2167	811	2978	1481.05	539.17	2020.22	3355.94	862.68	4218.62	3214.00	896.40	4110.40
कनिगिरी	4.50	0.00	4.50	1607	0	1607	1262.19	0.00	1262.19	3029.26	0.00	3029.26	1978.60	0.00	1978.60
कलिगिरी	4.83	0.20	5.03	1690	55	1745	1390.90	59.75	1450.65	3338.14	95.60	3433.74	2083.40	96.00	2179.40
डी सी पल्ली	6.21	0.00	6.21	2289	0	2289	1773.33	0.00	1773.33	4255.99	0.00	4255.99	3374.00	0.00	3374.00
तोरेहु	0.00	4.00	4.00	0	1397	1397	0.00	1497.34	1497.34	0.00	1796.83	1796.83	0.00	1469.60	1469.60
महा योग	87.00	43.00	130.00	31463	14297	45760	26788.75	12991.81	39780.56	49267.55	20188.00	69455.55	42603.60	18677.00	61280.60

सार

क्षेत्र	गोयर	बखार	पंजीकृत क्षेत्र (हेक्टे.)	प्राधिकृत परिमाण (मि. किंगा)	रोपित क्षेत्र (हेक्टे.)
उ ह सि	42.00	12297	13909.94	19473.92	21103.30
द ह सि	45.00	19166	12878.81	29793.63	21500.30
द का सि	39.00	12900	11494.47	18391.17	17207.40
उ का सि	4.00	1397	1497.34	1796.83	1469.60
	130.00	45760	39780.56	69455.55	61280.60

गुण्डूर बोर्ड : : गुण्डूर
भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग
कर्नाटका में 2016-17 फसल मौसम के लिए नीलाम प्लैटफार्म
वार रजिस्ट्रेशन तथा रोपण विवरण दर्शनेवाली तालिका

क्र. सं	नीलाम प्लैटफार्म	ग्रोयर	बखारों की संख्या	पंजीकृत क्षेत्र (हेक्टे)	प्राधिकृत फसल (मि. किग्रा)	रोपित क्षेत्र (हेक्टे.)
मैसूर क्षेत्र :						
1	एच. डी. कोट-1	1763	2377	2852.40	3.922	3848.56
2	एच. डी. कोट-65	1895	2547	3056.40	4.203	3405.00
3	हुन्सूर-2	3036	3976	4771.20	6.560	6027.00
4	हुन्सूर-3	3130	3923	4707.60	6.473	5368.00
5	हुन्सूर-64	2613	3424	4108.80	5.650	5195.00
6	कंपलापुरा-61	3233	4202	5042.40	6.933	5800.00
7	चिलकुंडा-62	4417	5914	7096.80	9.758	8135.00
कुल		20087	26363	31635.60	43.499	37778.56
पेरियापट्टना क्षेत्र :						
8	पेरियापट्टना-4	4593	6688	8025.60	11.035	8280.00
9	पेरियापट्टना-5	4640	6214	7456.80	10.253	8199.00
10	पेरियापट्टना-6	4354	5829	6994.80	9.618	7597.00
11	पेरियापट्टना-7	4727	5946	7135.20	9.811	7662.00
12	पेरियापट्टना-63	3721	4859	5830.80	8.017	6572.00
कुल		22035	29536	35443.20	48.734	38310.00
महा योग		42122	55899	67078.80	92.233	76088.56

विस्तार एवं परामर्श सेवाएँ

तम्बाकू बोर्ड, निम्नलिखितों द्वारा किसानों को विस्तृत पैकेज और विस्तार सेवाएँ प्रदान करता है :

- स्पर्धात्मक दरों पर निवेशों की आपूर्ति करना ।
- फसल वृद्धि मौसम के दौरान तकनीकी सलाह प्रदान करना ।
- स्पर्धात्मक ब्याज दरों पर ग्रोयरों को फसल एवं निवेश - ऋण का आयोजन करना ।

योजनाएँ और उनके आच्छेदन (कवरेज)

I) तब्बाकू उपज तथा गुणवत्ता में सुधार :

1.1 बीज :

बोर्ड ने, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के अपने नीलामी प्लैटफार्मों के द्वारा किसानों को 2,746.50 कि.ग्रा. प्रमाणित बीजों की यथा-समय आपूर्ति करने की व्यवस्था की है। आपूर्ति किरम वार बीज विवरण नीचे दिये गया है :

(परिमाण कि. ग्रा में)

राज्य	किरम का नाम							
	कंचन/ के326	सीएच 3 (एलवी7)	सीएच 3 (एलवी7)	जी11	बीटी 1158	सिरी 98	एन 222	कुल
आन्ध्र प्रदेश	49.00	575.00	15.00	14.50	31.00	255.00	8.50	0.00
कर्नाटका	1320.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	1722.00
कुल	1369.00	875.00	15.00	14.50	31.00	255.00	8.50	102.00
								2670.00

1.2. ट्रे नर्सरीयाँ :

तम्बाकू बोर्ड, 2016-17 मौसम के दौरान ज्यॉप फिल, साथ-ही-साथ प्रधान क्षेत्र फसल के लिए स्वारूप्य, मजबूत और रोग मुक्त प्रतिरोपण का उत्पादन प्राप्त करने, कर्नाटका में ₹ 7.78 लाख ट्रे सब्सिडी के आधार पर आपूर्ति की थी। कुल मिलाकर 3987 किसानों ने, जिन्होंने ट्रे नर्सरीयों को सफलता पूर्वक राइज किया, तथा ट्रे सीडिलिंग की फाइदाओं को प्राप्त किये हैं।

सीटीआरई & आईटीसी/आईएलटीडी (एबीडी) के समन्वय से बोर्ड के तकनीकी स्टाफ के निष्कपट प्रयास करने के परिणाम स्वरूप किसानों ने पहली बार स्वारूप्य ट्रे सीडिलिंग का उत्पादन किया और ट्रे नर्सरी सीडिलिंग सुव्यवस्थिता, जो परम्परागत सीडिलिंग की 70 & 80% प्रतिष्ठित प्रदर्शन की तुलना में, एकलूपता वृद्धि के साथ (95%) अच्छी तरह साबित किया। ट्रे नर्सरी संकल्प द्वारा प्राप्त होने वाले प्रमुख लाभ निम्नानुसार हैं :

- (क) श्रम लागत का घटाव
- (ख) जल & रसायनों उपयोग का बचाव
- (ग) जल & क्लैमाटिक सम्बधी रसायनों के उपयोग का विथस्टांडिंग विशेष



हरित तकनीकी द्वारा सीडलिंगो का रैजिंग



हरित गृह में रैज किये सीडलिंग

1.3 यू वी शीट के साथ हरित गृह :

छोटा / उपांतीय (मार्जिनल) किसानों, जहाँ पर पर्यावरणीय स्थितियों के अंतर्गत नर्सरी रैज करने छोटा / कच्चा अस्थायी हरित गृह को बनाया था, ने ग्रीन हाऊस सुविधा को अपनाये। छत आच्छादन के लिए उपयोगित प्रधान सामग्री अल्ट्रा वपलेट शीट है, जो तापमान और अनुकूल वातावरण को नियन्त्रण / कम करने में सहायता करेगा। अल्ट्रा वायलेट शीट सब्सीडी दरों में दिया जाता था और इस के लिए ₹ 1,500/- प्रति ग्रीन हाऊस के लिए राशि रीलीज हुई। कुल मिलाकर 141 ग्रोयरों को, जो 141 संख्या ग्रीन हाऊस को कवर करते हुए अल्ट्रा वयलेट शीट से संबंधित सब्सीडी दिया गया। इस के लिए ₹ 2.11 लाख कुल लागत खर्च किया गया है।



1.4 स्थायी पॉली ग्रीन हॉउस :

स्थायी ग्रीन हाऊस से लम्बी स्थायित्व, हवा को रोकने तथा असहज वातावरण परिस्थितियों में दृढ़ता आदि., लाभ होते हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर पर्यावरणीय परिस्थितियों पर अधिक नियन्त्रण आदि लाभ के कारण सीडलिंग वृद्धि में एकलकता बन गयी। 21 ग्रोयरों को प्रत्येक शेड / ग्रोयर को ₹. 5000/- सब्सीडी राशि प्रधान किये गये। कुल मिलाकर 21 शेडों को अपनाये और सब्सीडी के अंतर्गत ₹. 1.05 लाख राशि दी गयी।

II) संघटित पोषकतत्व प्रबंध (आईएनएम)

2.1 हरी खाद :

उत्तम गुणवत्ता तम्बाकू उत्पाद और किसान समुदाय को लाभ के संकल्प से बोर्ड ने ग्रोयरों को प्रोत्साहित किया कि सन हेम्प, डौयंचा आदि., जैसे फसल के साथ हरा खाद को लिया जाए।

आं.प्र. व कर्नाटक में 17122 हेक्टारों के क्षेत्र में हरा खाद फसल के साथ पैदा किया गया और मिट्टी उर्वरता स्थिति को सुधारने तथा किसानों को रसायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को घटाने, इसे मिट्टी में मिला दिया गया था।



हरी खाद के द्वारा मिट्टी उर्वरता



हरी खाद का समामेलन

2.2 उर्वरक :

बोर्ड ने, 2016-17 के दौरान निर्माण कंपनियों से सीधे प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर विभिन्न उर्वरकों को प्राप्त (प्रोक्यूरड) किया तथा इसे आन्ध्र प्रदेश एवं कर्नाटका के ग्रोयरों को आपूर्ति की है। आपूर्ति विभिन्न उर्वरकों के विवरण आरेख में नीचे प्रस्तुत हैं :




ग्रोयरों को सांपलिंग के साथ उर्वरकों की आपूर्ति



ग्रोयरों को उर्वरकों का वितरण

(परिमाण कि. ग्रा में)



उर्वरक का	आपूर्ति परिमाण (मे.ट)	
नाम	आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटका
ए.एस	6079.80	9652.20
एसएसपी	4940.65	0.00
एसओपी	5446.73	9651.90
डीएपी	658.65	3217.35
20:20:0:13	1662.35	0.00
कुल	18788.18	22521.45

III) फार्म मशीनीकरण :

तम्बाकू किसानों को, जहाँ प्रचालन के कुछ क्षेत्रों में शामिकों की कमी को पार करने, निम्नलिखित फार्म उपकरणों की आपूर्ति किया ।

क्रम. स.	मद का नाम	सब्सिडी आधार पर आपूर्ति परिमाण (सं.)
1	पीवीसी पाइप (आं.प्र.)	3820
2	क्यूरोमीटर्स (के.के)	2522



पाईपों द्वारा जीव रक्षण कृषि



तापमान नियंत्रण करने क्यूरोमीटर का उपयोग

IV) संघटित पेस्ट प्रबंध (आईपीएम) :

4.1 इस योजना के तहत, रसायनिक पद्धतियों के अलावा, सभी पेस्ट नियंत्रण प्रदूषितियों का संचालन याने., जैविक, सांस्कृतिक, यांत्रिक एवं वनस्पतिक आदि., को पेस्ट नियंत्रण के लिए कार्यान्वित किया ।

एनआईपीएचएम, हैदराबाद के सौजन्य से आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक (2396 कि.ग्रा. ट्रिकोडर्म हरिज्यनम और 2292.45 ली. सूडोमोलस फ्लूरिसेन) जीवनाशियों की आपूर्ति

पोरोमेन द्राप व ल्यूर उपलब्ध
(ग्रोयर 2176 यूनिट 44798)



द्राप फसल बीज की आपूर्ति
(कास्टर / मारीगोल्ड)

एफसीटी-
तम्बाकू में
आई पी एस



पीला चिपचिपा द्राप रखा गया
(ग्रोयर : 2246 यूनिट : 31287)

4.2 जीव नाशी संकल्प :



जीव-नाशी उपयोग पर ग्रोयरों को डेमो



एनआईपीएचएम - हैदराबाद में जीव-नाशी की तैयारी पर ग्रोयरों को प्रशिक्षण

एनआईपीएचएम, हैदराबाद के सहयोग से मिट्टी उत्पाद रोगों के नियंत्रण के लिए संघटित पेस्ट प्रबंध के एक भाग के रूप में ग्रोयरों को सविस्ती देते हुए, जीव-नाशी की आपूर्ति करने की व्यवस्था बोर्ड ने किया।

जीव नाशी का उपयोग, सीपीए के प्रयोग का नियंत्रण तथा जीवनाशी अवशेष स्तरों में घटाव करने में एक कदम आगे बढ़ना है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय तम्बाकू का ब्राण्ड छाप बनाये रखना होता है।

जहाँ बयो जीव नाशी का प्रयोग अपनाया गया, वहाँ मिट्टी उत्पाद रोगों के घटाव का स्पष्ट संकेत मिला।

V. टॉपिंग व डी-सक्करिंग :



टॉपिंग व डीसक्करिंग पर डेमो



पैदावार और गुणता प्राप्त करने समय पर टॉपिंग

किसानों को तम्बाकू के पैदावार तथा उत्तम गुणवत्ता प्राप्त करने, किसानों को समय पर टॉपिंग व डी-सक्करिंग को सुनिश्चित करने, बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश व कर्नाटका के तम्बाकू किसानों को सकरसाईडों को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों में आपूर्ति की सुविधा दी। आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में ग्रोयरों को 144690 ली. कुल परिमाण आपूर्ति की गई। टॉपिंग और डीसक्करिंग के अंतर्गत 23150 हेक्टार को कवर की गई।

VI. ऊर्जा संरक्षण के उपाय :

जलावन - काष्ठ (लकड़ियाँ) प्रमुख निवेश होने के कारण, बोर्ड, निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित करके ईंधन के उपयोग को कम करने का प्रयास कर रहा है।

6.1 वेंचुरी फर्नेस - अभिवर्धित अभिकल्प फर्नेस :



ईंधन उपयोग को कम करने वेंचुरी भट्टी

वेंचुरी भट्टी एक अभिवर्धित भट्टी पद्धति है, जो ईंधन का बेहतर दहन तथा फ्लू-पार्फ्यूम में कालिख को रोकते हुए आक्सिजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने वाले ईंधन के बेहतर दहन तथा ऊष्ण अन्तरण की सुविधा और ईंधन उपयोग में 15% बचत की सुविधा देती है। बोर्ड ने, 71 लाभार्थियों को आच्छेदित करते हुए 71 बखारों में इस योजना का कार्यान्वयन किया गया था।

6.2. टर्बो वेंटिलेटर सहित बखारों को काँच के रेशे छत पृथक्करण का कार्यान्वयन :



टर्बो वेंटिलेटर के साथ काँच के रेशे छत पृथक्करण

2016-17 फसल मौसम के दौरान, बोर्ड ने निम्नलिखित लाभों को दृष्टि में रखते हुए बोर्ड के अंशदान के रूप में 25% का पृथक्करण लागत बढ़ाने के द्वारा व्यापारी वर्ग के सहयोग से टर्बो वेंटिलेशन सहित बखारों को काँच के रेशों छत पृथक्करण योजना का कार्यान्वयन किया।

- 25 से 27% तक ईंधन बचत
- क्यूरिंग गुणवत्ता में सुधार
- कम स्क्राप उत्पत्ति
- टर्बो में हवा का बेहतर परिचालन के कारण पत्ता पर कोई स्पांजिंग का प्रभाव न होना।
- पत्ता केरामलैजेशन में घटाव।
- अंतिम कृषि लागत में घटाव।

पृथक्करण की 50% लगत व्यापारी वर्ग द्वारा उठाया जायेगा तथा बाकी 25% लागत लाभग्राही ग्रोयरों द्वारा चुकाना होगा।

1998 बखारों में, टर्बो वेंटिलेटर सहित काँच के रेशे छत पृथक्करण का कार्यान्वयन किये गये और बोर्ड द्वारा 25% पृथक्करण लागत से संबंधित ₹111.19 लाख राशि की गई।

टर्बो वेंटिलेशन सहित काँच के रेशे छत पृथक्करण से साथ क्षेत्र वार इनसूलेटेड बखारों की संख्या निम्नानुसार है :

क्षेत्र का नाम	कवर किये ग्रोयरों की संख्या	पृथक्करण बखारों की संख्या
द ह मि	139	113
द का मि	444	390
उ ह मि (16 x 20 परिमाण)	663	631
उ ह मि (16 x 16 परिमाण)	847	864
कुल	2093	1998

16x16 परिमाण बखार के यूनिट लागत 21,250 प्रति बखार और 16x20 परिमाण बखार के यूनिट लागत 23034 प्रति बखार है।

6.3. स्वयं के लिए ईधन रैजिंग :

बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में ग्रोयरों को चयनित वृक्षों / त्वरित वृद्धि वृक्षों के बाल वृक्ष (सांपलिंग), जो अपने बखारों / बलकिंग शेडों / घरों और बंजर भमियों के निकटतम खाली जगहों में रोपण करने निशुल्क, जिससे निकट जंगलों में वृक्षों को काटने से तम्बाकू किसानों को रोकने तथा किसान इतर पर वननाशन को रोकने बाल वृक्षों की व्यवस्था किया। कर्नाटका में, उप वन संरक्षण, हुन्सूर (मैसूर क्षेत्र) और उप वन संरक्षक, के.आर. नगर (पेरियपट्टना क्षेत्र) से प्रति सांपलिंग को ₹. 6.30/- के हिसाब से 87,000/- बालवृक्षों को ग्रोयरों को निशुल्क व्यवस्थित किया।



आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में ग्रोयरों को बालवृक्ष वितरण

बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश में स्थानीय वन विभाग के सहयोग से ग्रोयरों को 1,29,320 सांपलिंग निशुल्क व्यवस्थित किया।

VII. एनटीआरएम के उन्मूलन :

बोर्ड ने, किसानों से शुद्ध उत्पाद और अखंडता की वृद्धि सुपुर्द (डेलीवर) करने में किसानों को मदद करने की दृष्टि से 7255 ग्रोयरों को आच्छेदित करते हुए सहायता दरों पर 7255 सिल्पोलिन टार्पलीनों की आपूर्ति किया।



विभिन्न एनटीआरएम का प्रदर्शन



टार्पलीनों का वितरण

VIII. बलिंकंग शेड :



उत्तम भण्डाकरण और गुणता धारिता के लिए बलिंकंग शेड

उपचारित तम्बाकू आद्रताग्राही प्रकृति का है और उत्पाद के थोकीकरण एवं भण्डारण में काफी सावधानी न लेने पर, क्षीण होने लगता है। अतः बोर्ड उत्पादकों को, प्रति यूनिट को, बशर्ते कि 350 रुपे. फी. से प्रारंभ होकर अधिकतम 600 रुपे.फी. तक के प्लिंथ क्षेत्र के लिए ₹ 10,000/- से ₹ 16,000/- तक की वित्तीय सहायता प्रतिस्पार्धात्मक व्याज दर पर मध्यम अवधि के ऋण की व्यवस्था करके बलिंकंग शेडों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आन्ध्र प्रदेश में 8 ग्रोयरों द्वारा 8 यूनिटों का निर्माण किया गया था।

IX. आग्रो रसायन अवशेषों का नियंत्रण एवं अनुवीक्षण :



सिफारिश जीव - नाशी उपयोग पर जानकरी



जीव-नाशी अवशेषों के लिए पत्ता नमूनाओं का विश्लेषण

बोर्ड ने, पत्ता तम्बाकू में, आग्रो - रसायनों को घटाने और निवारण करने के प्रयत्न में, केतंअसं & एनआईपीएचएम के मदद/सहायता से पत्ता तम्बाकू में आग्रो - रसायनिक अवशेष तथा रासायनिक अंशभूतों मात्राओं को निर्धारण करने के लिए 224 पत्ते नमूनों के विश्लेषण को अपनाया तथा इससे संबंधित निवारणात्मक कार्रवाई करने संबंधितों को सूचित किया जाता है।

X. निवेश ऋण :

बोर्ड ने, बैंकों से बातचीत करके आन्ध्र प्रदेश में 7% तथा कर्नाटका में 4% व्याज दर पर ग्रोयरों को निवेश ऋण की व्यवस्था की।

2016-17 मौसम के दौरान व्यवस्थित निवेश ऋणों का विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम. संख्या	राज्य	ऋण राशि (₹ करोड़ में)
निवेश ऋण		
1.	आन्ध्र प्रदेश	43.35
2.	कर्नाटका	72.99
	कुल	116.34

XI. अन्य विस्तार कार्यक्रम - प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण :

11.1 क्षेत्र कर्मचारियों और किसानों को प्रशिक्षण - जागरूकता कार्यक्रम :

बोर्ड ने, उत्तम कृषि प्रयासों पर जागरूकरता पैदा करने फसल पैदावार के निम्नलिखित दशाओं में सभी मिट्टी क्षेत्रों (आन्ध्र प्रदेश व कर्नाटका) के किसानों के लिए कुल 343 कार्यक्रमों का आयोजन किया था। निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगभग 17,565 ग्रोयर भाग लिये।

- सीड बेड तैयारी, नर्सरी प्रबंध, सीड बेडों में पेस्ट तथा बीमारी नियंत्रण ।
- प्रतिरोपण और खाली जगह भराई, उर्वरक उपयोग, अंतर सांख्यिक प्रचालन, आईपीएस और सिंचाई।
- सीपीए अवशेषों के प्रबंधन पर विशेष
- “ओरबान्के” नियंत्रण विशेष जागरूकता कार्यक्रम
- टॉपिंग और डी - सक्टरिंग
- पैदावार, क्यूरिंग, ग्रेडिंग और पीएचपीएम।



आईपीएम प्रयत्नों पर ग्रोयरों को डेमो।



क्षेत्र कर्मचारियों को प्रशिक्षण

11.2 एनआईपीएचएम, हैदराबाद में ग्रोयरों/अधिकारियों को प्रशिक्षण :

एन आई पी एच एम, हैदराबाद में “पेस्ट प्रबंधन के लिए एकोलोजिकल इंजनीयरिंग के संयोजन से एईएसाए आधारित पौधा स्वस्थ प्रबंधन के प्रोत्साहन (तरक्की) के लिए जीव नियंत्रण कारक तथा माझ्कोबियल जीव नाशि के ऑन फॉर्म उत्पादन” पर बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश के ग्रोयरों / अधिकारियों को निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किये गये ।



एनआईपीएचएम में आन्ध्र प्रदेश के किसानों को प्रशिक्षण



बयो जीवनाशी तैयारी पर कार्यशाला

प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण	व्यक्तियों की संख्या	दिनों की संख्या	अवधि	परिणाम
आन्ध्र प्रदेश के ग्रोयरों को प्रशिक्षण	30	3 days	13.04.2016 से 15.04.2016	बयो-जीव नाशी माता संवर्ध की उत्पादन पर ज्ञान प्राप्त करना

11.3 अध्ययन पर्यटन :

बोर्ड ने, किसानों को थेशिंग प्लांट और केतंअसं अनुसंधान केन्द्रों को विजिट करने के लिए **20** अध्ययन पर्यटनों को आयोजित किया। विभिन्न नीलाम प्लैटफार्मों से आये हुए किसान तम्बाकू में एनटीआरएम के उन्मूलन तथा उत्पाद निष्ठा को बनाये रखने के संबंध में जानकारी लेने थेशिंग प्लांटों के अध्ययन पर्यटन में भाग लिये थे और नया पार्फ्यूम लाइन किरमों और अन्य वैकाल्पिक फसलों को अध्ययन करने के तं अंस अनुसंधान केन्द्र (गुण्टूर) को विजिट किये थे ।



के तं अ सं, राजमहेन्द्री में इंदरफेस सत्र



11.4 कार्यशालाएँ :



आन्ध्र प्रदेश - द का मि / द हा मि क्षेत्रों के लिए कन्दुकुरु - 1 नीलाम प्लैटफार्म में दि. 19 जनवरी, 2017 को द ह मि / द का मि प्रादेशिक प्रबंधक क्षेत्रों द्वारा संयुक्त रूप से “तम्बाकू खेती में उत्तम कृषि प्रयास और तम्बाकू के लिए वैकल्पिक फसल” पर कार्यशाला आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में केतंअसं अनुसंधान केन्द्र से विशेषज्ञ, डी ए ए टी टी, ऑगोल से समन्वयक, व्यापारी वर्ग से कार्यकारी सदस्य, बोर्ड सदस्य और बोर्ड के अधिकारियों ने इस कार्यशाला में भाग लिये थे।



इस कार्यशाला में, परिवर्तनशील वातावरण स्थितियों के कारण दक्षिण क्षेत्र के काली मिट्टियों तथा हल्की मिट्टियों में उत्पादन तथा विपणन प्रवृत्तियों के बारे में ग्रोयरों को विवरण दिये गये। किसानों को पेस्ट तथा बीमारी समस्या रोकने क्षेत्रों की सही लेवलिंग। सफाई का कार्य अपनाने के लिए सुझाव दिये गये।

“तम्बाकू खेती में उत्तम कृषि प्रयासों” पर के तं अ सं के विशेषज्ञ एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया।

- ग्रोयरों को सिफारिश उर्वरकों को सिफारिश मात्रा में और सिफारिश पद्धति याने., पी आर पी एफ पद्धति में उपयोग करने के लिए सूचित किये गये।
- केवल सफेद पोटाश (एसओपी) को उपयोग करने तथा लाल पोटाश (एम ओ पी) को न उपयोग करें।
- रसायनिक खाद का उपयोग तथा मिट्टी की भौतिक रसायनिक गुणों की वृद्धि पोषकतत्व अपटेक को बढ़ाने तथा मिट्टी मैक्रोबायल प्लोरा की वृद्धि के लिए हरा खाद को विकास करना।
- ग्रोयरों को सूचित किया कि हरा खाद सम्मिलित करने के 30 दिनों के अन्तराल के बाद तम्बाकू प्लानटेशन को, जो सही वियोजन (डीकंपोजेशन) तथा पोषकतत्वों का रीलीज होगा, को अपनाना होगा।
- ग्रोयरों को सूचित किया गया था कि क्लोरैट मुक्त जल को सिंचाई के लिए उपयोग करें तथा जल अभाव क्षेत्रों में वैकल्पिक सिंचाई के लिए परिवर्तन होने के लिए सूचित किया गया।
- “ओरेबान्धे प्रबंध” पर रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।
- डी ए टी टी केन्द्र के संयोजक ने कम जल उपभोग के साथ अनुकूल लघु अवधि वाले वैकल्पिक फसलों जैसे., कोरा, अदरक, सनप्लबर, रागी आदि का चयन के बारे में विवरण किया।
- किसानों को 15 नवंबर बोआई फसल चोटी (टॉप) तक करने सूचित किया गया।

कर्नाटका :

दि. 13/06/2016 को चिलकुंदा प्लैटफार्म में कर्नाटका के हल्की मिट्टियों में एफसीवी तम्बाकू के लिए उत्पादन नियंत्रण और उत्तम कृषि प्रयत्नों पर कार्यशाला आयोजन किया गया।





दि. 13 जून 2016, को चिलकुंदा प्लैटफार्म में क ह मि में एफसीवी तम्बाकू के लिए उत्पादन नियंत्रण और उत्तम कृषि प्रयत्नों पर एक कार्यशाला आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में माननीय संसद सदस्य, मैसूर, निदेशक (नी), बेंगलूर और प्रादेशिक प्रबंधक, मैसूर / पेरियपट्टना, बोर्ड सदस्य, कर्नाटका के सभी नीलाम अधीक्षक, और आईटीपी से विशेषज्ञ आदि प्रमुख भाग लिये। कर्नाटका के सभी नीलाम प्लैटफार्मों से 150 ग्रोयरों इस कार्यशाला में उपस्थित हुए।

- श्री प्रताप सिंह, माननीय संसद सदस्य, मैसूर ने ग्रोयरों को सूचित किया कि उत्तम प्रयासों के कारण ग्रोयरों को समय पर उर्वरकों आपूर्ति हुई और ग्रोयरों को सूचित किया कि एनटीआरएम मुक्त तम्बाकू का ही विपणन करें। केतंअसं, हुन्सूर के विशेषज्ञ ने स्पष्ट किया कि ग्रोयरों को उत्तम गुणवत्ता तम्बाकू प्राप्त करने निम्नलिखित उत्तम कृषि अभ्यासों का ही अनुसरण करें।
- प्रादेशिक प्रबंधक, मैसूर “उत्पाद नियंत्रण और उत्तम गुणवत्ता तम्बाकू प्राप्त करने निम्नलिखित उत्तम कृषि अभ्यासों पर ग्रोयरों को सम्बोधित किया और अनुरोध किया कि उत्तम औसतम मूल्य प्राप्त करने बेहतर गुणवत्ता तम्बाकू का उत्पाद करें।
- उर्वरकों का सही उपयोग
- केतंअसं द्वारा सिफारिश के अनुसार आवश्यक होने पर उर्वरक का उपयोग
- रोग प्रचलित मिट्टियों केलिए प्रतिरोधी किरम (एफसीएच 222) को अपनाने के लिए सूचित किया गया।
- किसानों को हरा खाद फसलों को अपनाने तथा मिट्टी स्थिति को उपजाऊ बनाने एफवाईएम को अपनाने के लिए सूचित किया गया था।

निदेशक (नीलाम) ने भारत सरकार द्वारा अपनाये गये तम्बाकू विरोधी नितियाँ जैसे., फसल परिमाण में घटाव, वर्तमान मूल्य समर्थ्याएँ तथा प्रकृति की रक्षा करने खवयं ईधन को रैज करना आदि., पर ग्रोयरों को सूचित किया।

115. प्रचार एवं विस्तार सामग्री :




जीरपी पर ग्रोयरों को करपत्र रीलीज



बोर्ड ने, हरा खाद और ओरेखन्हे को नियंत्रण करने के लिए लिया जाने वाला उपाय, अच्छी कृषि पद्धतियों, आई पी एम, ट्रे नर्सरियों, एन टी आर एम का उन्मूलन और उत्तम संसाधन अभ्यासों पर पर्चियों एवं कुछ पुस्तिकाएँ प्रकाशन की। सभी प्लैटफार्म में ग्रोयर समुदाय को एनटीआरएम & सीपीए पर जानकारी कार्यक्रमों का व्यवस्था की।

11.6 क्षेत्र मित्र :



फसल प्रेक्षण और स्पाट सूचनाओं के लिए क्षेत्र मित्र दल का विजिट

क्षेत्र मित्र दल द्वारा फसल का प्रेक्षण और उत्तर कृषि पद्धतियों पर ग्रोयरों को सूचना



तन्वाकू बोर्ड ने, केंद्रीय से विशेषज्ञों, मेसर्स. आई टी सी लिमिटेड & मेसर्स जी पी आई लिमिटेड के क्षेत्र कार्यकारीगण, बोर्ड के तकनीकी अधिकारियों आदि., से समाविष्ट दलों द्वारा “क्षेत्र मित्र” का कार्यव्ययन किया था। ये क्षेत्र दल, नीलामी प्लैटफार्म में उनको सोंपे गये तम्बाकू ग्रोयर गाँवों को विजिट करके, फसल उत्पादन & संरक्षण, पैदावार, क्यूरिंग, पेरिट्साइडों का उपयोग घटाने, टॉपिंग & डी - सक्करिंग, एनटीआरएम का निर्मूलन, उत्तर फसल उत्पाद प्रबंध आदि अभ्यासों के उन्नत पैकेज पर ग्रोयरों को सलाह देती है।

XII. ऑन फार्म परीक्षण & प्रयोगात्मक प्रयास :

आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में फसल विकास क्रियाकलापों के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन हेतु 32 ऑन फॉर्म परीक्षण बोर्ड ने किया। उपज व गुणवत्ता के विषय में प्रतिष्ठित किरम के 326 (उहमि) तथा कांचन (कहमि) के साथ, संकर किरम एलवी7/सीपच 3 के साथ उहमि/कहमि क्षेत्रों में सिरी तथा टी 1158 जैसे प्रतिष्ठित किरमों के साथ पाइप लाइन किरम (टीबीएसटी-2) निष्पादन को जानने के लिए अभिरुचित फार्म क्षेत्रों में आंप्र के दहमि/दकामि क्षेत्रों में ऑन फॉर्म परीक्षण बोर्ड ने किया।

इन प्लॉटों में विशेषज्ञों से फसल के निष्पादन, इन परीक्षणों के परिणामों और नवीनतम तकनीकी विकास की जानकारी दिलाने के लिए उनको एकत्र करने के द्वारा इन प्लाटों में “क्षेत्र दिवस” कार्यक्रम आयोजित किया गया।



ओएफटी प्लाट में अपनाये उत्तम कृषि प्रयासों का मूल्यांकन



द्रग्यल प्लाट का प्रेक्षण करने विशेषज्ञो/व्यापारी का विजिट

XIII. नमूना परियोजना क्षेत्र :

तम्बाकू के उत्पादकता, गुणवत्ता संघटितता तथा थाम रखने के लिए कर्नाटका में 1180.06 हे. तथा आन्ध्र प्रदेश में 527.40 हेक्टे. क्षेत्र में नमूना परियोजना को कार्यव्ययन बोर्ड ने किया था। कर्नाटका के 995 ग्रोयरों तथा आन्ध्र प्रदेश के 375 ग्रोयरों कवर किये गये। आन्ध्र प्रदेश में याने., उ ह मि क्षेत्र में 5 नमूने परियोजना क्षेत्र और कर्नाटका में 12 एम पी ए गाँव हैं, जहाँ चयनित निम्न उपज क्षेत्रों में तम्बाकू के उत्पादकता, गुणवत्ता/संघटितता तथा थाम रखने को बढ़ाने के लिए उत्तम अभ्यासों का कार्यान्वयन किया।

एमपीए गाँवों को अपनाने द्वारा एमपीए खेत क्षेत्रों में विकासात्मक क्रियाकलापों में मेसर्स आईटीसी लिमिटेड - एबीडी-लिमिटेड, मेसर्स गाड़फ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, मेसर्स डेक्कन टुंबाको एंटरप्राइजेस सम्मिलित हैं।



उत्तम कृषि प्रयासों का मूल्यांकन



विशेषज्ञ / व्यापारी द्वारा नीरीक्षण

XIV. ओरबान्खे नियंत्रण पर कार्यवाही योजना :

2016-17 फसल मैसम के दैरान ओरबान्खे उत्पीड़ना के कारण आन्ध्र प्रदेश में फसल हानि होने की पूर्व अनुभवों को दृष्टि में रखते हुए, बोर्ड ने, केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजमहेन्द्री के समन्वय से एफ सी वी तम्बाकू ग्रोयरों को सभी फसल दशाओं में (रोपण से पहले और बाद में) नीलाम प्लैटफार्म वार जागरूकता कैंप, विशेषज्ञ/बोर्ड के तकनीकी आधिकारियों के क्षेत्र मित्र सलाहकार दलों के द्वारा सूचित किया गया था।

प्रधान चिन्तित विषय यह रहा है कि, इस पेरासाईट के खिलाफ संरक्षण के लिए प्रभावपूर्ण, किफायती तथा संपूर्ण साबित कोई प्रणाली नहीं रहा है। यहाँ केवल एक ही एकीकृत दृष्टिकोण रहा है, जो डामेज थ्रेशहोलड मात्राओं के नीचे इस पेरासाईट की जनसंख्या को रखरखाव करने इस तरह की विभिन्न तकनीकी सम्मिलित हो।



ओरेबान्खे नियंत्रण पर ग्रोयरों को विशेषज्ञ का अभिभाषण

- ❖ मई तथा जून 2015 महीने के दैरान सभी नीलाम प्लैटफार्मों में ग्रोयर बैठक आयोजित किये गये और ग्रोयरों को गहरा गर्मी प्लाइंग, खूँटियों की सफाई और इसका जलाना आदि पर जानकारी दिया गया।
- ❖ अन्तर्वर्ती फसल जैसे अदरक और जोवर आदि, जो ओरेबान्खे को कुछ सीमा तक रोकते हैं, को रैज करने पर बल दिया। इसके अलावा लोबिया, काला चना, मूँग जैसे फसल भी प्रभावपूर्ण सावित हुईं।
- ❖ खड़ी फसल पर ओरेबान्खे प्रकोप के मामले में रुट परजीवी के प्रसार को रोकने पुष्पण से पहले ओरेबान्खे को निकालना तथा इसको जला देने के लिए सूचित किया गया। यह सुनिरिचता करें कि पशु और भेड़ आदि को आरेबन्खे अंकुरों को छूने न देना ताकि जन्तुओं के उत्सर्ग के द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्रों को बीजों का प्रसार का साधन न बने।
- ❖ फसल रोटेशन गरमियों में जोतना और अन्तर्वर्ती फसलों की रैजिंग की आवश्यकता पर रोपण से पहले (मई) रोपण के बाद (अक्तूबर) ग्रोयरों की जानकारी के लिए प्लेकसी बेनर प्रदर्शित करना।

XV. 2016-17 में व्यय :

सभी विस्तार एवं विकास योजनाओं के लिए ₹ 326.23 लाख की राशि खर्च हुए।

XVII. लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ :

योजनावार भौतिक / वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ विवरण पृष्ठ सं. 54-62 में दिया गया हैं।

2016-17 फसल नीसाम - लक्ष्य और उपलब्धि - विस्तार और विकासात्मक योजनाएँ

क्र.सं	योजना का नाम	प्रत्यक्ष लक्ष		लाभक्रमियों की सं.		प्रत्यक्ष उपलब्धि		विद्युतीय पहिलाई	
		आं.प्र.	के.के.	कुल	आं.प्र.	के.के.	कुल	आं.प्र.	के.के.
1 फार्म मशीनीकरण									
i)	पीवीपी पाइप्स (यूनिट)	3880	0	3880	228	0	228	3820	35.00
ii)	भार तौल स्केल (यूनिट)	0	0	0	0	0	0	0	0.00
iii)	वस्त्रोर्मीटर (यूनिट)	0	2525	2525	0	2214	2214	2214	0.00
iv)	टैन कलिंवेटरस (यूनिट)	0	0	0	0	0	0	0	35.00
v)	नापसाक श्रेयर्स (यूनिट)	0	880	880	0	2064	2064	2064	0.00
	उपकुल				228	4278	4506		
2 तरचाकू की गुणवत्ता व उपज उन्नति									
i)	जल यंत्र संरचना								
	(फार्म पाण्ड)	0	0	0	0	0	0	0.00	0
ii)	संघटित पेरस्ट प्रबंधन अभ्यास	0	0	0	0	0	0	0.00	0
क.	फेरोमोन जाल	29200	17300	46500	1036	456	1492	23836	7777
छ.	पीला चिपचिपा जाल	19420	12700	32120	1060	450	1510	16482	5749
								22231	
								96050.00	31653.00
									127703.00

क्र.सं	योजना का नाम	प्रत्यक्ष लक्ष		लाभांशोंगियों की सं.		प्रत्यक्ष उपलब्धि		विद्युतीया परिव्यय (₹ लाख)	आं.प्र.	के के	विद्युतीय उपलब्धि
		आं.प्र.	के के.	कुल	आं.प्र.	के के.	कुल				
iii) पत्ता / कीटनाश विश्लेषण											
क. कीटनाश अवशेष लिए पत्ता का विश्लेषण	123	101	224	0	0	0	123	101	224	22.00	9222870.00
ख. रासायनिक अंशभूतों के लिए पत्ता का विश्लेषण	123	101	224	0	0	0	123	101	224	22.00	250098.00
iv) हुणता सीडिलंग्स के लिए दें व कोकोपिट की आपूर्ति (दे)	0	1348620	1348620	0	3816	3816	0	739887	739887		0.00
v) दें जर्सरी ऐज करने दे की आपूर्ति	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.00	0.00
vi) हरि हाऊस / पॉली हाऊस के उत्थापन (संख्या)	0	0	0	0	162	162	0	162	162	0.00	0.00
vii) जीव - कीटनाशी की आपूर्ति											316500.00
क. द्रिकोडेर्मा हर्जियानम	0	0	0	110	70	180	134	223.20	357.20		6844.00
ख. युडोमोनस फ्लूरीसेन्स	0	0	0	110	117	227	135	226.05	361.05	7.00	8076.00
उपकुल :				2316	5071	7387				83.80	1530300.00
3 व्यूरिंग अभ्यासों का सुधार											
i) बखारों में (वेचुरी फर्मेस) फर्मेस के युधारित अभिकल्प	77	0	77	71	0	71	71	0	71	117.00	357825.00
ii) गलास बूल त पृथककरण	2000	0	2000	2093	0	2093	1998	0	1998	11119302.00	0.00



क्र.सं	बोजना का नाम	प्रत्यक्ष लक्ष		लाभमोहियों की सं.		प्रत्यक्ष उपलब्धि		वित्तीय परिव्य	वित्तीय उपलब्धि		
		आ०.प्र.	के०.के.	कुल	आ०.प्र.	के०.के.	कुल	(₹ लाख)	आ०.प्र.	के०.के.	कुल
iii)	तन्माकू व्यूरिंग केलिए (सापलिंग की संख्या) ईधन के बढ़ाना	341253	94000	435253	0	0	0	129320	87000	216320	10.00
									165460.00	615388.00	780848.00
	उपकुल										
4	एनटीआरएम का उच्चलन व उत्पाद संपूर्णता								127.00	11642587.00	615388.00
i)	तारपालीन (नौन एमपीए व एनटीआरएम मुख्यता)	2733	3000	5733	2460	4202	6662	2460	4202	6662	100.00
									3421206.00	3880208.00	7301414.00
5	उत्तर हारवेस्ट उत्पाद प्रबंधन										
i)	चालिंग शेडों का निर्माण	90	0	90	8	0	8	8	0	8	6.00
									105000.00	0.00	105000.00
6	अन्य विस्तार कार्यक्रम										
i)	किसानों व द्वारा के लिए प्रशिक्षण										
क.	कार्यशालाएँ	0	0	0	294	255	549	2	2	4	61950.00
ख.	प्रादेशिक प्रबंधकों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम	0	0	0	0	130	130	0	1	1	0.00
ग.	नीं अ द्वारा प्रशि. कार्य.	120	120	240	12254	5181	17435	231	111	342	15.00
घ.	एनपीएम के घर्हों अधिकारियों / कर्मचारी / ग्रोयरों को प्रशिक्षण कार्यक्रम	0	0	0	30	0	30	1	0	1	197550.00
											0.00
											197550.00

क्र.सं	योजना का नाम	प्रत्यक्ष लक्ष		लाभांगियों की सं.		प्रत्यक्ष उपलब्धि		वित्तीय परिणय	वित्तीय उपलब्धि	
		आं.प्र.	के.के.	कुल	आं.प्र.	के.के.	कुल	आं.प्र.	के.के.	कुल
इ.	कें तं अ सं के यहाँ अधिकारियों / कर्मचारी / ग्रोयर को परिक्षण कार्यक्रम	0	0	0	0	0	0	0	0	36000.00
ii)	प्रचार व विस्तार साहित्य	0	0	0	0	0	0	0	3.00	57000.00
iii)	अद्ययन दौरा	20	0	20	469	0	469	20	15.00	203184
iv)	ग्रोधरों को पुरस्कार	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
v)	शेत्र मित्र दल	0	0	0	0	16	8	24	6.00	37871.00
	उपकुल :				13047	5566	18613	42.00	1080903.00	327768.001408671.00
7	आँच फार्म परीक्षण व प्रयोगात्मक प्रयास	0	0	0	1285	755	2040	20	12	32
8	नमूना परियोजना क्षेत्र (हेक्टेर)							6.50	231141.00	140474.00
i)	पीवीसी पाइप	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
ii)	वस्त्रोमीटर	0	0	0	308	308	308	308	0.00	51128.00
iii)	नापसाक एयार्स (यूनिट)	0	0	0	191	191	191	191	40.00	119352.00
iv)	फेटेमोन जाल	0	0	0	156	528	684	3852	9333	13185
v)	पीला विपविपा जाल	0	0	0	151	585	736	2223	6833	9056



क्र.सं योजना का नाम	प्रत्यक्ष लक्ष	लाभभोगियों की सं.	प्रत्यक्ष उपलब्धि	वित्तीय परिव्यय	वित्तीय उपलब्धि
	आं.प्र. के.के.	कुल	आं.प्र. के.के.	कुल	(₹ लाख) आं.प्र. के.के. कुल
vi) जीव कीटनाशी					
क.) द्रिकोडेमा हर्जियानम	0	0	108	677	785 113.5 1925.28 2038.78 5552.00 97889.00 103441.00
ख.) युडोमोनस फ्लूटीसेन्स	0	0	108	682	790 115.0 1816.44 1931.44 6783.00 113738.00 120521.00
vii) दें व कोकोपिट	0	0	0	171	171 0 37890 37890 0.00 350539.00 350539.00
viii)	0	0	0	0	0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ix) सक्करसाइड (आईटीएस)	0	0	0	0	0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
x) फर्बेस के सुधार अभियान्त्र (वीएफ, जीडब्ल्यूआर)	0	0	0	0	0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
xi) बलिंका शेड	0	0	0	0	0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
xii) टारपालीन	0	0	0	202	391 593 202 391 593 384810.00 347572.00 732382.00
xiii) विष्टार कार्यकारों/मास्टर/देंत्र मानव क्यूरूर	0	0	0	0	0 0 0 0 0.00 274254.00 274254.00
xiv) एमपीए में अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम	0	0	516	698	1214 10 11 21 175182.00 82710.00 257892.00
उपकुल :			1241	4231	5472 40.00 625102.00 1580236.00 2205338.00
कुल योग :			22749	24103	46852 440.30 19204749.00 13418811.00 32623560.00

2016-17 के दौरान विभिन्न विस्तार व विकासालंक योजनाओं के अंतर्गत अजा/अन्य श्रेयों को कवरेज

क्र. स.	योजना का नाम	लाभग्रहकों			परिलक्षियाँ			वित्तीय (सक्षिप्ती में)				
		अ.जा.अ.ज.जा.महिला	अन्य	कुल	अ.जा.अ.ज.जा.महिला	अन्य	कुल	अ.ज.जा.	अ.ज.जा.	महिला	अन्य	कुल
1	फार्म जशीनीकरण											
i)	पीवीसी पाइप्स	17	0	46	165	228	290	0	790	2740	3820	77840.00
ii)	कर्चूरोमीटर	181	89	495	1449	2214	181	89	495	1449	2214	30046.00
iii)	रन्नापासाक स्पेयर्स	309	119	361	1275	2064	309	119	361	1275	2064	363075.00
	उपकुल :	507	208	902	2889	4506						470961.00
2	ताम्बाकू की उपज व गुणवत्ता उन्नति											
i)	जल यंत्र संरचना (पार्म पाण्ड)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii)	संधारित पेट्ट प्रबंधन अभ्यास											
क.	फेरेमोने जाल	37	31	322	1102	1492	576	550	7416	23071	31613	6378.00
छ.	पीला चिपचिपा जाल	27	31	310	1142	1510	308	399	4677	16847	22231	1694.00
iii)	पत्ता/कीटनाश विश्लेषण											
क.	कीटनाश अवशेष केरिए पत्ते का विश्लेषण	0	0	0	0	0	0	0	0	224	0.00	0.00
छ.	रसायनिक अश्वमतों के लिए पत्ते विश्लेषण	0	0	0	0	0	0	0	0	224	0.00	0.00
iv)	गुणवत्ता सीडिलिंग के लिए दृव कोकोपिट की आपूर्ति	337	150	707	2622	3816	69246	29838	140877	499926	739887	448302
												193167
												651693
												2312655
												3605817



क्र. सं.	योजना का नाम	लाभग्रहकों			भौतिक (यूनिट)			वित्तीय (सम्बिद्धि में)						
		अ.जा.अ.ज.जा.	महिला	अन्य	कुल	अ.जा.अ.ज.जा. महिला	अन्य	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	महिला	अन्य	कुल	
vi	ट्रैट													
vii	हिरि हाउस/पॉली हाउस के उत्पादन	10	5	19	128	162	10	5	19	128	162	185000.00	75000.00	
vi)	जीव-कीटनाशी की आपूर्ति :													
क.	प्रिकोडिमा हाजियानम	7	14	30	129	180	24.00	40.50	46.35	246.35	357.20	1935.00	3265.00	
ख.	युजेनेक्स फ्लूरीसेल्स	7	9	42	169	227	21.00	11.00	55.87	273.18	361.05	1998.00	1078.00	
	उपकुल :	425	240	1430	5292	7387					478807.00	213175.00	790681.00	2943021.00
3	क्षयित्वा अव्याप्ति का चुधार													
i)	फर्नेस के (वीएफ) सुधारित अभिकल्प	2	2	18	49	71	2	2	18	49	71	13000.00	13000.00	
ii)	हलास वूल छत पृथक्करण	142	100	533	1318	2093	131	91	519	1257	1998	731565.00	499691.00	
iii)	तमच्छु क्यार्बोर्ग केलिए इधन का ऐंजिंग (एकड़ों में)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216320	0.00	0.00	
4	एनटीआरएमएस का अन्वयन व उत्पाद प्रबंधन													
i)	तारपालीन	547	324	1269	4522	6662	547	324	1269	4522	6662	750765.00	492200.00	
5	उच्च हारेक्स्ट उत्पाद प्रबंधन													
i)	बालिंका शोडा का विनाण	0	0	0	8	8	0	0	0	8	8	0.00	0.00	
												105000.00	105000.00	

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभग्रहकों			परिवर्तियाँ भौतिक (यूनिट)			वित्तीय (सालिडी में)			
		अ.जा.	अ.ज.जा.	महिला	अन्य	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	महिला	अन्य	कुल
6	अन्य विस्तार कार्यक्रम										
i)	फिलाव व स्टफ के लिए प्रशिक्षण	0	0	0	0	549	0	0	0	4	0.00
क.	कार्यशालाएँ	0	0	0	0	130	0	0	0	1	0.00
ख.	प्रादीपिक प्रबधकों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम	0	0	0	0	17435	0	0	0	342	0.00
ग.	दी अ द्वारा प्रशि. कार्य.	0	0	0	0	30	0	0	0	1	0.00
घ.	एनपीएचएम के यहां अधिकारियों/ कर्मचारी/गोचरों का प्रशिक्षण	0	0	0	0	18613	0	0	0	0	0.00
ड.	केंद्रिय संसद में अधिकारियों / कर्मचारी गोचरों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ii)	प्रचार व विस्तार साहित्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
iii)	अस्थयन दोया	0	0	0	0	469	0	0	0	20	0.00
iv)	गोचरों को पुरस्कार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
v)	क्षेत्र मित्र दल	0	0	0	0	0	0	0	24	0.00	0.00
	उपकुल :	0	0	0	0	18613	0	0	0	0.00	0.00
7	आन फार्म परीक्षण व प्रयोगालक प्रयास	0	0	0	0	2040	0	0	0	32	0.00
											371615.00



क्र.	सं. योजना का नाम	लाभगुहको				परिलक्षित (यूनिट)				वित्तीय (समिक्षाई में)		
		अ.जा.अ.ज.जा.	महिला	अन्य	कुल	अ.जा.अ.ज.जा.	महिला	अन्य	कुल	अ.जा.	महिला	अन्य
8	लकड़ा परियोजना क्षेत्र (हेक्टेर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
i)	पीथिसी पाइप	12	15	86	195	308	12	15	86	195	308	1992.00
ii)	क्षूरोमीटर	6	6	28	151	191	6	6	28	151	191	7050.00
iii)	स्त्रापसाक फेयर्स	25	33	142	484	684	435	650	2970	9130	13185	4916.00
iv)	फेरेमोने जाल	38	37	145	516	736	431	457	1855	6313	9056	7345.00
v)	पीला चिपचिपा जाल	36	36	168	545	785	80.59	74.19	450.88	1433.12	2038.78	6490.00
vi)	जीव कीटनाशी	36	36	169	549	790	87.87	91.17	438.63	1313.77	1931.44	8612.00
क.	ट्रिकोडेर्मा हरिंचियाकरम	36	36	169	549	790	87.87	91.17	438.63	1313.77	1931.44	8612.00
ख.	सुडोमोनस फलूरीसेन्स	10	3	31	127	171	2442	618	7518	27312	37890	22593.00
vii)	ट्रैट & कोकोपिट	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69552.00
viii)	ट्रैट	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ix)	फर्नेस के सूधार अभिकल्प (वेट्टुरी फर्नेस)	16	11	129	437	593	16	11	129	437	593	23165.00
x)	ताटपालीन	0	0	0	0	1214	0	0	0	21	0.00	0.00
xi)	परिक्षण व अन्य ब्यय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
xii)	विस्तार कार्यकारों/ परामर्शदाताओं/क्षेत्र मानव के मजदूरी	179	177	898	3004	5472	0	0	0	0	77190.00	53670.00
	उपकुल :	1802	1051	5050	17082	46852					2522288.00	1426335.00
	कहायोग :										5887521.00	17547175.00
												32623560.00

ग्रोयर कल्याण पहलू (सूत्रपात)

I) ग्रोयर कल्याण योजनाएँ :

तम्बाकू बोर्ड ने, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना & ओडिषा राज्यों में लगभग 89000 तम्बाकू ग्रोयरों और उनके परिवार सदस्यों की कल्याण करने के उद्देश्य से वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार का अनुमोदन के साथ 2009-10 में “तम्बाकू बोर्ड ग्रोयर कल्याण योजनाओं” प्रारंभ करने के द्वारा विभिन्न कल्याणकारी उपायों को अपनाया।

यह कल्याण योजना मृत्यु अनुदान के रूप में और बालिका विवाह, आश्रित बच्चों की शिक्षा, प्रधान बीमारियों/दुर्घटना मामलों का इलाज, जो शल्य चिकित्सा की आवश्यकता है और प्राकृतिक आपत्तियों/अग्नि दुर्घटनाओं के कारण बखारों को मरम्मत आदि., के लिए व्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता का प्रावधान करता है। तम्बाकू बोर्ड अभी तक अनुदान और ऋणों के शब्दों के रूप में 10,843 ग्रोयरों को वित्तीय सहायता का प्रावधान किया। ₹ 22.03 करोड मूल्य के अनुदान 7,637 लाभभोगियों को मंजूर किये गये तथा 3,206 ग्रोयरों को ₹ 5.19 करोड मूल्य के व्याज मुक्त ऋण मंजूर किया गया।

इस योजना का प्रारंभ से 2016-17 तक तम्बाकू बोर्ड का ग्रोयर कल्याण निधि में ₹ 55.08 करोड की राशि उपलब्ध रहा है।

2016-17 के दौरान अनुदानों के रूप में ₹ 4.32 करोड और व्याज मुक्त ऋणों के रूप में ₹ 0.34 करोड रूपये, कुल मिलकर ₹ 4.66 करोड व्याज मुक्त ऋण वितरित किये गये। 2016-17 के दौरान विस्तारित योजना वार अनुदान / व्याज मुक्त ऋण विवरण पृष्ठ सं. 64 में दिये गये।



विवरण (अनुदान + शृण)	योजना प्रारंभ से दिनांक 31-03-2017 तक					2016-2017 के दौरान (01-04-2016 से 31-03-2017 तक)				
	आं प्र	कलाटिका	कुल	आं प्र	कलाटिका	कुल				
अनुदान :	लाभ भौगियों की संख्या लाखों में	राशि (₹) लाखों भौगियों की संख्या	लाभ भौगियों की संख्या लाखों में	राशि (₹) लाख भौगियों की संख्या	लाभ भौगियों की संख्या लाखों में	राशि (₹) लाख भौगियों की संख्या	लाभ भौगियों की संख्या लाखों में	राशि (₹) लाख भौगियों की संख्या	लाभ भौगियों की संख्या लाखों में	राशि (₹) लाख भौगियों की संख्या
सहन मृत्यु	3620	914.75	3735	1137.05	7355	2051.80	327	163.85	403	230.15
दुर्घटना मृत्यु	186	107.50	96	61.00	282	168.50	20	19.50	19	19.00
कुल	3806	1022.25	3831	1198.05	7637	2220.30	347	183.35	422	249.15
ऋण :										769
बालिका विवाह सहायता	57	13.50	556	145.00	613	158.50	3	1.00	49	17.25
प्रधान विमारी / दुर्घटना सामाला, जो शल्य चिकित्सा आवश्यक दुर्घटना मामलों का डाकटरी चिकित्सा के लिए ऋण डामेज बखार / अग्नि दुर्घटना के सरकमत के लिए ऋण	31	10.65	54	14.50	85	25.15	3	1.50	2	1.00
आश्रित बच्चों की शिक्षा के लिए ऋण	2224	260.05	6	1.40	2230	261.45	7	1.10	5	1.30
कुल	2524	341.76	682	177.65	3206	519.41	34	13.41	58	20.30
(अनुदान + शृण)	6330	1364.01	4513	1375.70	10843	2739.71	381	196.76	480	269.45
										861
										466.21



II. किसानों को उत्पादन से संबंधित सेवाएँ :

क. मिट्टी व जल परीक्षण :

पंजीकृत तम्बाकू ग्रोयरों के मिट्टी व जल नमूनाओं को एकत्र एवं विश्लेषण नियमित आधार पर मुफ्त में बोर्ड करता है। विश्लेषण परिमाणों के आधार पर, एफ सी वी तम्बाकू कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी और गुणता व उपज वृद्धि के लिए उर्वरकों की सही मात्राओं को उपयोग करने के लिए बोर्ड, ग्रोयरों को सलाह देती है। 2016-17 फसल मौसम के दौरान, 6500 मिट्टी नमूनाओं और 680 जल नमूनाओं को विश्लेषण करके संबंधित ग्रोयरों को सूचित किया गया। उक्त के अलावा, 2016-17 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश में 950 मिट्टी नमूनाओं और कर्नाटका में 180 मिट्टी नमूनाओं को एफई, जड़एन, एमएन और सीयू आदि., पोषकतत्वों के विश्लेषण को अपनाया गया।

राज्य	मिट्टी नमूने	जल नमूने
आन्ध्र प्रदेश	2300	620
कर्नाटका	4200	60
कुल	6500	680

ख) एफ सी वी तम्बाकू ग्रोयरों के लिए बखार और माल (स्टाक) बीमा :

वर्ष 2003 से स्टांडर्ड फायर तथा एलाइड पेरिल्स पॉलसी (स्थाई अग्नि तथा संबंद्ध जोखिम पॉलसी) के जरिये क्यूरिंग और स्टोरेज के दौरान बखार तथा तम्बाकू स्टाकों को आच्छेद बीमा की सुविधा, बोर्ड दे रही है। पंजीकृत ग्रोयार भी हर साल ग्रूप पर्सनल एक्सिडेंस पालसी (जीपीए) (समूह वैयक्तिक दुर्घटना पॉलसी) के अंतर्गत आच्छादित होते रहते हैं। 2016-17 फसल मौसम के दौरान, यूनाईटेड इंडिया इन्सरेन्स कंपनी लिमिटेड, गुण्टूर ने आन्ध्र प्रदेश में 30,798 ग्रोयरों तथा 29,586 बखारों के लिए ₹ 1,492 करोड़ के आच्छेदन का प्रावधान किया।

ग) ग्रोयरों के लिए ऋण सुविधाएँ :

2016-17 के दौरान एफसीवी तम्बाकू की कृषि के लिए एफसीवी तम्बाकू ग्रोयरों को वाणिज्यक बैंकों द्वारा निम्न लिखित फसल ऋण और बखार मरम्मत ऋणों के अग्रिम की सुविधा, बोर्ड ने दी है:

ऋण का प्रकार	आन्ध्र प्रदेश		कर्नाटका	
	लाभभोगियों (₹ करोड़ों में)	राशि (₹ करोड़ों में)	लाभभोगियों (₹ करोड़ों में)	राशि (₹ करोड़ों में)
फसल ऋण	41732	1337.97	36881	320.343
बखार मरम्मत ऋण	5182	55.81	5978	18.905

III. अध्ययन यात्राएँ :

- तम्बाकू बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश अंतरिक्ष प्रयोग केन्द्र, विजयवाडा की तकनीकी सहायता से रिमोट सेन्सिंग तथा जी आई एस & जी पी एस तकनीकियों को उपयोग करके पश्चिम गोदावरी जिला में तम्बाकू एकरेज तथा उत्पादन को आकलन करने दो वर्ष (2016-17 & 2017-18) के लिए परियोजना को अपनाया।

- विज्ञान व तकनीकी, पर्यावरण & वन की संसदीय स्थायी समिति संबंधित विभाग के निदेशों के अनुसार राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी (एन ए ए आर एम), हैदराबाद द्वारा “तम्बाकू क्यूरिंग के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन” पर अध्ययन को अपनाया गया।
- तम्बाकू बोर्ड ने, प्रांतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आए ए आए एस), आचार्य एन.जी.रंगा कृषि विश्वविद्यालय, लॉम, गुण्ठूर की सेवाओं को उपयोग करके ‘वैकल्पिक फसलों की तुलना में एफ सी वी तम्बाकू उत्पादन के लिए आर्थिक विश्लेषण’ विषय पर एक अध्ययन को अपनाया। तम्बाकू बोर्ड ने, आई सी ए आर - केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान (सी टी आर आई), राजमहेन्द्री द्वारा ‘भारत के एफ सी वी तम्बाकू उगाने वाले मिट्टियों के लिए मिट्टी उर्वरता और ऑन-लाइन सिफरिश प्रणाली का मूल्यांकन’ पर भी एक अनुसंधान परियोजना को भी प्रायोजित किया था।

प्लौटफार्मों में नीलाम सेवाएँ :

तम्बाकू बोर्ड ने, क्रोताओं के बीच प्रतिस्थिर्धा की भावना को पैदा करने के लिए, तम्बाकू उत्पादकों को व्यायसंगत एवं लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने तथा उत्पादकों को सही भुगतान तथा तम्बाकू के ठीक तौलन सुरिश्चित करने के लिए नीलाम मंचों का निर्माण करके कर्नाटका में सन् 1984 में तथा आन्ध्र प्रदेश में 1985 के दौरान एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलाम प्रणाली शुरू की है। तब से लेकर बोर्ड एफसीवी तम्बाकू बिक्री के लिए, नीलामी प्रणाली का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करता आ रहा है।



एफ सी वी तम्बाकू का ई - नीलाम

I. आन्ध्र प्रदेश में 2015-16 एफ सी वी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलाम :

1.1 परिमाण एवं मूल्य :

2015-16 एफ सी वी तम्बाकू फसल की बिक्री के लिए आन्ध्र प्रदेश में एफ सी वी तम्बाकू नीलामियाँ 02 वित्तीय वर्षों में फैली गयी। 2015-16 एफ सी वी फसल की बिक्री के लिए नीलामियाँ 2015-16 वित्तीय वर्ष में प्रारंभ (25/02/2016) और समापन वित्तीय वर्ष 2016-17 (31/08/2016) में हुई। उसी प्रकार 2016-17 एफ सी वी फसल की बिक्री के लिए नीलामियाँ भी दो वित्तीय वर्षों में याने., 2016-17 में प्रारंभ होकर (15/03/2017) और समापन 2017-18 वित्तीय वर्ष में हुआ। 2015-16 वित्तीय वर्ष के दौरान, दि. 31/03/2016 तक 2015-16 एफ सी वी तम्बाकू का ₹ 8.94 मि.कि.ग्रा. परिमाण, जो ₹ 137.01 प्रति किलोग्राम के औसतम मूल्य में विपणन हुआ तथा बाकी तम्बाकू 2016-17 वित्तीय वर्ष के दौरान विपणन हुआ।

आन्ध्र प्रदेश में, 2015-16 फसल की बिक्री का नीलाम दि. 31/08/2016 को समाप्त हुई। तम्बाकू का 118.24 मि.कि.ग्राम का कुल परिमाण प्रत्येक किलोग्राम का ₹ 116.09 के औसतन मूल्य में नीलाम मौसम के अन्त तक विपणित किया गया, जिसमें 109.30 मि.कि.ग्राम तम्बाकू को दि. 01-04-2016 से दि. 31/08/2016 तक याने 2016-17 वित्तीय वर्ष के दौरान प्रति कि. ग्राम ₹ 114.37 के औसतन दाम पर विपणित किया गया। दि. 01/04/2016 से 31/08/2016 तक की अवधि के दौरान 2015-16 फसल के विपणित नीलाम प्लौटफार्म वार तम्बाकू का परिमाण पृष्ठ सं. 80 में दिया गया है।

1.2 क्रेता प्रतिभागिता :

2016 आन्ध्र प्रदेश नीलामियों में, पिछले वर्ष के 100 क्रेताओं की जगह, कुल 98 क्रेताओं ने भाग लिया।

1.3 अतिरिक्त एवं अप्राधिकृत फसल बिक्री के लिए ग्रोयरों की अनुमति :

भारत सरकार ने अधिसूचना सं. एस.ओ. 2240 (ई) & 2241 (ई), दि. 28 जून, 2016 द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य में पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त परिमाण तम्बाकू की बिक्री के लिए, बशर्ते कि 7.5% सेवा प्रभार तथा प्राधिकृत कोटा की 10% की सीमा तक ₹ 2.00 प्रति किलो अतिरिक्त शुल्क भुगतान करने पर और पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा प्राधिकृत कोटा से अधिक से अधिक 10% सीमा तक उत्पादित तम्बाकू की बिक्री तथा प्लू क्यूरड वर्जीनिया तम्बाकू का प्रत्येक अप्राधिकृत ग्रोयर, जो 2015-16 फसल मौसम के दौरान तम्बाकू उत्पादित किया है, को भी 15% सेवा प्रभार और ₹ 2.00 प्रति किलो अतिरिक्त शुल्क भुगतान करने पर बिक्री के लिए अनुमति दी।

आन्ध्र प्रदेश में पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा बिक्रित अतिरिक्त तम्बाकू और अप्राधिकृत ग्रोयरों द्वारा बिक्रित अप्राधिकृत तम्बाकू परिमाण विवरण निम्ननुसार है :

क्र. सं	ग्रोयर का संवर्ग	ग्रोयरों की संख्या	विपणित परिमाण (मि. कि.ग्रा)	औसत मूल (₹ किलो)
1.	पंजीकृत ग्रोयर	23052	11.82	93.19
2.	अपंजीकृत ग्रोयर	64	0.07	86.39

1.4 न्यूनतम गारंटी मूल्य :

2015-16 आन्ध्र प्रदेश एफसीवी तम्बाकू के लिए कोई न्यूनतम गारंटी मूल्य नहीं है।

1.5 क्रेताओं द्वारा भुगतान :

2015-16 आन्ध्र प्रदेश नीलामियों के दौरान, क्रेताओं ने, क्रयित तम्बाकू के मूल्य पर 1% की सेवा प्रभार सहित, तम्बाकू का मूल्य चुकाया है। 2015-16 आन्ध्र प्रदेश फसल के लिए खरीदे गये तम्बाकू का कुल मूल्य ₹ 1,372.61 करोड़ का है।

1.6 ग्रोयरों को भुगतान :

आन्ध्र प्रदेश में 2015-16 नीलामियों के दौरान बोर्ड ने, ग्रोयरों के द्वारा रखरखाव किये जाने वाले विभिन्न बैंक खाताओं में तम्बाकू की बिक्री प्रोसीड़ों की रकम ₹ 1,372.61 करोड़ राशि की जमा सीधे की है।

1.7 तम्बाकू उपकर :

नीलाम प्लॉटफार्मों में विक्रित तम्बाकू पर प्रति किलो के लिए एक पैसा के हिसाब से “तम्बाकू उपकर” के रूप में, जो पिछले वर्ष में वसूल ₹. 19,02,425/- की तुलना में, 2015-16 आन्ध्र प्रदेश के नीलामियों के दौरान ₹. 3,28,537/- की राशि ग्रोयरों से वसूल हुई थी। भारत सरकार द्वारा राजपत्र सं. 32, दि. 14/05/2016 द्वारा दि. 14/05/2016 से तम्बाकू पर लेवी और उपकर की वसूली समाप्त करने के कारण 2015-16 नीलामियों के दौरान उपकर का कम वसूल रहा है।



1.8 सेवा प्रभार :

2014-15 आन्ध्र प्रदेश फसल के लिए वसूले गये ₹ 48.72 करोड़ों की तुलना में, 2015-16 आन्ध्र प्रदेश फसल के लिए अप्राधिकृत परिमाण से उत्पादित अतिरिक्त तम्बाकू और पंजीकृत ग्रोयरों के द्वारा बेचे गये तथा अपंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित अप्राधिकृत तम्बाकू पर अतिरिक्त सेवा प्रभार एवं प्रति कि.ग्रा. को ₹ 2/- के अतिरिक्त शुल्क मिलाकर, सेवा प्रभार के रूप में ग्रोयरों के साथ-साथ क्रेताओं से ₹ 25.24 करोड़ राशि वसूली की गयी।

1.9 क्रेता निष्पादन :

पिछले वर्ष की खरीदों की तुलना में, निर्माताओं, निर्यातिकों एवं डीलरों के द्वारा खरीदे गये तम्बाकू का परिमाण तथा उनके द्वारा भुगतान किये गये औसतन मूल्य निम्नलिखित प्रकार हैं :

क्रम सं	क्रेताओं का संवर्ग	2015 आन्ध्र प्रदेश नीलामियाँ			2016 आन्ध्र प्रदेश नीलामियाँ		
		परिमाण (मि.कि.ग्रा)	% हिस्सा	औसतन मूल्य (रु. कि.ग्रा)	परिमाण (मि.कि.ग्रा)	% हिस्सा	औसतन मूल्य (रु. कि.ग्रा)
1.	निर्माणकर्ता	100.26	52.76	99.71	59.82	50.60	121.63
2.	निर्यातिक	74.45	39.17	90.87	46.34	39.20	116.35
3.	अन्य (डीलर)	15.34	8.07	60.32	12.08	10.20	87.67
	कुल	190.05	100.00	93.07	118.24	100.00	116.09

1.10 आन्ध्र प्रदेश नीलाम बिक्रियों की विशेषिताएँ :

निर्धारित फसल परिमाण और अनुमानित उत्पादन :

विश्व तम्बाकू बाजार में अधिक बचे गये स्टॉकों, पिछले वर्ष से रहे प्रबल कठिन बाजार परिस्थितियों तथा फसल केलिए माँग को देखते हुए, जो पूर्व वर्ष के लिए निर्धारित 172 मिलियम कि.ग्रा. के विपरीत 2015-16 फसल मौसम के दौरान कुल मिलाकर सभी मिट्टी क्षेत्रों के लिए 120 मि.कि.ग्रा. का फसल परिमाण बोर्ड ने निर्धारित थी।

कुल मिलाकर, ग्रोयरों ने बोर्ड के उत्पादन योजनाओं को सहयोग दिया तथा तम्बाकू प्लानटेशन के अंतर्गत क्षेत्र को सीमित किया था। गैर - अनुकूल वातावरण परिस्थितियों के कारण 118.24 मि.कि.ग्रा. एफ सी वी तम्बाकू का उत्पादन प्राप्त हुई, जो इस वर्ष के लिए लक्षित फसल के लिए अधिक या कम रहा है।

इस मौसम के दौरान, ट्रान्सप्लानटेशन से पहले कम वर्षा के कारण दहमि क्षेत्र और दकामि क्षेत्र के नीलामी प्लॉटफामों में ट्रान्सप्लानटेशन देरी हुई थी। नवंबर महीने में प्राप्त भारी वर्ष के कारण कलिंगीरी, डी.सी. पल्ली और कन्दुकुरू नीलाम प्लॉटफामों में बखारों के साथ-साथ हाल ही रोपित फसल को भी हानी पहुँच गई। फसल की स्थापना के बाद, कोई वर्षा नहीं हुई, के कारण प्रधान वृद्धि अवधि के दौरान सूखा स्थिति जारी रहा। पसल वृद्धि अवधि के दौरान रहे सूखा वातावरण से (फसल) वृद्धि स्तरभित हुई, जिससे पैदावार प्रभावित हुई। यद्यपि, कुछ सीमा तक पैदावार प्रभावित होने पर पर भी, फसल वृद्धि अवधि के दौरान रहे दीर्घ सूखा स्थिति अधिकाधिक चमकीला श्रेणी तम्बाकू उत्पादन के लिए सहयोग दिया। कुछ प्रांतों (पैकेट) में “ओराबान्धे” जड़ परजीवि उत्पीड़ना के कारण कुछ सीमा तक पतला आकृति तम्बाकू का उत्पादन हुई। कुल मिलाकर इस फसल की गुणवत्ता काफी अच्छी रही।

2015-16 के दौरान क्षेत्र वार लक्षित फसल परिमाण, आकलित उत्पादन और विपणित परिमाण नीचे प्रस्तुत हैं:

क्र.सं.	मिट्टी क्षेत्र	लक्षित फसल (मि.कि.ग्रा.)	आकलित उत्पादन (मि.कि.ग्रा.)	विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा.)
1	उकामि क्षेत्र	3.00	2.66	2.70
2	दकामि क्षेत्र	37.00	40.60	42.60
3	दहमि क्षेत्र	45.00	40.24	33.39
4	उहमि क्षेत्र	35.00	42.84	39.54
	महा योग	120.00	126.34	118.24

श्रेणी आऊट टर्न :

2015-16 मौसम के दौरान विपणित चमकीला, मध्यम तथा निम्न क्षेणी तम्बाकू के लिए क्रमशः 30%, 39% & 31% के विपरित 2015-16 फसल मौसम के दौरान चमकीला, मध्यम तथा निम्न क्षेणी तम्बाकू केलिए क्रमशः 40%, 31% & 29% विषयन हुआ।

नीलाम विक्रियों का प्रारंभ :

2015-16 मौसम एफ सी वी तम्बाकू फसल की विक्री के लिए नीलामियों 3 दशाओं में नीचे दिये सारणी के अनुसार रहा है।

क्र.सं.	फेज	नीलामी विक्रियों का प्रारंभ तारीख	नीलाम प्लॉटफार्म
1.	पहली दशा	25/02/2016 गुरुवार	दहमि क्षेत्र के 7 नीलाम प्लॉटफार्म
2.	दसूरी दशा	11/03/2016 शुक्रवार	दकामि क्षेत्र के 7 नीलाम प्लॉटफार्म उहमि क्षेत्र के 5 नीलाम प्लॉटफार्म
3.	तीसरी दशा	11/04/2016 सोमवार	उकामि क्षेत्र के 1 नीलाम प्लॉटफार्म

बाजार स्थिति :

किसानों की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए उ का मि, द का मि, द ह मि & उ ह मि क्षेत्रों में नीलामियों के प्रारंभ दिन में दर्ज किया उत्पादन मूल्य, जो पिछले वर्ष के दौरान क्रमशः ₹115.00, ₹126.00, ₹125.00 & ₹141.00 दर्ज किये गये मूल्य के लिए क्रमशः ₹ 130.00, ₹ 146.00, ₹ 140.00 और ₹ 156.00 दर्ज हुई। गुणवत्ता तम्बाकू के लिए उ का मि, द का मि, द ह मि & उ ह मि क्षेत्रों के लिए इस मौसम के दौरान क्रमशः ₹ 170.00, ₹ 155.00, ₹ 155.00 और ₹ 185.00 उच्चतम मूल्य दर्ज हुई।

2015-16 मौसम के दौरान फसल उत्पादन, जो पूर्व वर्ष के 190.05 मिलियन कि.ग्रा. उत्पादन की तुलना में भारी कटौती रहा, के कारण नीलामियाँ सकारात्मक नोट के साथ प्रारंभ हुए और यह स्थिति नीलामियों के 20 दिनों के बाद जारी नहीं रहा, जो कि प्रधान निर्यातक नमूना उद्देश्य के लिए प्रारंभ क्रयों को करने के बाद अपने क्रयों को कम किये और निर्यात आदेशों की पृष्ठि के लिए इंतजार कर रहे हैं। नीलामियों की गति धीमा बनी, जो कि निश्चित घटिया किरम, ग्रीन और निम्न श्रेणियों को खरीदने वाला कोई नहीं रहा, के कारण निश्चित घटिया (ऑफ - स्टार्टल) किरम का मूल्य, प्रारंभिक मूल्यों की तुलना में ₹ 5/- से ₹ 10/- तक गिरावट आई।



चूँकी बाजार ने प्रारंभिक स्तर की कीमतों में गिरावट को देखी है, और कुछ निश्चित किस्मों, जीन और निम्न श्रेणियों के लिए कोई खरीदार नहीं रहे, के कारण अस्वीकृति की प्रतिशतता 30 से 35% तक पहुँच गया है, जिससे बाजार में कम बेल आने लग गये। इस के कारण अप्रैल, मई & जून महीनों में केवल 5,000 से 6,000 बेल आने लग गये, जो कि हांडलिंग क्षमता प्रति दिन 20,000 बेल रहा था।

किसानों की दृष्टिकोण में देखें तो, 2015-16 फसल मौसम में, जो गुणवत्ता अच्छी रहने पर भी पैदावार घटिया रहा था, के कारण बाजार मूल्य में कोई गिरावट उनके (किसानों) वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ेगा तथा उन्हें अपरिवर्तनीय ऋणों की ओर ले जायेगा। मंदगती बाजार स्थितियों की इस अवधि के दौरान किसान भारी दबाव में रहे तथा उत्पादन की लागत की वसूली के बारे में भी चिंतित थे और रघाभाविक रूप से परेशान रहे और अपने मनोव्यथा को प्रकट किये और आन्दोलन और निर्वाचित प्रतिनिधियों की हरतक्षेप के लिए माँग कर रहे थे।

समय बीतने के साथ, किसान भी दबाव को सहन नहीं कर पाये, जो कि अपने तम्बाकू को निपटान नहीं कर पाये तथा बेहतर कीमतों के लिए आंदोलन करने लग गये। माननीय आन्ध्र प्रदेश राज्य कृषि मंत्री ने दि. 12/04/2016 को तम्बाकू बोर्ड के पदाधिकारियों, भारतीय तम्बाकू संघ & व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ इस समीक्षा किया था। समीक्षा के दौरान माननीय मंत्री ने निम्नलिखित विषयों पर व्यापारी वर्ग को सूचित किया।

1. मंत्री ने, व्यापारी वर्ग से अनुरोध किया कि उ ह मि क्षेत्र के तम्बाकू के लिए उच्चतम मूल्य ₹ 160/- प्रति किलो तक बढ़ाने, ताकि किसान अपने तम्बाकू को विपणन के लिए ला सकें। व्यापारी वर्ग इस के लिए सहमत हुए और प्रति कि.ग्रा. के लिए ₹ 100/- देना शुरू कर दिया और इस मौसम के दौरान ₹ 185/- प्रति कि.ग्रा. तक शीर्ष कीमत बढ़ गया।
2. मंत्री ने, निर्यातिकों से विशेषकर प्रकाशम और नेल्लुरु जिलों में नीलामियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए अनुरोध किया था, ताकि नीलामियों की गति में वृद्धि और यथाशीघ्र अपने स्टाकों को परिसमापन कर सके।

इस संदर्भ में अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड ने दि. 22/04/2016 को भारतीय तम्बाकू संघ और व्यापारी वर्ग के साथ एक बैठक भी आयोजन किया तथा तम्बाकू को लाभकारी दरों में समाप्त करने के लिए उन पर जारे दिया।


मई महीने के अंत तक, निर्यातिकों की बढ़ती भागीदारी और श्रेणियों के परे तम्बाकू को उठाने के साथ बाजार धीरे-धीरे बढ़ती गयी। अस्वीकृति की प्रतिशतता भी धीरे-धीरे कम होता रहा और हर दिन काफी बड़ी मात्रा में नीलाम हुई।

बाद में, कोई प्रधान समर्थ्या बाजार में नहीं दिखायी दी और आसानी से समाप्त हुई।

2016 नीलामियों के दौरान चमकीला, मध्यम और निम्न श्रेणी के शब्दों में, विपणित तम्बाकू परिमाण और प्राप्त श्रेणीवार औसतम मूल्य, जो 2015 नीलामियों की तुलना करते हुए नीचे दिये गये :

मिट्टी क्षेत्र	श्रेणी	2016 नीलाम		2015 नीलाम		2015 नीलामियों के विपरीत 2016 में प्राप्त औसतम मूल्य में अंतर (₹)
		विपणित परमिण (मि.कि)	औसतम मूल्य (₹/कि)	विपणित परमिण (मि.कि)	औसतम मूल्य (₹/कि)	
उ का मि	चमकीला	0.96	122.24	0.96	103.12	19.12
	मध्यम	1.24	96.16	2.37	74.34	21.82
	निम्न	0.50	62.35	0.87	47.38	14.97
	कुल	2.70	99.28	4.20	75.38	23.90
द का मि	चमकीला	16.52	137.87	19.93	114.44	23.43
	मध्यम	9.62	112.72	18.63	91.78	20.94
	निम्न	16.46	73.56	25.92	53.85	19.71
	कुल	42.60	107.35	64.67	83.54	23.81
द ह मि	चमकीला	13.67	136.09	13.20	114.13	21.96
	मध्यम	9.25	114.99	19.91	92.61	22.38
	निम्न	10.47	68.73	23.89	49.35	19.38
	कुल	33.39	109.12	57.01	79.46	29.66
उ ह मि	चमकीला	15.55	157.60	22.20	131.10	26.50
	मध्यम	16.45	129.95	33.02	117.57	12.38
	निम्न	7.54	86.49	9.13	72.33	14.16
	कुल	39.54	132.53	64.36	115.82	16.71
सभी क्षेत्र	चमकीला	46.71	143.59	56.30	120.75	22.84
	मध्यम	36.56	120.48	73.94	102.96	17.52
	निम्न	34.97	74.74	59.81	54.78	19.96
सकल योग		118.24	116.09	190.05	93.07	23.02

2016 आं.प्र नीलामियों के दौरान प्रधान कंपेनियों की खरीदी विवरण निम्नानुसार है :



नीलाम बिक्रियों का समापन :

कुल मिलाकर, 118.24 मि.कि.ग्रा. तम्बाकू विपणना करने 150 नीलाम दिन लग गये। 2016 नीलामियों के दौरान प्राप्त औसतम मूल्य ₹116.09 प्रति कि.ग्रा., जो 2015 नीलामियों के विपरित ₹23.02 प्रति कि.ग्रा. अधिक रहा। इस मौसम के लिए नीलामी बिक्रियाँ 31 अगस्त, 2016 तक समाप्त हुईं।

II. कर्नाटका में 2016-17 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री केलिए नीलामियाँ :

2.1 कर्नाटका नीलामियों पर रिपोर्ट :

बोर्ड ने, आकलित देशीय और बाह्य माँग को दृष्टि में रखते हुए, कर्नाटका में 2016-17 एफसीवी तम्बाकू फसल मौसम केलिए 95 मि.कि.ग्रा का फसल परिमाण निर्धारण किया।

फसल मौसम के दौरान समय पर वर्षा प्राप्त हुई। जिससे इस मौसम केलिए शीघ्र प्लानटेशन अपनाने में सहायता मिली। ट्रान्सप्लानटेशन के बाद भी मई, जून & जुलाई महीनों के दौरान वर्षा की फेलाव अच्छी रही, के कारण एक रुपी फसल वृद्धि हुई और उत्तम गुणवत्ता वाली तम्बाकू उत्पाद प्राप्त हुई।

यह अनुमानित किया जाता है कि 95 मि.कि.ग्रा की लक्षित फसल परिमाण के लिए 89.10 मि.कि.ग्रा. क्यूरूड एफ सी वी तम्बाकू उत्पादन का अनुमान है। निम्न उत्पादन, जो विशेषकर किसान तम्बाकू प्लानटेशन के अंतर्गत क्षेत्र को सीमित रखना और अगस्त & सितम्बर महीने में पर्याप्त मात्रा में वर्षा की प्राप्ति न होना आदि., मुख्य कारण रहा था।

चमकीला, मध्यम तथा निम्न श्रेणी फसल के लिए आकलित आउटटर्न क्रमशः 31%, 42%, & 27% रहा।

कर्नाटका में 2016-17 एफ सी वी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ, जो आकलित 89.10 मि.कि.ग्रा. का क्यूरेड तम्बाकू को ई-नीलाम प्रणाली द्वारा विपणित करने के लिए 12 नीलाम प्लैटफार्मों में दि. 14/09/2016 को प्रारंभ हुई ।

चमकीला, मध्यम तथा निम्न श्रेणियों के लिए प्रति किलो को क्रमशः ₹.163.42, ₹.143.53 और ₹.98.68 औसतम मूल्य प्राप्त हुई ।

नीलामियों के प्रारंभ दिन में प्रति किलो ₹. 156/- का उच्चतम मूल्य दर्ज किया था गुणता तम्बाकू के लिए मौसम के दौरान प्रति किलो ₹. 182/- दर्ज किया गया ।


पिछले वर्ष के लिए कुल विपणित परिमाण याने., 71.95 मि.कि.ग्रा. केलिए प्राप्त औसतम मूल्य के अतिरेक प्रति किलो के लिए ₹. 0.66 प्रति कि.ग्रा. कम होकर ₹. 134.58 प्रति कि.ग्रा. प्राप्त हुई ।

चमकीला, मध्यम & निम्न श्रेणी तम्बाकू केलिए पिछले वर्ष की तुलना में इस मौसम के दौरान विपणित तम्बाकू परिमाण और प्राप्त औसतम मूल्य निम्ननुसार है :

क्र.सं.	श्रेणी	2016 नीलाम		2015 नीलाम	2015 नीलामियों के विपरित 2016 के औसतम मूल्य में अंतर
		विपणित परिमाण (मि.कि.)	औसतम मूल्य (रु./कि.ग्रा.)	औसतम मूल्य (रु./कि.ग्रा.)	
1	चमकीला	28.52	163.42	165.01	-1.59
2	मध्यम	37.83	143.54	143.28	0.26
3	निम्न	32.37	98.68	87.65	11.03
	कुल	98.72	134.58	135.24	-0.66

नीलाम प्लैटफार्म वार विक्रित तम्बाकू परिमाण और 2016-17 कर्नाटका एफ सी वी तम्बाकू परिमाण की बिक्री केलिए प्राप्त औसतम मूल्य पृष्ठ सं. 81 में दिये गये ।

2007 से कर्नाटका नीलामियों में प्राप्त औसतम मूल्य आरंभ में नीचे दिये गये ।





नीलामियों के प्रारंभ समय के दौरान प्राप्त औसतम मूल्य, जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 10/- से ₹ 17/- प्रति कि.ग्रा. कम होने पर भी किसान अपने उत्पाद को मोनिटैज करने, जो की किसान लोग अपने अन्य नकद फसलों में असफलता तथा कोई राजस्व ल्होत नहीं होने के कारण निराशाजनक स्थिति में रहने के कारण अधिक संख्या में बेलों को आँफर किये थे ।

नीलामियों बढ़ता जा रहा है। साथ-साथ औसतम मूल्य भी पिछले वर्ष की सीमा तक मूल्य भी बड़ गई। विशेषकर निम्न श्रेणी तम्बाकू के लिए औसतम मूल्य अच्छा रहा और यह पिछले वर्ष की औसतम मूल्य से लगभग ₹11.03 प्रति कि.ग्रा. अधिक रहा था।

इस मौसम के दौरान, लगातार अस्वीकृति की प्रतिशतता अधिक रहा और एक या अन्य कारण जैसे., घटिया किरम तम्बाकू के लिए मूल्य, बोर्ड द्वारा रखरखाव किये जाने वाला निम्नतम बिड आकर्षक नहीं होना और अधिक मूल्य की माँग के लिए ऐतु तिरस्करण (आर आर) आदि., कारण रहा था। अतः अस्वीकृतियाँ हांडिलिड तम्बाकू में 23% से अधिक दर्ज हुई।

2016 कर्नाटका एफ सी वी तम्बाकू नीलामियों में प्रधान कंपेनियों के खरीदी नीचे दिये गये :

क्र.सं.	क्रेता का नाम	परिमाण मि.कि.ग्रा.
1	मेसर्स. आई टी सी लिमिटेड	44.79
2	मेसर्स. पोलिशेट्टी सोमसुन्दरम	11.85
3	मेसर्स. ग्राड फ्रे फिलिफस हंडिया लिमिटेड	9.70
4	मेसर्स. डी टी ई एक्सपोर्ट्स प्रा. लिमिटेड	8.02
5	मेसर्स. एथनिक आग्रोस लिमिटेड	4.99
6	मेसर्स. अलियान्स वन इंडिस्ट्रीज इंडिया प्रा. लिमिटेड	3.30
7	मेसर्स. मोहम्मद एंटरप्रैजेस प्रा. लिमिटेड	2.91
8	मेसर्स. मिट्टपल्ली आग्रो प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड	1.95
9	मेसर्स. आई टी टी ग्रूप	1.30
10	मेसर्स. प्रीमियम टोबाको पैकर्स प्राई. लिमिटेड	0.96
11	अन्य	8.95

नीलामी बिक्रिया का समापन :

नीलामी बिक्रियाँ दि.15/03/2017 को 27 सप्ताहों में समापन हुई। 141 नीलाम दिनों में ₹134.56 प्रति कि.ग्रा. के औसतम मूल्य में 98.72 मि.कि.ग्रा. परिमाण का विपणन किया गया।

2.2 अतिरिक्त एवं अप्राधिकृत फसल बिक्री के लिए ग्रोयरों की अनुमति :

भारत सरकार ने अधिसूचना सं. एस.ओ. 31 (ई) & 32 (ई), दि. 4 जनवरी, 2017 द्वारा कर्नाटका राज्य में पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त परिमाण तम्बाकू की बिक्री के लिए, बशर्ते कि 7.5% सेवा प्रभार तथा प्राधिकृत कोटा की 10% की सीमा तक ₹ 2.00 प्रति किलो अतिरिक्त शुल्क भुगतान करने पर और पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा प्राधिकृत कोटा से अधिक से अधिक 10% सीमा तक उत्पादित तम्बाकू की बिक्री तथा प्लू क्यूरूड वर्जीनिया तम्बाकू का प्रत्येक अप्राधिकृत ग्रोयर, जो 2016-17 फसल मौसम के दौरान तम्बाकू उत्पादित किया है, को भी 15% सेवा प्रभार और ₹ 2.00 प्रति किलो अतिरिक्त शुल्क भुगतान करने पर बिक्री के लिए अनुमति दी।

2.3 क्रेता प्रतिभागिता :

2016-17 नीलाम मौसम में, भाग लिये 38 क्रेताओं के लिए 2016-17 कर्नाटका एफसीवी तम्बाकू नीलामियों में कुल 45 क्रेता भाग लिये।

2.4 क्रेता निष्पादन :

2016-17 कर्नाटका नीलामियों के दौरान क्रयित तम्बाकू परिमाण, शेयर प्रतिशतता और निर्माणकर्ता, निर्यातक और डीलर (अन्य) द्वारा प्रदत्त मूल्यों, जो पिछले वर्ष की तुलना में निम्नानुसार है :

क्र सं	क्रेता संघर्ज	2015-16 कर्नाटका नीलाम			2016-17 कर्नाटका नीलाम		
		परिमाण (मि.कि)	% शेयर	औसतम मूल्य (₹ कि.)	परिमाण (मि.कि)	% शेयर	औसतम मूल्य (₹ कि.)
1	निर्माणकर्ता	42.82	59.52	144.11	54.49	55.20	146.09
2	निर्यातक	26.56	36.91	121.71	39.51	40.02	120.27
3	अन्य (डीलर)	2.57	3.57	127.15	4.72	4.78	121.43
	कुल	71.95	100.00	135.24	98.72	100.00	134.58

2.5 सेवा प्रभार :

ग्रोयरों, साथ-ही-साथ क्रेताओं से सेवा प्रभार, जिसमें कर्नाटका फसल केलिए पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा बिक्रित अतिरिक्त तम्बाकू परिमाण और अंपंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित अप्राधिकृत तम्बाकू पर अतिरिक्त सेवा प्रभार और ₹ 2/- प्रति किलो अतिरिक्त शुल्क शामिल हुए है, से संबंधित 2016-17 कर्नाटका फसल केलिए वसूल किये ₹ 23.94 करोड़ के विपरीत 2016-17 ₹ 43.87 करोड़ की राशि वसूल किया गया था।

2016 नीलामियों के दौरान कर्नाटका में ग्रोयरों द्वारा बिक्रित तम्बाकू का मूल्य ₹ 1,328.56 करोड़ रहा।

III. आन्ध्र प्रदेश में 2016 -17 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री केलिए नीलामियाँ :

3.1 2017 आन्ध्र प्रदेश नीलामियों पर रिपोर्ट :

बोर्ड 2016-17 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश में कुल मिलाकर सभी मिट्टी क्षेत्रों के लिए 130 मि.कि.ग्रा. फसल परिमाण निर्धारित किया था।

ट्रान्सप्लानटेशन से पहले अपर्याप्त और देरी वर्षा प्राप्ती के कारण ट्रान्सप्लानटेशन में देरी हुई। तम्बाकू के अंतर्गत रोपित प्रांत कम हो गया और यह प्राधिकृत क्षेत्र से कम रहा था। ट्रान्सप्लानटेशन के बाद भी पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं हुई, के कारण स्टन्ड वृद्धि और घटिया पैदावार प्राप्त हुई। इस क्षेत्रों का फसल स्टान्ड अधिक हेट्रोजिनियस का रहा था। वातावरण विषमताएँ, दुर्बल जोखिम जैसे., जड पराश्रयी “ओरबान्खे” का प्रादुर्भाव



इस वर्ष भी जारी रहा। यह सभी घटिया पैदावार के लिए योगदान दिये थे। प्रतिकूल वातावरण का प्रचलन के कारण किसान अन्य फसलों को नहीं अपना सके और कुछ किसान अन्य फसलों को अपनाये, लेकिन कठिनाई से कुछ भी पैदावार प्राप्त नहीं पा सके। किसान अधिक मात्रा में, जहाँ पर संभव हो, वहाँ व्यय करके जीवन रक्षा सिंचाई को अपनाये थे।

कुल मिलाकर प्रकृति ने तम्बाकू प्लानटेशन के अंतर्गत क्षेत्र को सीमित करने के साथ-साथ द ह मि & द का मि क्षेत्रों में उत्पादन को सीमित करने प्रमुख भूमिका निभाई है।

विशेषकर द ह मि & द का मि मिट्टी क्षेत्रों के अंतर्गत किसानों ने पूरे फसल मौसम में जारी प्रतिकूल वातावरण परिस्थितियों, कृषि लागत में वृद्धि और उत्पाद रक्तर में घटाव, के कारण गंभीर निराशाजनक स्थिति में रहे हैं।

फिर भी, यह अपर्याप्त वर्षा का प्रभाव उ ह मि क्षेत्र फसल में नहीं देखा गया क्योंकि इस क्षेत्र में फसल पूरी तरह सिंचाई परिस्थितियों के अंतर्गत किया गया। इस क्षेत्र में फसल अच्छी रही और उपज भी अच्छी प्राप्त हुई।

इस वर्ष मिट्टी क्षेत्र बार लक्षित फसल परिमाण और आकलित उत्पादन नीचे दिया गया था :

क्र.सं.	मिट्टी क्षेत्र	लक्षित फसल (मि.कि.ग्रा)	आकलित उत्पादन (मि.कि.ग्रा)
1	उ का मि क्षेत्र	4.00	3.17
2	द का मि क्षेत्र	39.00	30.50
3	द हा मि क्षेत्र	45.00	24.72
4	उ हा मि क्षेत्र	32.00	45.79
	महायोग	130.00	104.18

3.2 श्रेणी आऊट टर्न :

2016-17 फसल मौसम के लिए चमकिला, मध्यम और निम्न श्रेणियों की प्रतिशतता, जो पिछले वर्ष के लिए क्रमशः 40%, 31% & 29% प्रतिशतता की तुलना में क्रमशः 43%, 38%, 19% रहा।

3.3 नीलामी बिक्रियों का प्रारंभ :

2016-17 मौसम आन्ध्र प्रदेश में एफ सी वी तम्बाकू फसल की बिक्री केलिए नीलामियाँ निम्नानुसार प्रारंभ हुए :

क्र.सं	दशा	नीलामी बिक्रियों का प्रारंभ तारीख	नीलाम प्लैटफार्म
1.	पहली दशा (द ह मि, द का मि & उ ह मि क्षेत्र)	15/03/2017 बुधवार	17 नीलाम प्लैटफार्म
2.	दूसरी दशा (उ का मि क्षेत्र)	06/04/2017 गुरुवार	1 प्लैटफार्म

वेल्लमपल्ली & पोदिली क्षेत्रों में प्राप्त कम फसल उत्पादन को ध्यान में रखते हुए वेल्लमपल्ली - II नीलाम प्लैटफार्म अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादित तम्बाकू को वेल्लमपल्ली - I नीलाम प्लैटफार्म में और पोदिली - II नीलाम प्लैटफार्म अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादित तम्बाकू को पोदिली - I नीलाम प्लैटफार्म में विपणन करने का निर्णय लिया गया था। अतः पिछले वर्ष में रहे 20 नीलामी प्लैटफार्मों की जगह इस चालू नीलाम मौसम के दौरान 18 नीलाम प्लैटफार्म ही परिचालित किये गये।

पहली दशा में नीलामियाँ 17 नीलाम प्लैटफार्मों में सकरात्मक नोट के साथ प्रारंभ हुए। प्रारंभ दिन से लेकर मार्च, 2017 अंत तक दर्ज किये गये उच्चतम बिड नीचे दिये गये :


(₹ प्रति किलो)

मिट्टी क्षेत्र	प्रारंभ दिन		2017 नीलामियों में 31/03/2017 तक
	2016 नीलाम	2017 नीलाम	
द ह मि	140.00	161.00	166.00
द का मि	146.00	162.00	168.00
उ ह मि	156.00	166.00	166.00
उ का मि	130.00	नीलामी बिक्रियाँ दि. 06/04/2017 को प्रारंभ	

3.4 परिमाण एवं मूल्य :

मार्च, 2017 अंत तक कुल 2.89 मि.कि.ग्रा. तम्बाकू परिमाण को औसतम ₹. 154.93 प्रति कि.ग्रा. के औसतम मूल्य में विपणन किया गया।

3.5 2007 से आन्ध्र प्रदेश में प्राप्त औसतम मूल्य दर्शनेवाली ग्राफ नीचे दिये गये :



3.6 दि. 31/03/2017 तक चमकीला, मध्यम और निम्न श्रेणियों के लिए प्राप्त औसतम मूल्य निम्नानुसार है :

श्रेणी	परिमाण (मि.कि)	% शेयर	औसतम मूल्य (₹ /कि.ग्रा.प)
चमकीला	2.36	81.83	157.44
मध्यम	0.51	17.62	144.74
निम्न	0.02	0.55	107.63
कुल	2.89	100.00	154.93

दि. 31/03/2017 तक नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित तम्बाकू परिमाण और प्राप्त औसतम मूल्य पृष्ठ सं. 80 में दिये गये ।

IV. विपणित तम्बाकू का कुल परिमाण

आन्ध्र प्रदेश एवं कर्नाटका दोनों के नीलाम प्लैटफार्म पर दि. 01/04/2016 से 31/03/2017 तक की अवधि के दौरान विपणित तम्बाकू का कुल परिमाण 210.91 मि. ग्रा. तथा उपार्जित औसतन मूल्य प्रति कि.ग्राम ₹ 124.39 रहा। विवरण पृष्ठ सं. 83 & 84 में दिये गये ।

4.1 क्रेता निष्पादन

दि. 01/04/2016 से 31/03/2017 तक की अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश एवं कर्नाटका दोनों में खरीदे गये तम्बाकू का परिमाण, प्रतिशत हरिस्सा तथा निर्माता, निर्यातक एवं डीलरों के द्वारा भुगतान किये गये औसतन दाम का विवरण पृष्ठ सं. 85 & 86 में दिये गये ।

4.2 किसानों को मानकीकृत बेल पैकिंग सामग्री की आपूर्ति:

तम्बाकू बोर्ड (नीलाम) विनियम, 1984 के विनियम, 7 के अनुसार नीलाम बिक्री के लिए लाये गये अपने तम्बाकू के पैकिंग के लिए सभी ग्रोयरों के द्वारा मानकीकृत बेल - पैकिंग के सामान उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। तम्बाकू बोर्ड (नीलाम) विनियम के 7(7) के अनुसार, बेल के लिए उपयोग किये गये तार के साथ पैकिंग सामग्री एक कि. ग्रा से अधिक भार न हो।

तदनुसार, बोर्ड ने पैकिंग सामग्री को मानकीकृत किया तथा भारतीय तम्बाकू संघ (भा. तं. सं) द्वारा ग्रोयरों को निशुल्क आपूर्ति करने की व्यवस्था किया। भा.त.सं. ने 2016-17 फसल मौसम के लिए कर्नाटका के तम्बाकू ग्रोयरों को 9,57,400 यूनिटों की बेल पैकिंग सामग्री तथा आन्ध्र प्रदेश के ग्रोयरों को 8,02,268 यूनिटों की बेल पैकिंग सामग्री निशुल्क आपूर्ति किया है। बोर्ड ने बेल पैकिंग सामग्री को ग्रोयरों को वितरण करने की व्यवस्था किया तथा व्यापारियों से वसूली करके इसे भा.तं.सं को जमा करने की व्यवस्था किया ।

दि. 01/04/2016 से 31/03/2017 तक अवधि के दौरान
आन्ध्र प्रदेश & कर्नाटक में नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित तम्बाकू परिमाण

क्र. सं.	नीलामी प्लैटफार्म का नाम	2016 आं.प्र. नीलाम 01/04/16 से 31/08/16 तक की अवधि के दौरान विपणित परिमाण		2017 आं.प्र. नीलाम 15/03/17 से 31/03/17 तक की अवधि के दौरान विपणित परिमाण		01/04/16 से 31/03/17 तक की अवधि के दौरान विपणित कुल परिमाण	
		विपणित परि. (मि कि गा)	औसत. दर (₹ किलो)	विपणित परि. (मि कि गा)	औसत. दर (₹ किलो)	विपणित परि. (मि कि गा)	औसत. दर (₹ किलो)
I. आन्ध्र प्रदेश							
1	तोरेडू	2704784.7	99.28	0	0.00	2704784.7	99.28
	कुल (उ का मि)	2704784.7	99.28	0	0.00	2704784.7	99.28
2	वेल्लंपल्ली - I	4086882.0	99.95	0.0	0.00	4086882.0	99.95
3	वेल्लंपल्ली - II	3177112.0	101.26	214323.6	154.25	3391435.6	104.61
4	ओंगोल - I	6641985.0	104.37	172890.6	154.53	6814875.6	105.64
5	ओंगोल - II	7686667.0	105.58	192782.3	155.20	7879449.3	106.79
6	ठंगुटूर - I	5869504.2	107.51	261535.8	156.46	6131040.0	109.60
7	ठंगुटूर - II	5038428.8	106.89	159466.4	157.89	5197895.2	108.45
8	कोडेपी	6948301.6	105.88	256034.5	158.84	7204336.1	107.76
	कुल (द का मि)	39448880.6	104.95	1257033.2	156.29	40705913.8	106.54
9	पोदिली - I	2904684.4	97.98	159008.9	153.10	3063693.3	100.84
10	पोदिली - II	2429048.8	98.46	0.0	0.00	2429048.8	98.46
11	कंदुकूर - I	6689352.0	110.21	223009.9	158.47	6912361.9	111.77
12	कंदुकूर - II	5534184.2	108.26	268439.3	155.24	5802623.5	110.43
13	कनिगिरी	2453465.6	98.39	183496.5	155.98	2636962.1	102.40
14	कलिगिरी	3617541.4	102.01	83607.3	156.93	3701148.7	103.25
15	डी.सी. पल्ली	4479130.6	100.56	134740.1	156.28	4613870.7	102.19
	कुल (द ह मि)	28107407.0	103.92	1052302.0	156.00	29159709.0	105.80
16	देवरपल्ली - I	6295925.6	136.83	63819.9	148.29	6359745.5	136.95
17	जे.आर. गूडेम - I	9115473.2	129.14	210704.3	149.17	9326177.5	129.59
18	जे.आर. गूडेम - II	9114241.0	132.49	114157.3	150.99	9228398.3	132.72
19	कोच्चिलगूडेम	8188573.7	132.34	127763.3	151.14	8316337.0	132.63
20	गोपालपुरम	6322034.8	133.06	62031.8	150.56	6384066.6	133.23
	कुल (उ ह मि)	39036248.3	132.47	578476.6	150.02	39614724.9	132.73
	उप कुल	109297320.6	114.37	2887811.8	154.93	112185132.4	115.41

II. कर्नाटका

क्र. सं	नीलामी प्लैटफार्म का नाम	2016 कर्नाटका नीलाम 14/09/16 से 15/03/17 तक की अवधि के दौरान विपणित परिमाण		01/04/16 से 31/03/17 तक की अवधि के दौरान कर्नाटका में विपणित कुल परिमाण	
		विपणित परि. (मि कि ग्रा)	औसतम मूल्य (₹/प्र.कि.)	विपणित परि. (मि कि ग्रा)	औसतम मूल्य (₹/प्र.कि.)
1	एच.डी. कोटे - I	4337122.5	131.41	4337122.5	131.41
2	एच.डी. कोटे - II	4288583.1	128.74	4288583.1	128.74
3	हुन्सूर - I	7951985.5	133.71	7951985.5	133.71
4	हुन्सूर - II	7895992.7	134.62	7895992.7	134.62
5	हुन्सूर - III	6575319.7	137.20	6575319.7	137.20
6	कंपलापुरा - I	8651715.9	132.14	8651715.9	132.14
7	चिलकुंदा	10707509.2	133.96	10707509.2	133.96
8	पेरियापट्टना - I	10710609.0	134.76	10710609.0	134.76
9	पेरियापट्टना - II	10955876.3	137.23	10955876.3	137.23
10	पेरियापट्टना - III	9980606.4	137.17	9980606.4	137.17
11	रामनाथपुरा - I	9340374.7	134.32	9340374.7	134.32
12	रामनाथपुरा - II	7326619.4	134.75	7326619.4	134.75
उप कुल		98722314.4	134.58	98722314.4	134.58
महा योग		101610126.2	135.16	210907446.8	124.39

2016 कर्जाका नीलामियाँ :: नीलाम दैतफार्म वार विक्री विवरण (31/03/2017 तक)

क्र. सं.	दैतफार्म का नाम	नी. यौज. सं	प्रारंभ की तिथि	विक्रित बेलों की संख्या	विक्रित परिमाण (कि.ग्रा)	मूल्य (₹)	औसत मूल्य (₹/किग्रा)	उच्चतम बोली (₹/किग्रा)	निम्नतम बोली (₹/किग्रा)	औसत. बेल बजान (कि.ग्रा)
1	हेच.डी. कोटे - I	1	14.9.16	45234	4337122.5	569954226.00	131.41	180.00	12.00	95.9
2	हेच.डी. कोटे - II	65	14.9.16	44100	4288583.1	552096013.10	128.74	180.00	15.00	97.2
3	हुन्हरू - I	2	14.9.16	82881	7951985.5	1063237414.00	133.71	180.00	11.00	95.9
4	हुन्हरू - II	3	14.9.16	82781	7895992.7	1062925319.20	134.62	181.00	9.00	95.4
5	हुन्हरू - III	64	14.9.16	66651	6575319.7	902108108.40	137.19	180.00	11.00	98.7
6	कंपालापुरा - I	61	14.9.16	88863	8651715.9	1143266457.10	132.14	182.00	9.00	97.4
7	चिलकुंदा	62	14.9.16	110696	10707509.2	1434327869.00	133.96	182.00	9.00	96.7
8	पेसियापट्टा - I	4	14.9.16	106145	10710609.0	1443323355.20	134.76	182.00	10.00	100.9
9	पेसियापट्टा - II	5	14.9.16	108690	10955876.3	1503495699.10	137.23	181.00	11.00	100.8
10	पेसियापट्टा - III	6	14.9.16	97923	9980606.4	1369036702.00	137.17	181.00	8.00	101.9
11	रामनाथपुरा - I	7	14.9.16	97159	9340374.7	1254587060.20	134.32	180.00	11.00	96.1
12	रामनाथपुरा - II	63	14.9.16	75622	7326619.4	987247461.40	134.75	180.00	12.00	96.9
कुल योग			14.9.16	1006745	98722314.4	13286049071.95	134.58	182.00	8.00	98.1

2017 आं.प्र. नीलाम - दि.31/03/2017 तक लैटफार्म वार विपणित तम्बाहू परिमाण, प्राप्त औसतम मूल्य, उच्चतम और निम्नतम बोली

क्र. सं.	नीलाम प्लैटफार्म का नाम	नी.स्ट्री. सं.	परिमाण (मि.कि.ग्रा)	प्राप्तम की तिथि	विक्रित बेलों की संख्या	उच्चतम बोली (₹ किग्रा)	नीलाम बोली (₹ किग्रा)	विपणित परिमाण (₹ किग्रा)	तम्बाहू मूल्य (₹)	औसत मूल्य (₹ किग्रा)	औसत.बैल वजन (किलो)
1	तोरेडू	15	4.00	3.17	06.04.2017						
	कुल (उ का मि)		4.00	3.17							
2	बेलांपल्ली - II	31	8.47	5.3	15.03.2017	1613	163.00	116.00	214323.6	3305772.06	154.24
3	ओंगोल - I	20	7.01	5.00	15.03.2017	1331	162.00	105.00	172890.6	26716784.42	154.53
4	ओंगोल - II	23	8.22	5.20	15.03.2017	1511	164.00	107.00	192782.3	29919812.96	155.20
5	दंगुदूर - I	24	6.01	5.80	15.03.2017	2031	167.00	135.00	261535.8	40919891.27	156.46
6	दंगुदूर - II	34	5.21	4.20	15.03.2017	1239	162.00	104.00	159466.4	25178149.90	157.89
7	कोडेपी	25	7.67	5.00	15.03.2017	1889	163.00	104.00	256034.5	40668519.98	158.84
	कुल (द का मि)		42.59	30.50	15.03.2017	9614	167.00	104.00	1257033.2	196460430.6	156.29
											130.8



क्रं. सं.	नीलाम क्लैटफार्म नी.प्लै. सं. का नाम	परिकाण (मि. कि. ग्रा)	प्राप्तम को तिथि	विक्रित बेलों की संख्या	उच्चतम बोली (₹/किंवा)	निकलतम बोली (₹/किंवा)	विषयित परिमाण (₹/किंवा)	तरङ्गाकृ मूल्य (₹)	औसत वैत वचन मूल्य (₹/किंवा)	औसत वैत वचन (किलो)	
8	पोदिलि - II	21	10.93	2.72	15.03.2017	1160	160.00	100.00	159008.9	24344262.59	153.10
9	कंडुकूर - I	26	7.74	8.00	15.03.2017	1670	163.00	141.00	223009.9	35340378.85	158.47
10	कंडुकूर - II	27	7.00	5.87	15.03.2017	1994	163.00	107.00	268439.3	41672516.93	155.24
11	कनिंघमी	35	4.50	1.86	15.03.2017	1331	161.00	101.00	183496.5	28621784.07	155.98
12	कलिंगी	28	5.03	2.58	15.03.2017	621	161.00	135.00	83607.3	13120493.59	156.93
13	डी. सी. पल्ली	29	6.21	3.69	15.03.2017	973	162.00	128.00	134740.1	21057182.83	156.28
कुल (द ह मि)		41.41	24.72	15.03.2017	7749	163.00	100.00	1052302.0	164156618.9	156.00	135.8
14	देवरपह्ली	17	6.84	7.21	15.03.2017	476	165.00	138.00	63819.9	9463852.97	148.29
15	जे.आर.गडेम - I	18	9.47	10.54	15.03.2017	1587	166.00	105.00	210704.3	31430760.43	149.17
16	जे.आर.गडेम - II	32	9.60	10.64	15.03.2017	855	165.00	109.00	114157.3	17236610.73	150.99
17	कोर्यलगडेम	30	8.9	9.81	15.03.2017	965	165.00	108.00	127763.3	19310145.16	151.14
18	गोपालपुरम	33	7.19	7.59	15.03.2017	469	166.00	103.00	62031.8	9339507.81	150.56
कुल (द ह मि)		42.00	45.79	15.03.2017	4352	166.00	103.00	578476.6	86780877.10	150.02	132.9
महा योग		130.00	104.18	15.03.2017	21715	167.00	100.00	2887811.8	447397926.5	154.93	133.0

दि. 01/04/2016 से 31/03/2017 तक अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में क्रेता वार विवरण

क्र. सं.	क्रेता का नाम	2015-16 ऑ.प्र.फसल दि. 01/04/2016 से 31/03/2016 तक		2016-17 ऑ.प्र.फसल दि. 15/03/2017 से 31/03/2017 तक		2016-17 कर्नाटका फसल दि. 14/09/2016 से 15/03/2017 तक		कुल			
		परिमाण (कि कि ग्रा)	औसत.दर (₹/किंगा)	परिमाण (कि कि ग्रा)	औसत.दर (₹/किंगा)	%	परिमाण (कि कि ग्रा)	औसत.दर (₹/किंगा)	%	परिमाण (कि कि ग्रा)	औसत.दर (₹/किंगा)
नियांकन											
1	आई ई लिमिटेड	46311489.7	124.99	42.37	1533058.8	152.84	53.09	44791156.8	146.86	45.37	92635705.3
2	जी पी आई लिमिटेड	9517518.5	99.56	8.71	223076.5	156.17	7.72	9703381.9	142.50	9.83	19443976.9
उप कुल		55829008.2	120.66	51.08	1756135.3	153.26	60.81	54494538.7	146.09	55.20	112079682.2
नियांकन											
1	पोलिशहि सोमयुक्तरम	15204020.6	118.97	13.91	181877.9	157.16	6.30	11849271.0	121.27	12.00	27235169.5
2	एशिएस वन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2244085.7	110.30	2.05	105461.8	157.93	3.65	3303556.9	133.01	3.35	5653104.4
3	आईटी यूप	1961062.5	125.17	1.80	3036.7	162.79	0.11	1299866.7	156.49	1.32	3263965.9
4	श्रीमियर टुबोको पेकर प्र.लिमिटेड	5297733.5	132.14	4.85	288880.1	157.02	10.00	962705.8	135.70	0.98	6549119.4
5	एम.एल & को यूप	3335053.7	123.42	3.05	18201.1	158.24	0.63	573679.1	96.79	0.58	3926933.9
6	सिर्प्पी आदिनारायण ए.प्र.लिमिटेड	541000.1	108.53	0.49	12726.3	156.77	0.44	839654.6	109.11	0.85	1393381.0
7	यालंगडु एस्ट्रोटेक्स	512731.4	104.25	0.47				288053.7	124.09	0.29	800785.1
8	सिर्प्पी एग्रोइक्स प्रा.लिमिटेड	2588792.9	72.60	2.37	34271.2	143.56	1.19	1951735.4	96.27	1.98	4574799.5
9	बौजमडाला पूर्ख्या होलिंस प्रा.लिमिटेड	232020.0	119.13	0.21	1233.0	159.48	0.04	398461.5	126.77	0.40	631714.5
10	लदक्षी एनटरप्रेज़िज़स										
11	प्रपत्ता एग्रास लिमिटेड	57709.2	80.32	0.05	6118.6	152.67	0.21	231683.0	99.36	0.23	295510.8
											96.75
											0.10



क्र. सं.	क्रेता का नाम	2015-16 आं.प्र.फसल दि. 01/04/2016 से 31/08/2016 तक			2016-17 आं.प्र.फसल दि. 15/03/2017 से 31/03/2017 तक			2016-17 कर्बाटिका फसल दि. 14/09/2016 से 15/03/2017 तक			कुल
		परिमाण (कि कि ग्रा)	औसत.दर (₹/किग्रा)	%	परिमाण (कि कि ग्रा)	औसत.दर (₹/किग्रा)	%	परिमाण (कि कि ग्रा)	औसत.दर (₹/किग्रा)	%	
12	चैतन्य दुवारे कंपनी	3420.8	152.33	0.00							3420.8
13	अमिलाश दुवारोंको	2921.8	144.12	0.00				227940.0	123.90	0.23	230861.8
14	पंचाजात्या दुवारोंको							135196.1	98.13	0.14	135196.1
15	मोहम्मद एंटर. प्र. लिमिटेड	1693559.6	120.16	1.55	117062.2	160.43	4.05	2908227.2	143.78	2.95	4718849.0
16	वेंकट सुरेष एनटीप्रेसेस							93565.4	92.67	0.09	93565.4
17	वणी दुवारोंको							745924.1	107.56	0.76	745924.1
18	एथनिक थूप	2293974.7	93.03	2.10	36390.5	151.97	1.26	4990945.9	85.41	5.06	7321311.1
19	डेव्हन दुवारोंको कंपनी थूप	5064497.1	110.37	4.63	5278.2	160.79	0.18	8023064.2	130.07	8.13	13092839.5
20	षेक मस्तान साहेब दुवारोंका	174630.2	75.14	0.16	7348.7	122.64	0.25				181978.9
21	वेंकट साई दुवारोंको कं.	103755.6	56.75	0.09				2120.7	124.45	0.00	105876.3
22	हमिद एक्स्प्रेस	24624.0	52.75	0.02				37336.7	136.19	0.04	61960.7
23	कार्टल दुवारोंको	56085.7	49.64	0.05				450368.3	107.26	0.46	506454.0
24	श्री हनुमा एनटीप्रेसेस	574991.6	72.90	0.53	29792.2	161.06	1.03	194766.7	127.87	0.20	79920.5
	उप कुल	41966370.7	114.08	38.40	847603.1	156.75	29.35	39508123.0	120.27	40.02	8232096.8
	अन्य (डीलर)	11501941.7	84.94	10.52	284073.4	159.78	9.84	4719652.7	121.43	4.78	16505667.8
	कुल योग	109297320.6	114.37	100.00	2887811.8	154.93	100.00	98722314.4	134.58	100.00	210907446.8
											73.06



व्यापार संक्षेप

बोर्ड को, यदि केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार, भारत में ग्रोयरों से ऐसी वर्जीनिया तम्बाकू, जिससे बोर्ड या केन्द्रीय सरकार ऐसा कदम उठाने संतुष्ट है, जो ग्रोयरों की हितों की रक्षा करने के लिए आवश्यक या उचित समझता है, के अनुसार ग्रोयरों से खरीदेगा।

अपने प्रचालन के लिए ₹ 1.25 करोड़ रुपयों के आंशिक रकम के साथ 1984 में व्यापार संक्षेप को भारत सरकार ने सृजन किया। मार्केट की स्थिरता और उसके द्वारा ग्रोयरों की रुचि की संरक्षण की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों में नीलाम प्लैटफार्म पर बचे-कुचे तथा अविक्रत तम्बाकू को खरीदना व्यापार संक्षेप का उद्देश्य है।

I. मूल्य समर्थन प्रचालन :

2016-17 के दौरान व्यापार संक्षेप द्वारा कोई समर्थन मूल्य प्रचालन में नहीं हैं जो कि बाजार उल्लासी रहा तथा ग्रोयरों बेहतर मूल्य प्राप्त किये थे।

पूर्व वर्षों में व्यापार संक्षेप द्वारा किये लाभों और प्राप्त व्याज को मिलाकर 31.03.2017 तक मार्जिन राशि ₹19.40 करोड़ बोर्ड के साथ उपलब्ध रहा।

II. प्रोसेसर / निर्माता / वर्जीनिया तम्बाकू के वाणिज्य ग्रेडों / तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के निर्यातक / पैकरों / तम्बाकू के डीलरों के रूप में पंजीकरण :

कोई भी व्यक्ति, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धाराएँ 11 क, 11 ख (i) एवं 12 के तहत वर्जीनिया तम्बाकू की पद्धतीकरण, वर्जीनिया तम्बाकू उत्पादकों का निर्माण, वाणिज्य प्रयोजनों के लिए वर्जीनिया तम्बाकू से संबंधित ग्रेडिंग कार्य, तम्बाकू अथवा अन्य किसी तम्बाकू उत्पाद का निर्यात, तम्बाकू पैकर, नीलामकार अथवा डीलर के रूप में कार्य, इस अधिनियम के तहत बने नियमों के अनुसार बोर्ड में अपने - आप को पंजीकृत कर लिये बिना, नहीं कर सकता।

व्यक्तिगत रूप से, फार्मों अथवा कम्पनियों के द्वारा, प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग तौर पर तम्बाकू बोर्ड से पंजीकरण / पंजीकरण के नवीकरण प्राप्त करने के पश्चात् ही उपर्युक्त प्रचालन करना है। पंजीकरण या पंजीकरण के नवीकरण, कैलेण्डर वर्ष के लिए मात्र मान्य है।

डिजिटल इंडिया पर भारत सरकार की प्रेरणा की दिशा में तम्बाकू बोर्ड ने तम्बाकू व्यापारी को पारदर्शी एवं समकालीनात्मक इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं उपलब्ध कराने के लिए आवेदनों को ई-फैलिंग करने के लिए ऑनलाईन प्रणाली का प्रारंभ किया। वर्ष 2016 कॉलेंडर वर्ष से सभी संवर्गों के व्यापारियों द्वारा रजिस्ट्रेशन/रजिस्ट्रेशन नवीकरण को प्राप्त करने पोर्टल www.tobaccoboard.in द्वारा आवेदनों का ई-फैलिंग करना अनिवार्य कर दिया गया था। तदनुसार, वर्ष 2016 तथा 2017 के लिए तम्बाकू बोर्ड आवेदनों की ई-फैलिंग और व्यापारी वर्ग का रजिस्ट्रेशन/रजिस्ट्रेशन नवीकरण पर 100% लक्ष्य हासिल की थी।

वर्ष 2016 के लिए तथा वर्ष 2017 के लिए (दि. 31/03/2017 तक) व्यापारियों के विभिन्न संवर्गों को मंजूर किये गये पंजीकरण/पंजीकरण के नवीकरण के विवरण निम्नलिखित प्रकार हैं:

क्रम संख्या	संवर्ग	पंजीकृत कंपनियों की संख्या	
		2016	2017 (31/03/2017 तक)
1	वर्जीनिया तम्बाकू प्रोसेसर	15	15
2	वर्जीनिया तम्बाकू निर्माणकर्ता	35	27
3	तम्बाकू निर्यातक	162	151
4	तम्बाकू उत्पादों के निर्यातक	270	246
5	तम्बाकू डीलर	625	549
6	तम्बाकू पैकर	25	23
7	वर्जीनिया तम्बाकू के वाणिज्यिक श्रेणीकरणकर्ता	35	33
	कुल	1167	1044

बोर्ड के द्वारा निश्चितानुसार 2016 में बोर्ड ने निम्नलिखित लेवी (कर) तथा जुर्मानाएँ वसूल किया :

1.	सावंधित रिटर्न के अ / देरी प्रस्तुतीकरण	₹ 12,13,000.00
2.	मांगी गयी सूचना को देरी से प्रस्तुत करना और आवेदन पत्रों की त्रटियों को सुधारने, निर्धारित अवधि के बाद देरी से आवेदन पत्रों को प्रस्तुत करना / पुराने बकाये & सतर्कता जुर्माना के लिए विलंब शुल्क ।	₹ 18,11,018.00
	कुल	₹ 30,24,018.00

भारत से तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के विपणन एवं निर्यात

2016-17 के दौरान भारतीय निर्यात सभी विभागों (सेगमेंट) में याने., एफसीवी तम्बाकू नॉन-एफ सी वी तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों आदि., में, जो 2015-16 के दौरान रहे निर्यातों की तुलना में घट गये। कुल मिलाकर 2,31,800 मे. टनों के तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों, जो ₹ 5,975.08 करोड़ मूल्य के तथा डालरों के शब्दों में \$ 891.91 मि. यूएस की कुल निर्यात किया गया।


I. भारत से तम्बाकू निर्यात :



क) समग्र निष्पादन :

वर्ष 2016-17 के लिए भारत से तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पादों के निर्यात, जो पूर्व वर्ष में किये गये निर्यात की तुलना में क्रमशः परिमाण, मूल्य रूपये में और यूएस डालरों के शब्दों में 5%, 1% और 4% घट गये। 2016-17 के दौरान भारत से अनिर्मित तम्बाकू (एफसीवी & गैर-एफसीवी तम्बाकू) तथा तम्बाकू उत्पादों के निर्यात, पूर्व वर्ष की तुलना के साथ निम्न प्रकार रहा है।

क्रम संख्या	संवर्ग	2016-17				2015-16	
		परिमाण मि.टनों में	मूल्य ₹. करोड़ों में	मूल्य.मि. यू.एस. \$.	परिमाण मि.टनों में	मूल्य ₹. करोड़ों में	मूल्य.मि. यू.एस. \$.
I	अनिर्मित तम्बाकू						
क	एफसीवी तम्बाकू	144131	3428.45	512.03	151670	3495.81	533.96
ख	गैर-एफसीवी तम्बाकू	55250	812.52	121.20	57574	835.63	127.63
	कुल	199381	4240.97	633.23	209244	4331.44	661.59
II	तम्बाकू उत्पाद	32419	1734.11	258.68	34174	1726.69	263.74
	कुल योग	231800	5975.08	891.91	243418	6058.13	925.33
	% पूर्व वर्ष परिवर्तन (±)	-5	-1	-4	-2	7	0.11

2016-17 अवधि के लिए परिवर्तन गुणक : 1 यूएस \$ = Rs.66.99





पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान किये गये रु. 3,495.81 करोड़ मूल्य के 1,51,670 मेट्रिक टन निर्यातों की तुलना में 2016-17 के दौरान ₹ 3,428.45 करोड़ मूल्य के 1,44,131 मेट्रिक टनों के क्रम में एफ सी वी तम्बाकू निर्यात-परिमाण, मूल्य रूपयों में तथा यूएस डालरों के शब्दों में क्रमशः 5%, 2% तथा 4% घट गये।

पिछले वर्ष इस अवधि के दौरान किये गये निर्यात की तुलना में 2016-17 अवधि के लिए अनिर्मित तम्बाकू निर्यात-परिमाण, मूल्य रूपयों और यूएस डालरों के शब्दों में 5% और 2% तथा 4% घट गये।

पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान किये निर्यातों की तुलना में, तम्बाकू उत्पादों के निर्यात के संबंध में, परिमाण तथा मूल्य यू.एस.डॉलरों के शब्दों में क्रमशः 5% और 2% घट गये तथा रूपये के शब्दों में 0.43% की मार्जिनल बढ़ोत्तरी प्राप्त हुई।

2016-17 के दौरान, कुल तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद के निर्यात 2,31,800 मे.टन, जो मूल्य रु. 5,975.08 करोड़ और यू.एस \$ 891.91 मिलियन डालर तक पहुँच गया। रिपोर्टरीन अवधि के लिए तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यात, परिमाण मूल्य रूपयों में और यूएस \$ के शब्दों में पिछले वर्ष के दौरान किये गये निर्यातों की तुलना में क्रमशः 5%, 1% और 4% घट गये।

ख) अनिर्भित तम्बाकू निर्यात :


वर्ष 2016-17 के दौरान, भारत के अनिर्भित तम्बाकू निर्यात, जो कुल तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद के निर्यातों, परिमाण के शब्दों में लगभग 86% तक तथा रूपये के शब्दों में 71% तक हिस्सा बनता है। तम्बाकू के निर्यात, जो पूर्व वर्ष के निर्यातों की तुलना में परिमाण, मूल्य रूपयों में तथा यूएस डालरों के शब्दों में क्रमशः 5%, 2% और 4% घट गये।


वर्ष 2016-17 के दौरान भारतीय तम्बाकूओं के लिए अन्य मुख्य बाजारों में इंजिप्ट, यूएई, रस और दक्षिण कोरिया के साथ - साथ अग्रणी निर्यात गतव्य में बेलिजिलम जारी रहा है। शीर्ष पांच गतव्यों में से वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर बेलिजियम, इंजिप्ट और यूएई के लिए निर्यात बढ़ गये, जहाँ कि रस तथा दक्षिण कोरिया के निर्यात घट गये।

ग) अनिर्भित तम्बाकू के क्षेत्र वार निर्यात :

(परिमाण मेट्रिक टनों में; मूल्य ₹ करोड़ों में)

क्षेत्र	2016-17				2015-16			
	परिमाण टनों में.	कुल में % हिस्सा	मूल्य करोड़ ₹ में	कुल में % हिस्सा	परिमाण टनों में.	कुल में % हिस्सा	मूल्य करोड़ ₹ में	कुल में % हिस्सा
पश्चिम यूरोप	69289	34.75	1590.67	37.51	69634	33.28	1577.80	36.43
पूर्व यूरोप	28644	14.37	687.98	16.22	29768	14.23	645.23	14.90
मध्य पूर्व	23964	12.02	416.01	9.81	25986	12.42	513.21	11.85
दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया	31714	15.91	743.55	17.53	40193	19.21	879.14	20.30
अफ्रीका	29908	15.00	557.68	13.15	25918	12.39	457.59	10.56
उत्तर और दक्षिण अमेरिका	15599	7.82	236.21	5.57	17420	8.31	247.16	5.71
आस्ट्रेलिशिया	263	0.13	8.87	0.21	325	0.16	11.31	0.25
कुल	199381	100	4240.97	100	209244	100	4331.44	100






घ) अनिर्भित तम्बाकू के तम्बाकू किस्म वार निर्यात :

वर्ष 2016-17 के दौरान भारतीय अनिर्भित तम्बाकू के कुल निर्यातों में से ₹. 3,428.45 करोड मूल्य के एपसीवी किस्म तम्बाकू, जो परिमाण के 1,44,131 मेट्रिक टन के शब्दों में 72% और रूपये के शब्दों में 81% का हिस्सा रखता है। गैर-एफ सी वी तम्बाकू निर्यात, जो 55,250 मेट्रिक टनों के परिमाण और ₹ 812.52 करोड मूल्य के साथ परिमाण के शब्दों में 28% और रूपये के शब्दों में 19% का हिसाब रखता है। 2016-17 के दौरान किस्म वार तम्बाकू के विघटन (ब्रेकअप) 2015-16 की तुलमा में निम्न प्रकार है :

(परिमाण में.टन, मूल्य : करोड़)

किस्म	2016-17				2015-16	
	परिमाण	% परिवर्तन व-द-व	मूल्य	% परिवर्तन व-द-व	परिमाण	मूल्य
प्लू क्यूरड वर्जीनिया	144131	-5	3428.45	-2	151670	3495.81
उप-कुल (एफसीवी तम्बाकू)	144131	-5	3428.45	-2	151670	3495.81
बर्ली	27450	-11	417.96	-6	30734	446.94
सन् क्यूर्ड नाटू	5524	21	74.07	16	4577	63.85
टॉप लीफ / जट्टी	2749	14	32.02	21	2421	26.37
लाल चोपडिया	8469	9	118.70	2	7743	116.26
बीड़ी	517	-31	1.33	5	745	1.27
रस्टिका	2474	-20	32.43	14	2054	28.35
अन्य	8067	-13	136.01	-11	9300	152.59
उप-कुल (नॉन-एफसीवी प्रकार)	55250	-4	812.52	-3	57574	835.63
कुल योग	199381	-5	4240.97	-2	209244	4331.44





ड) तम्बाकू उत्पादों के निर्यात :

2016-17 के दौरान, तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के कुल भारतीय निर्यातों में से, परिमाण के शब्दों में लगभग 14% तथा रूपये के शब्दों में 29% तम्बाकू उत्पाद निर्यात का हिसाब रहा। यह परिमाण तथा मूल्य डालरों के शब्दों में जो पिछले वर्ष से दौरान किये निर्यातों की तुलना में क्रमशः 5% तथा 2% घट गये। फिर भी, यह रूपये के शब्दों में 0.43% का मार्जिनल बढ़ोत्तरी दर्ज किया था।

(परिमाण मेट्रिक टनों में, मूल्य रु. करोड़)

क्रम सं.	तम्बाकू उत्पाद संबंध	2016-17				2015-16	
		परिमाण	% व-द-व परिवर्तन	मूल्य (रु.)	% व-द-व परिवर्तन	परिमाण	मूल्य (रु.)
1	सिगरेट	10471	-12	620.32	-16	11931	742.81
2	बीड़ियाँ	312	34	38.53	51	232	25.47
3	हुक्का तम्बाकू पैस्ट	6079	-18	70.44	-9	7425	77.83
4	चर्वण तम्बाकू	12050	12	927.14	18	10714	785.74
5	कट तम्बाकू	3404	-10	70.62	-21	3764	88.87
6	सूँधनी	49	-25	1.50	-10	65	1.66
7	सिंगार	54	26	5.56	29	43	4.31
	कुल	32419	-5	1734.11	0.43	34174	1726.69





II. निर्यात संवर्धन क्रियाकलाप

क) विदेश - मेले & प्रदर्शनियाँ

तम्बाकू बोर्ड ने, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के ब्रांड छवि और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2016-17 के दौरान निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों / प्रदर्शनियों में भाग लिया ।

1. ग्लोबल टोबाको निकोटिन फोरम (जी टी एन एफ) 2016, ब्रूसेल्स, बेल्जियम :

दि. 27 से 29 सितम्बर, 2016 तक ब्रूसेल्स, बेल्जियम में टोबाकों रिपोर्टर द्वारा जी टी एन एफ 2016 का आयोजन किया गया। इस मेले में तम्बाकू बोर्ड की तरफ से श्री मनोज कुमार द्विवेदी, भा.प्र.से., अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड & संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग ने भाग लिये ।

2. विश्व टोबाको यूरोप 2016, हमबर्ग, जर्मनी :

दि. 8 से 10 नवंबर, 2016 के दौरान टोबाको जर्नल इंटरनेशनल के सौजन्य से क्वार्टज लिमिटेड द्वारा आयोजित विश्व टोबाको यूरोप, 2016, हमबर्ग में तम्बाकू बोर्ड ने भाग लिया । इस मेले में तम्बाकू बोर्ड की तरफ से श्री सी. एस.एस. पट्टनायक, सचिव और श्री आर. श्रीनिवास, नीलाम अधीक्षक ने भाग लिया । इस में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में श्री आर. एस. पंजियार, अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य विभाग भी भाग लिये ।

ख) विदेश को व्यापारी प्रतिनिधि मंडलियाँ :

2016-17 के दौरान विदेश को कोई प्रतिनिधि मंडलियाँ नहीं अपनाया गया ।

ग) विदेशों से व्यापारी प्रतिनिधि मंडलियाँ :

1. बेलारस से व्यापारी प्रतिनिधि मंडल :

4-7 अप्रैल 2016 के बीच जे एस सी ग्रोडनो टोबाको फैक्टरी, नेमन, बेलारस, सरकार तम्बाकू मोनोपोली से एक तम्बाकू व्यापारी प्रतिनिधि मंडल तम्बाकू बोर्ड को विजिट किया ।

जे एस सी ग्रोडनो टोबाको फैक्टरी, नेमन से 3 प्रतिनिधियों याने., मिस.योहेनिया सालोयोवा, निर्यात विभाग का कार्यकारी अध्यक्ष, मिस.मारिया कारचेनरटेसावा, ल्लेन्डर & मिस लौडमिला शैलूक, तम्बाकू क्रय प्रभाग के प्रधान आदि., ने तम्बाकू बोर्ड, भारत और वैयाकितक तम्बाकू निर्यातकों के साथ विचार - विमर्श में भाग लिये ।

राजभाषा कार्यान्वयन

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन को तेज करने के लिए हर प्रकर के कदम उठाये गये।

I. राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उठाये गये कदम

- हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिये गये।
- सामान्य आदेश द्विभाषिक रूप में जारी किये गये।
- “क” क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के साथ पत्र - व्यावहार हिन्दी में किया गया। “ख” और “ग” क्षेत्र में स्थित कार्यालयों को कुछ पत्र द्विभाषिक रूप में जारी किये गये।
- बोर्ड की प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्टें, जिनको संसद के सामने रखना है, को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार करके प्रस्तुत किया गया।
- बोर्ड के विभिन्न अनुभागों के, फार्मो एवं आवेदन पत्रों को द्विभाषिक रूप में जारी किया गया।
- मानक मुद्रण लेखन-सामग्री याने., - लिफाफे, मिसिल फोल्डरों, पत्र शीर्षों आदि., को द्विभाषिक रूप में मुद्रित किया गया।
- सारे रबड़ मोहरें, द्विभाषिक रूप में बनायी गयी तथा सभी नाम-पट्ट त्रिभाषिक/ द्विभाषिक रूप में बनाये गये।
- “क” क्षेत्र में स्थित मंत्रालय एवं अन्य कार्यालयों को भेजे गये लिफाफों पर पते हिन्दी में मुद्रित किये गये तथा “ग” क्षेत्र के लिए द्विभाषिक रूप में मुद्रित किये गये।

II. हिन्दी शिक्षण योजना के कार्यक्रम

बोर्ड के अर्हता प्राप्त कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना के हिन्दी कक्षाओं के लिए नामित किया गया। नवंबर, 2016 सत्र के दौरान क्रमशः पारंगत (03), प्रबोध (01), प्रवीण, (04) और प्राज्ञ (01) कर्मचारियों अपने प्रशिक्षण समाप्त कर चुके थे।

III. “हर दिन एक शब्द सीखो” हिन्दी योजना का प्रचार

प्रति दिन एक हिन्दी शब्द, उसके अंग्रेजी अर्थ के साथ प्रेसटोसाइन बोर्ड पर कार्यालय के प्रवेश - द्वारा पर प्रदर्शित किया गया। हिन्दी प्रचार से संबंधित प्रसिद्ध नेताओं एवं चिन्तकों के उद्घरणों को कार्यालय की मुख्य जगहों में प्रदर्शित किया गया।

IV. बोर्ड कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, समिति की तीन बैठकें अर्थात् 113वीं (05/02/2016), 114वीं & 115वीं (27/10/2016) बैठकें आयोजित की गई, जिनमें राजभाषा हिन्दी के शीघ्र कार्यान्वयन के संबंध में निर्णय लिये गये। इन निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु प्रयास किये गये।



V. हिन्दी सप्ताह :

तम्बाकू बोर्ड में 14 सितम्बर से 20 सितम्बर, 2016 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया है। समारोह में एक भाग के रूप में, हिन्दी में प्रशिक्षित कर्मचारियों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए 14 सितम्बर से 19 सितम्बर, 2016 तक आठ मेज हिन्दी कार्यशालाएँ (आठ अनुभाग) आयोजित की गई हैं, समापन के दिन तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारियों के लिए, हिन्दी महत्व पर भाषण देने हेतु, प्रसिद्ध हिन्दी वक्ताओं को, आमंत्रित किया गया। हिन्दी कार्यशाला के प्रतिभागियों को ज्ञापिकाएँ तथा पुरस्कार वितरित किये गये।

VI. हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ एवं पुस्तकालय :

सम्प्रति, बोर्ड में कुछ हिन्दी पत्रिकाओं के साथ एक हिन्दी दैनिक “हिन्दी मिलाप” अखबार उपलब्ध किया गया। कुछ हिन्दी पुस्तकें, उपन्यास और रामायण, महाभारत आदि., जैसे महाकाव्य, लघु - कथा पुस्तकें विभिन्न शब्द कोष, शब्दावलियाँ आदि, ग्रन्थालय में उपलब्ध किये गये।

VII. कम्प्यूटरों में हिन्दी :

सभी कम्प्यूटरों में हिन्दी साफ्टवेयर लोड किया गया तथा उनका उपयोग किया जा रहा है।

VIII. हिन्दी कार्यशाला :

इस अवधि के दौरान आठ (04 दिन - प्रतिदिन 02 अनुभाग) मेज हिन्दी कार्यशालाएँ, जिसमें हिन्दी सप्ताह को याने., दि. 14 सितम्बर, 2016 से 19 सितम्बर, 2016 तक आयोजित की गई हैं। यह मेज कार्यशाला तम्बाकू बोर्ड के हिन्दी विभाग द्वारा प्रारूपित एक नवीनतम कल्पना है, जहाँ हिन्दी स्टाफ (प्रत्येक) कर्मचारी के मेज के पास (व्यक्तिगत रूप से) जाकर उनकी शंकाओं का समाधान करता है, जिससे हिन्दी कार्य प्रभावी रूप से कार्यान्वयित किया जा सकता है।

रिपोर्टर्धीन वर्ष के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया।

वित्त एवं लेखा

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 16 के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार इस दिशा में विधि के तहत संसद के द्वारा किये ये उचित समंजन के बाद, केन्द्र सरकार, अधिनियम के प्रयोजनों के उपयोग के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा उपयुक्त समझनेवाली ऐसी रकमों को अनुदानों एवं ऋणों के माध्यम से बोर्ड को, भुगतान किया जाता है।

1991-92 से तम्बाकू बोर्ड, भारत सरकार से किसी प्रकार की योजना व गैर-योजना के अंतर्गत अनुदान नहीं लिया।

I) आंतरिक स्रोत :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 14 के प्रावधानों के अनुसार, तम्बाकू बोर्ड अपने नीलाम प्लैटफार्म पर विपणित तम्बाकू के मूल्य पर, प्रदत्त सेवाओं के लिए, “सेवा प्रभार” के रूप में 2% के हिसाब से शुल्क लगाता है। इस प्रकार लगाये गये शुल्क को ग्रोयर के द्वारा बेचे गये तथा क्रेताओं के द्वारा खरीदे गये तम्बाकू के मूल्य पर उत्पादक एवं क्रेता-प्रत्येक से 1% के दर पर, समान्य रूप से, वसूल किया जाता है। साथ-साथ तम्बाकू बोर्ड (सामान्य) विनियम के नियम 13(2) के अनुसार, नीलामियों में भाग लेने वाले क्रेताओं से बोर्ड, “प्राधिकार शुल्क” को वसूल करता है। इसके अतिरिक्त, ग्रोयरों, बखार प्रचालकों, डीलरों, निर्यातकों, पैकरों, प्रोसेसरों एवं निर्माताओं से बोर्ड पंजीकरण शुल्क वसूल करता है।

II) उपकर :

तम्बाकू उपकर अधिनियम 1975 के प्रावधान के तहत, धारा 3(1) (वर्जीनीया तम्बाकू पर उत्पाद शुल्क 4, का 1975) के अनुसार, तम्बाकू उपकर अधिनियम 1975 के प्रयोजनों के लिए “उपकर” के रूप में, भारत में पैदा किये, (किसी) नीलाम प्लैटफार्म पर बेचे गये वर्जीनीया तम्बाकू के लिए, प्रति किलोग्राम के लिए एक पैसे की दर पर उत्पाद शुल्क लगाकर, वसूल करके और इसे भारत की समेकित निधि को जमा किया गया।

दि. 14/05/2016 से तम्बाकू उपकर अधिनियम को उन्मूलन करने के कारण 2016-17 वित्तीय वर्ष के दैरान आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटका के ग्रोयरों से कोई उपकर वसूल नहीं किया है।

III) बजट प्राक्कलन :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 21 के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड, प्रत्येक वर्ष में, आगमी वर्ष के लिए बजट आकलन तैयार करता है तथा चालू वर्ष के लिए परिवर्तित आकलन तैयार करता है और सरकार के द्वारा निर्धारित किये जाने वाले तारीखों में अथवा उसके पहले केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिए उन्हें प्रस्तुत करेगा।

तदनुसार, वर्ष 2016-17 के लिए बजट प्रस्ताव अर्थात् बजट आकलन एवं संशोधित आकलन क्रमशः ₹ 4,291.00 लाख तथा ₹ 2,102.30 लाख के आऊटले के साथ पूँजी व्यय, विस्तार और विकास योजनाओं, उत्पादन योजनाओं तथा व्यापार स्कंध योजनाओं को (कवर) आच्छेदन करते हुए, योजना - आयोजना (प्लान योजना) के तहत तैयार किया है। उसी प्रकार 2016-17 के लिए गैर - योजना के तहत बजट आकलन के लिए ₹ 12,021.35 लाख एवं संशोधित आकलन के लिए ₹ 14,490.10 लाख की राशि के लिये तैयार किया और सरकार को, उसकी स्वीकृति के लिए, प्रस्तुत किये गये हैं।

बजट आऊटले ₹ 16,592.40 लाखों के विपरीत योजना - गैर-योजना, दोनों के तहत व्यय के रूप में ₹ 11,597.45 लाखों की रकम की व्यवस्था की गई। जिसमें योजना व्यय ₹ 748.37 लाख और गैर-योजना व्यय ₹ 10,849.08 लाख था।

संशोधित आकलन 2016-17 में किये ₹ 10,258.35 लाखों की राशि, जो बजट प्रावधान (प्राप्तियों) के विपरीत, सेवा प्रभार, क्रेता प्राधिकरण शुल्क, व्यापारियों और ग्रोयरों से पंजीकरण शुल्क, मियादी जमाओं पर व्याज आदि., बोर्ड के आंतरिक स्रोतों के रूप में 2016-17 वित्तीय वर्ष दौरान ₹ 14,399.60 लाख राशि उपार्जित की गई।

2005-06 से 2016-17 तक योजना तथा गैर - योजना के अंतर्गत वास्तविक निधियों की गति को दर्शानेवाली तालिका पृष्ठ सं. 131 में दी गई है।

IV) लेखा एवं लेखा - परीक्षा :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 19 के अनुसार :

- (1) तम्बाकू बोर्ड सही लेखाओं तथा अन्य अभिलेखों को चालू रखेगा और भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार से पारमर्श के साथ केन्द्र सरकार द्वारा जैसा निर्णय करेगा लेखाओं के आय - व्यय लेखा एवं तुलनपत्र साहित वार्षिक वक्तव्य तैयार करेगा।
- (2) बोर्ड के लेखे भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार के द्वारा, उनके द्वारा निर्धारित किये जाने वाले ऐसे अन्तरालों में लेखा परीक्षित किये जाएँगे और ऐसी लेखा परीक्षा के संबंध में किये जाने वाले खर्च का भुगतान बोर्ड द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार को देय होगा।
- (3) बोर्ड के लेखाओं की लेखा-परीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार तथा उनके द्वारा नियुक्त किये जाने वाले किसी भी व्यक्ति को, वे ही अधिकार होंगे, जो सरकारी लेखाओं की लेखा-परीक्षा के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखाकार को हैं तथा विशेष रूप से बहियों, लेखाओं संबंद्ध वाऊचरों एवं अन्य दस्तावेजों और कागजातों को प्रस्तुत करने का और बोर्ड के किसी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार रहेगा।
- (4) भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार के द्वारा अथवा इस दिशा में उनके द्वारा नियुक्त किये जाने वाले किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रमाणित किये जाने के प्रकार से बोर्ड के लेखे, उस पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ - केन्द्र सरकार को, वार्षिक रूप में, अग्रेषित किये जाएँगे तथा सरकार उन्हें संसद के प्रत्येक सदन में रखावायेगा।

वर्ष 2016-17 के तम्बाकू बोर्ड के तम्बाकू निधि के लेखाओं के लिये तुलन पत्र, आय-व्यय लेखा, और तम्बाकू निधि के लेखा के प्राप्तियाँ & भुगतान विवरण वाणिज्यिक प्रचालनों (व्यापार रक्तं ध को सहायता अनुदान), तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि, तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि, तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी तथापेंशन योजना (टेयर - 1), तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि केलिए मार्जिन राशि की एरमार्क निधि लेखाओं के वित्तीय विवरणियों के साथ, 2005-06 से 2016-17 तक अवधि के लिए निधि गति विवरण तथा लेखाओं पर नोट के साथ वर्ष 2016-17 के लिए बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित करने रिपोर्ट में संलग्न की गई है।



**दि. 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं
महालेखाकार की पृथक लेखा - परीक्षा रिपोर्ट**

1. हमने, दि. 31 मार्च, 2017 के तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर के साथ संलग्न तुलन पत्र, उसी दिन को समाप्त वर्ष के आय-व्यय लेखा तथा प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा की, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 19(2) के साथ पढ़े जाने पर, नियंत्रक एवं महालेखाकार (कर्तव्य अधिकार एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत, लेखा-परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियों में सभी नीलाम प्लैटफार्म, संपर्क एवं प्रादेशिक कार्यालयों तथा नीलाम निदेशालय, बैंगलूर के लेखे शामिल हैं। इन वित्तीय विवरणियाँ, तम्बाकू बोर्ड प्रबंध की जिम्मेदारी है। इन वित्तीय विवरणियों पर हमारी लेखा-परीक्षा के आधार पर एक राय प्रकट करना हमारा दायित्व है।
2. इस अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट में, वर्गीकरण, उत्तम लेखाकरण पद्धतियों के अनुसरण, लेखाकरण मानकों तथा उद्घोषण नार्म आदि के संबंध में, लेखाकरण उपचार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियाँ शामिल है। व्याय, नियम एवं विनियम (सम्पति एवं नियमितता) के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा मन्त्रव्यों, यदि कोई हो तो, निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के द्वारा अलग तौर पर रिपोर्ट की जाती है।
3. हमने, भारत में आम तौर पर माने गये लेखाकरण मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा चलाई है। इन मानक के अनुसार, हमें इस प्रकार योजना बनाकर लेखा-परीक्षा चलाई है, ताकि वित्तीय अश्वासन प्राप्त हो सके। लेखा-परीक्षा के तहत परीक्षण पद्धति पर जाँच, रकमों के समर्थन में प्रमाण तथा वित्तीय विवरणियों में उद्घोषणाएँ शामिल है। लेखा-परीक्षा में प्रबंधन के द्वारा अपनाये गये लेखाकरण सिद्धांत तथा प्रबंधन के द्वारा किये गये उल्लेखनीय आकलन और वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी राय के लिए हमारी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट उचित आधार का प्रबाधान करती है।
4. लेखा परीक्षा के आधार पर, हम निवेदन करते हैं कि :
 - (i) हमने, अपने सर्वोत्तम एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक सभी जानकारी एवं विवरणियों को प्राप्त किया है।
 - (ii) इस रिपोर्ट में (चर्चित) तुलन-पत्र और आय-व्यय लेखा तथा प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा को वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित (एक-रूप) लेखा फार्मेट में तैयार किया है।
 - (iii) हमारी राय में जहाँ तक ऐसी बहियों की हमारी जाँच से पता चलता है कि तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 22 के साथ पढ़े जाने पर, तम्बाकू बोर्ड नियम, 1975 की धारा 19(1) के तहत अपेक्षितानुसार तम्बाकू बोर्ड (गुण्टूर के) द्वारा समुचित लेखा बहियों और अन्य संबंधित अभिलेखों का रखरखाव किया है।
 - (iv) हम आगे यह निवेदन करते हैं कि :



क. आय तथा व्यय लेखा :

मूल्यहास 499.60 लाख :

बोर्ड ने उद्दिष्ट निधि पिछले वर्ष, जो कि व्यय के अतिरेक आधिक्य आय से अपनाव है, को पिछले वर्ष संबंधित मूल्यहास की गलत चित्रण के कारण उक्त 46.66 लाख व्यूनोवित रहा है। जिसके कारण 46.66 लाख तक मूल्यहास की व्यूनोवित तथा व्यय के अतिरेक आधिक्य आय की अत्युवित रहा है।

ख. प्रबंध पत्र

कमियों, जो लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित नहीं किया गया है, को उपचार सुधारात्मक कार्रवाई के लिए, अलग रूप से जारी किये गये प्रबंध पत्र के द्वारा अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड, गुण्ठूर के ध्यान में लाया गया।

- V. पूर्वगामी अनुच्छेदों में हमारे मन्तव्यों को, बशर्ते कि हम यह निवेदन करते हैं कि इस रिपोर्ट में चर्चित तुलन-पत्र और आय-व्यय लेखा तथा प्राप्तियों एवं भुगतान लेखा बहियों के साथ मेल खाते हैं।
- VI. हमारी राय में तथा हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरणियों, लेखीकरण नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर, तथा ऊपर बताये गये उल्लेखनीय शर्तें और इस पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के संलग्नक में उल्लिखित बातों को, बशर्ते कि, भारत में आम तौर पर माने जाने वाली लेखाकरण सिद्धातों के अनुसरण में एक सच्चा और तटरथ दृश्य देते हैं:
 - क. जहाँ तक तुलन-पत्र के संबंध है, दि 31 मार्च, 2017 के अनुसार, तम्बाकू बोर्ड, गुण्ठूर के मामलों की स्थिति का; तथा
 - ख. जहाँ तक आय - व्यय लेखे का संबंध है उसी तारीख को समाप्त वर्ष का अधिशेष (सरप्लस) का है।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की तरफ से

ह/- xx xx xx

(एल. तोचांग)

महा निदेशक

महा निदेशक वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा का कार्यालय &

पदेन - सदस्य, लेखा-परीक्षा बोर्ड,

हैदराबाद

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 16 अक्टूबर, 2017.

अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता :

आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली, जो बोर्ड के परिमाण तथा उनके प्रकार्यों की प्रकृति से पर्याप्त तथा अनुरूप नहीं हैं।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता :

तम्बाकू बोर्ड से संबंधित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, जो बोर्ड के परिमाण तथा उनके प्रकार्यों की प्रकृति के संबंध में पर्याप्त तथा अनुरूप हैं।

3. स्थिर संपत्तियों की भौतिक सत्यापन की प्रणाली :

तम्बाकू बोर्ड की स्थिर संपत्तियों की भौतिक सत्यापन की प्रणाली संस्था के परिमाण तथा उनके प्रकार्यों की प्रकृति के संबंध में पर्याप्त तथा अनुरूप है।

4. वस्तुसूची की भौतिक सत्यापन की प्रणाली :

तम्बाकू बोर्ड की वस्तुसूची की भौतिक सत्यापन की प्रणाली संस्था के परिमाण तथा उनके प्रकार्यों की प्रकृति के संबंध में पर्याप्त तथा अनुरूप हैं।

5. सांविधिक देय राशियों की अदायगी में नियमितता :

बोर्ड ने, सांविधिक देय राशियाँ जैसे., संपत्ति कर और सेवा कर (आदि) को निर्धारित तारिख के अंदर प्रषित (भुगतान) किया।

ह/- xx xx xx

(एल. तोच्छांग)

महा निदेशक

महा निदेशक वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा का कार्यालय &

पदेन - सदस्य, लेखा - परीक्षा बोर्ड,

हैदराबाद

तम्बाकू बोर्ड
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग,
भारत सरकार, गुण्टूर
तम्बाकू निधि लेखा - वित्तीय विवरणियाँ
दि. 31/03/2017 तक तुलन पत्र

(₹ हजारों में)

विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
कार्पस / पूँजी निधि और देनदारियाँ			
1. कार्पस / पूँजी निधि क) तम्बाकू निधि	1	6100877	6079018
2. आरक्षण और उपरी	2	0	0
3. उद्दिष्ट / धर्मस्व निधियाँ क) वाणिज्यक प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (व्यापार स्कंध के लिए अनुदान सहायता) ख) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि ग) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि घ) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नयी पेंशन योजना ड) तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि योजना	3	204275 243297 1308735 7007 550839	188885 239865 1003605 25283 500816
4. सुरक्षित ऋण और उधार	4	0	0
5. असुरक्षित ऋण और उधार	5	0	0
6. अस्थागित ऋण देयताएँ	6	0	0
7. वर्तमान देयताएँ और प्रावधान क) तम्बाकू निधि	7	1109808	952579
कुल		9524838	8990051
संपत्तियाँ			
1. स्थिर संपत्तियाँ क) तम्बाकू निधि	8	1141497	1174480
2. उद्दिष्ट / धर्मस्व निधियाँ से निवेश	9	0	0
3. निवेश : अन्य	10	0	0
4. वर्तमान संपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम आदि, क) तम्बाकू निधि ख) वाणिज्यक प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (व्यापार स्कंध के लिए अनुदान सहायता) ग) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि घ) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि ड) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन योजना च) तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि योजना	11	6069188 204275 243297 1308735 7007 550839 0	5857117 188885 239865 1003605 25283 500816 0
कुल		9524838	8990051
उल्लेखनीय लेखांकन नीतियाँ	24	अनुसुचियों में रखा	
आकस्मिक देयताएँ और लेखाओं पर नोट्स (टिप्पण)	25	अनुसुचियों में रखा	

₹/- XX XX XX

(टी.वेंकटेश)

कार्यपालक निदेशक & अध्यक्ष

तम्बाकू बोर्ड
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग,
भारत सरकार, गुण्डूर
तम्बाकू निधि लेखा - वित्तीय विवरणियाँ
दि 31/03/2017 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए आय तथा व्यय लेखा

विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	(हजारों ₹ में) पूर्व वर्ष
1. आय			
I. बिक्रियों / सेवाओं से आय	12	532936	602904
II. अनुदान / आर्थिक सहायता	13	0	0
III. शुल्क / चन्दे	14	19298	20908
IV. निवेशों से आय (उद्घट / धर्मरच्च निधियों से निधियों को अन्तरित)	15	420069	434913
V. रॉयल्टी, प्रकाशानों आदि, से आय	16	375	317
VI. अर्जित व्याज	17	1248	1818
VII. अन्य आय	18	517376	460252
VIII. संपूर्ण वर्स्तुओं के स्टाकों में बढ़ती/(घटती) एवं कार्यों में प्रगति	19	0	0
कुल		1491302	1521112
2. व्यय			
I. स्थापना खर्च क) गैर - योजना	20	1163986	769903
II. अन्य प्रशासनिक व्यय आदि			
क) गैर - योजना	21	218388	473593
ख) योजना	21	32443	23596
III. अनुदान, सब्सिडी आदि., पर व्यय	22	0	0
VI. व्याज	23	0	0
V. मूल्हास (वर्षान्त में निवल योग - अनुसूची - 8 के समरूप)	8	49960	43552
कुल		1464777	1310644
3. व्ययोपरि आय के अतिरेक के रूप में शेष (1-2)		26525	210468
VI) विशेष राजस्व का स्थानांतरण (प्रत्येक का उल्लेख करें)		0	0
VII) सामान्य रिजर्व का अन्तरण		0	0
VIII) पूर्व वर्षों के भुगतान			
क) पिछले वर्षों में मूल्यहास (-)		4666	17759
4. कार्पस / पूंजी निधि को ले गये उपरि / घाटे के रूप में शेष		21859	192709
5. उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियाँ	24	Placed at schedules	
6. चालू देयताएँ और लेखों पर टिप्पणि	25	Placed at schedules	

ह /- XX XX XX

(टी.वेंकटेश)

कार्यपालक निदेशक & अध्यक्ष

अनुसूची - 24 : 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियाँ

1. लेखाकरण प्रथा :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 22 के अनुसार बोर्ड के लेखे निम्नलिखित प्रकार हैं :

1. बोर्ड, प्रत्येक वर्ष से सम्बन्धित प्राप्तियों एवं व्यय के सभी लेखाओं का रखरखाव करेगा।
2. खास वर्ष में लगे व्यय को अलग शीर्षों एवं उप-शीर्षों के तहत दिखाया जाएगा।
3. अथशेष, अगर कोई हो तो, अलग रूप से दिखाया जाएगा।
4. वर्ष के इतिशेष को व्यय पक्ष में प्राप्तियाँ और भुगतान लेखाओं को अलग से दिखाया जाएगा।
5. निवेशों के विवरणों के साथ संपत्तियों एवं देयताओं के विवरण लाने के लिए उपार्जन पद्धति पर तैयार किये गये वार्षिक प्रोफार्मा लेखा।

2. वस्तुसूची मूल्यांकन :

चालू वर्ष में उपलब्ध लेखन - सामाग्री एवं उपभोक्त वस्तुओं को उन वस्तुओं के वास्तविक खरीद दाम पर मूल्यांकित किया गया है। इसे तुलन-पत्र के अन्तिम स्टॉक लेखे के तहत दिखाया गया। लेखन सामाग्री, और उपभोक्त वस्तुओं का मूल्य आगामी वर्ष के लिए प्रारंभिक शेष के रूप में दिखाया जाता है।

3. निवेश :

तम्बाकू बोर्ड नियम 1976 की नियम 23 के प्रावधानों के अनुसार -

1. बोर्ड के चालू व्यय के लिये अपेक्षित धन को, खुदरा रोकड़ के सिवाय, और अधिशेष धन जिला खजाने या उपखजाने में वैयक्तिक खाता लेखा में अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक) या उसके समनुषंगी बैंकों में से किसी में चालू खाते में रखा जाएगा।
2. चालू व्यय के लिये अपेक्षित न की गई किन्हीं निधियों को केन्द्रीय सरकार के पास लोक लेखा खाते में # या भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा उसकी समनुषंगियों में से किसी में नियतकालिक निक्षेपों में रखा जा सकेगा।

परन्तु बोर्ड की पेंशन निधियाँ भविष्य निधि में की उन निधियों को, जो चालू व्यय के लिये अपेक्षित न हों, न्यासी प्रतिभूतियों या दस वर्षीय खजाना बचत निक्षेप पत्रों या राष्ट्रीय रक्षा पत्रों में अनुज्ञेय विस्तार तक, अथवा भारतीय स्टेट बैंक में (अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक या उसके समनुषंगी बैंकों में) आवधिक निक्षेप में, अथवा यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए तो किसी अन्य अनुसूचित बैंक में विनिहित किया जा सकेगा।

4. उत्पाद शुल्क : शून्य

5. स्थिर संपत्तियाँ :

तम्बाकू बोर्ड भूमि & भवनों की उपार्जन तथा अन्य संपत्तियाँ जैस., फर्निचर & उपकरण, कार्यालय उपकरण, विजली उपकरण, मोटार वाहन, वेयिंग स्केल, ट्रालियाँ, कंप्यूटर और साइकिल आदि., को केन्द्रीय सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुसार लागत के आधार पर लिये जाते हैं। इस अप्रयोज्य परिसंपत्तियों को उनके डिस्पोजल / बिक्री पर परिसंपत्तियों से हटाया गया है।

तम्बाकू बोर्ड के सिविल एवं विजली कार्य सीपीडल्लयूडी & राईट्स जैसे., सरकारी अभिकरणों के द्वारा अपनाया जाता है। निर्माण कार्य से संबंधित हमारे प्रस्ताव के लिए अभिकरणों से आकलन प्राप्ति के बाद, नियमों के अनुसार विभिन्न दशाओं में कार्य समापन होने तक निधि (राशि) रीलीज बोर्ड द्वारा किया जाता है। फार्म - 65 में समापन कार्यों के लिए या प्रगताधीन कार्यों से संबंधित व्यय विवरण प्राप्त होने के बाद इसे पूँजी व्यय के रूप में कैपटलैज किया गया है।

6. मूल्यहास :

मूल्यहास की पद्धति, जो एसएलएम पद्धति के अंतर्गत और कंपेनि अधिनियम, 2013 में निर्धारित दरों के अनुसार संपत्तियों पर अपनाया जाता है। यह मूल्यहास परिसंपत्ति की कुल मूल्य में, जो संपत्ति पर 95% तक मूल्यहास का प्रावधान के साथ-साथ इस (संपत्ति) की डिस्पोजल/बिक्री की अवशेष (रिसिड्युल) मूल्य के रूप में परिसंपत्ति मूल्य 5% को रखने के द्वारा मूल्यहास को, जिसमें पट्टे पर लिये भूमि, ट्रालियाँ, अग्नि शामक और कौपियर मशीन आदि को छोड़कर परिकलित किया जाता है। पट्टे पर भूमि और भवनों को लीज अवधि के आधार पर और ट्रालियों, अग्निशामकों तथा कौपियर मशीन के लिए परिसंपत्ति का उपयोग और अवधि के आधार पर मूल्यहास परिकलित किया जाता है। निर्माण कार्यों के संबंध में, पिछले वर्ष के मूल्यहास को भी परिगणना किया जाता है। प्रत्येक परिसंपत्तियों के लिए मूल्यहास दरों को नियत परिसंपत्ति तालिका की अनुसूची - 8 के अंतर्गत उल्लिखित किया गया।

7. विविध व्यय :

तम्बाकू बोर्ड में कोई आस्थगित राजस्व व्यय नहीं हैं, जो 5 वर्ष की अवधि से अधिक लिपिबद्ध किया जाना है। आवृत्ति प्रकृति वाले (वस्तु) पर उठाये गये व्यय को जेनरेटरों का रखरखाव, पानी की खरीदी, विद्युत मरम्मत & ट्रैलराईट & लाईट आदि., विभिन्न लेखाशीर्षों के अंतर्गत और स्वीपिंग के अंतर्गत और उपभोज्य वस्तु जैसे., ट्रैन, निशान स्थाई, ट्वल और बकेट आदि., व्यय, जो नियत लेखा शीर्षों के अंतर्गत नहीं कवर होता है, को विविध व्यय के अंतर्गत रखा जाता है।

8. बिक्री के लिए लेखा :

तम्बाकू बोर्ड में कोई सीधा बिक्री प्रचालन का विधान नहीं हैं। तम्बाकू ग्रोयरों द्वारा लाया गया और व्यापारियों द्वारा क्रयित एफसीवी तम्बाकू के लिए बिक्रियाँ तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में स्थापित नीलाम प्लैटफार्मों में नीलाम बिक्रियाँ तम्बाकू बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है। तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार शुल्क लगाने की शक्तियों निम्नानुसार है :

- क) धारा 14 - क (1) के अंतर्गत - जहाँ इस अधिनियम के तहत बोर्ड के द्वारा स्थापित किये गये किसी नीलाम मंच पर वर्जीनिया तम्बाकू की बिक्री की जाती है, बोर्ड अथवा बोर्ड के किसी अधिकारी के लिए, इस दिशा में ऐसी बिक्री के संबंध में बोर्ड के द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा समय-समय पर केन्द्र सरकार के द्वारा ऐसे तम्बाकू के मूल्य की दो प्रतिशत से अधिक न रहनेवाले दर पर, अपनी तरफ से अथवा इस दिशा में शुल्क आरोपित करने के लिए सक्षम रहनेवालों की तरह से :
- ख) धारा 14 (2) के अंतर्गत - उपधारा (1) के तहत लगाया गया शुल्क, बोर्ड के द्वारा अथवा ऐसे अधिकारी के द्वारा ऐसे तम्बाकू के वर्जीनिया तम्बाकू के विक्रेता और खरीदार - दोनों से, यथा निर्धारित किया जाएगा, वसूला जाएगा।

14 क के अंतर्गत क्रेता पर उद्ग्राह्य शुल्क :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 44 के अनुसार अधिनियम के धारा 14क के अंतर्गत बोर्ड द्वारा क्रेता को उनके द्वारा नीलाम प्लैटफार्म में उनके द्वारा विक्रित तम्बाकू मूल्य में एक प्रतिशत शुल्क लगाया जायेगा।

क्रेता से शुल्क रिकवरी का विधान :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 42 के अनुसार बोर्ड या कोई अधिकारी या कोई प्राधिकृत व्यक्ति, जो बोर्ड द्वारा प्राधिकृत है, को 14क के अंतर्गत शुल्क रिकवर करेगा इसे तम्बाकू की बिक्री प्रोसीड़ों से घटाया जायेगा।

14 क के अंतर्गत खरीदार पर उद्ग्राह्य शुलक :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1975 के नियम 44 के अनुसार अधिनियम के धारा 14 क के अंतर्गत बोर्ड द्वारा खरीदार को उनके द्वारा नीलाम प्लैटफार्म में उनके द्वारा खरीदी गयी तम्बाकू मूल्य में एक प्रतिशत शुल्क लगाया जायेगा।

खरीदार से वसूली विधान :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 45 के अनुसार बोर्ड या कोई अधिकारी या कोई प्राधिकृत व्यक्ति, जो बोर्ड द्वारा प्राधिकृत है, को 14क के अंतर्गत शुल्क रिकवर करेगा, इसे उनके द्वारा खरीदी तम्बाकू मूल्य में जोड़ दिया जायेगा।

9. सरकारी अनुदान / सब्सिडी :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के धारा 16 के अंतर्गत रहे प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय सरकार से अनुदान और उधार प्राप्त करेगा - केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा इस निमित विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् बोर्ड को अनुदानों और उधारों के तौर पर उतनी धनराशियों, का संदाय कर सकेगी जितनी केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए ठीक समझे।

10. विदेशी मुद्रा लेन-देन :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 24(4) के अनुसार बोर्ड भारत के बाहर किसी एक मद पर पन्द्रह हजार रुपये से अधिक व्यय, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना उपगत नहीं करेगा।

₹ 68,39,564.73 की रकम खर्च की गई, जिसमें दि. 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए निर्यात संवर्धन, मेले एवं प्रदर्शनियों और विदेशों में विज्ञापन आदि., शामिल है।

भारतीय तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के ब्राण्ड प्रचार के अंतर्गत विदेशी पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रभार और विदेशी और भारत में मेले एवं प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए यात्रा व आवास व्यय, निर्यातों को बढ़ावा देने विदेशों को व्यापारी प्रतिनिधि मंडलियों को भेजने से संबंधित आवेदित विदेशी मुद्रा लेन-देन पर उठाये गये व्यय को भारत सरकार की पूर्व मंजूरी से खर्च करेगा।

11. लीज :

बोर्ड ने, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र स्तर क्रियाकलायों और एफ सी वी तम्बाकू की बिक्रियों को आयोजित करने आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों में जी एफ आर के साधारण प्रावधानों को अनुसरण करते हुए परिसर / कार्यालय भवनों को लीज पर लेती है।

12. सेवा निवृत्ति सुविधाएँ :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के धारा 5 के अनुसार अध्यक्ष ऐसे वेतन और भत्ते का तथा छुट्टी, पेशन, भविष्य-निधि तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में सेवा की ऐसी शर्तों का हकदार होगा जैसी समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की जाएं।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के धारा 6(3) के अनुसार कार्यपालक निदेशक तथा सचिव ऐसे वेतन और भत्तों के तथा छुट्टी, पेशन, भविष्य-निधि और अन्य मामलों के बारे में सेवा की ऐसी शर्तों के हकदार होंगे जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर, नियत किया जाए।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के धारा 6(4) के अनुसार ऐसे नियन्त्रण और शर्तों के अधीन रहते हुए (जिनके अन्तर्गत तम्बाकू निर्यात संवर्धन परिषद के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए शर्तें भी उस दशा में हैं जिसमें कि उक्त परिषद का परिसमापन किया जाए), जिन्हें विहित किया जाए, बोर्ड ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा, जो उसके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों।

तम्बाकू बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के सेवा की शर्तें :

तम्बाकू बोर्ड (साधारण) विनियमा, 1984 के विनियम 13 (1) के अनुसार बोर्ड के नियोजित या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारियों की बाबत वेतन और भत्ता, छुट्टी, पेशन और सेवा निवृत्ति प्रसुविधा, भविष्य निधि, अनुशासिक कार्यवाहियों और शासित का अधिरोपण, सेवा की अन्य शर्तें, जिसके अंतर्गत अधिवार्षिता की

आयु और अन्य सुविधायें जैसे वेतन का अग्रिम, सवारी क्रय करने का अग्रिम, मकान का संश्लिष्टिकरण और अन्य बातें हैं, यदि इस विनियम में कोई उपबंध अलग से नहीं किया गया है, तो ऐसा नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित होगा जो तत्समय उन स्थानों पर कार्य कर रहे तत्समान श्रेणी या प्रारिथति के केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू होते हैं।

अनुसूची 25 : 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए प्रासंगिक देयताएँ एवं लेखाओं पर टिप्पणी:

1. **आकस्मिक देयताएँ :** आकस्मिक देयताओं के विवरण तुलन पत्र में सूचित किया है।
2. **पूँजी प्रतिबद्धताएँ :** शून्य।
3. **पट्टे (लीज) बद्धताएँ :**

तम्बाकू बोर्ड ने निम्नलिखित परिसरों जैसे., आन्ध्र प्रदेश में ओंगोल - II, कोडपी तथा टंगुदूर - II और कर्नाटका में कंपलापुरा - प्लैटफार्म और कर्नाटका में नीलाम निदेशालय कार्यालय, बेंगलूर & प्रादेशिक प्रबंधक कार्यालय, पेरियपट्टना और आन्ध्र प्रदेश में प्रादेशिक प्रबंधक कार्यालय, राजमहेन्द्री, हैदराबाद और नई दिल्ली, संपर्क कार्यालय को लीज पर लिये गये।

4. वर्तमान संपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम :

बोर्ड द्वारा अपनाये चालू संपत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों के विवरण तुलन पत्र की अनुसूची सं. 11 के अंतर्गत दिये गये।

5. कराधान :

आयकर अधिनियम, 1961 के धारा 10 (29 क) (घ) के अनुसार तम्बाकू बोर्ड आयकर के भुगतान से छूट दी गई।

लेखाओं पर टिप्पणी :

क) गठन :

तम्बाकू बोर्ड का गठन, आन्ध्र प्रदेश, गुण्ठूर में मुख्यालय के साथ, सन् 1975 में संसदीय अधिनियम के तहत, किया गया।

ख) लक्ष्य :

यह एतद्वारा घोषित किया जाता है कि सार्वजनिक हित के तहत, केन्द्र सरकार, तम्बाकू उद्योग को, (जो उचित समझता है) अपने नियंत्रण लेता है।

वर्ष 1984 में भारत सरकार के द्वारा, एमएसपी परिचालनों के लिए ₹ 1.25 करोड़ों की आंशिक रकम से, वाणिज्य शाखा का सृजन किया गया। वाणिज्य शाखा का लक्ष्य-सरकार के द्वारा निर्धारित किये जाने वाले व्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर नीलाम मंचों पर बचे हुए तम्बाकू का मॉप - अप करना तथा बाजार को स्थिर रखना-एतद्वारा उत्पादकों के हितों की रक्षा करना है।

ग) बोर्ड का गठन :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 (4) के अंतर्गत बोर्ड का गठन, निम्नलिखित सदस्यों के द्वारा किया जाता है, यथा -

क) केन्द्र सरकार के द्वारा नियुक्त किये जाने वाला अध्यक्ष।

ख) तीन सांसद, जिनमें दो का चुनाव लोक सभा के द्वारा और एक सदस्य का चुनाव राज्य सभा के द्वारा किया जाएगा।

ग) आठ सदस्यों की नियुक्ति, केन्द्र सरकार के द्वारा प्रतिनिधित्व निम्नानुसार की जाएगी:

i) कृषि से संबंधित केन्द्र सरकार का मंत्रालय;

ii) वाणिज्य से संबंधित केन्द्र सरकार का मंत्रालय;

iii) वित्त से संबंधित केन्द्र सरकार का मंत्रालय;

iv) औद्योगिक विकास से संबंधित केन्द्र सरकार का मंत्रालय;

v) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद;

vi) गुजरात सरकार और

vii) कर्नाटक सरकार।

ई. दो सदस्य-आन्ध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक राज्यों को छोड़कर अन्य तम्बाकू उत्पादक राज्यों के सरकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, केन्द्र सरकार के द्वारा नियुक्त किये जाएँगे।

उ. उत्पादक, तम्बाकू डीलरों एवं तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के नियार्तकों (पैकर सहित) में से तथा केन्द्र सरकार की दृष्टि में तम्बाकू विपणन अथवा कृषि अर्थ-व्यवस्था में माने जानेवालों में से, केन्द्र सरकार के द्वारा विशेषज्ञ माने जानेवालों में से, केन्द्र सरकार के द्वारा सदस्यों की नियुक्ति जिनकी संख्या, +दस सदस्यों से अधिक न हो,

* परंतु इस अनुच्छेद के तहत तम्बाकू उत्पादकों में से नियुक्त किये जानेवाले सदस्यों की संख्या छः से अधिक न हो, की जाएगी।

ऊ. कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, ग्रामीण विकास विभाग, पदेन;

ऋ. कार्यपालक निदेशक, पदेन;

घ) प्रकार्य :

तम्बाकू बोर्ड, अपने कार्यों का निर्वाह तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 8 के अनुसार करता है।



छ) वित्त, लेखे एवं लेखा परीक्षा :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 17 (1) के अनुसार तम्बाकू निधि नाम की एक निधि का गठन किया जाएगा तथा उसको निम्नलिखित प्रकार की जमाएँ की जाएँगी :-

- क) इस अधिनियम अथवा उसके अनुसार बने नियमों के तहत लगाया गया और वसूला गया शुल्क;
- ख) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा प्रदत्त रकमों अथवा स्वीकृत किये गये ऋण;
- ग) इस अधिनियमों के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा किये गये अनुदानों अथवा ऋण।
- घ) बोर्ड के द्वारा प्राप्त की गई रकमें, यदि कोई हो, तो क्यारीआऊट उपाय को करने धारा 8 को रिफर किया जायेगा;

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 17(2) के अनुसार, निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रकार किया जाता है :

- क) अनुसूची 8 में सन्दर्भित कदमों की लागत के भुगतान के लिए :
- ख) बोर्ड के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते एवं अन्य पारिश्रमिक के भुगतान के लिए;
- ग) बोर्ड के अन्य प्रशासनिक खर्च करने के लिए;
- घ) किन्हीं प्रकार के ऋणों के पुनः भुगतान के लिए।

च) वित्तीय लेन-देन आम तौर पर :

1. तम्बाकू बोर्ड नियम 1976 के नियम 27 के अंतर्गत तथा इन नियमों में अन्यथा बताये जाने के छोड़कर, अब चालू रहने वाले केन्द्रीय राजकोष नियमों, केन्द्र सरकार के वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजन नियम, 1958 तथा सामान्य वित्तीय नियम, 1962 द्वारा किया जाता है। केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ उस पर बोर्ड के द्वारा किये जाने वाले परिवर्द्धनों अथवा अनुसरणों को, बशर्ते कि बोर्ड के सभी वित्तीय लेन-देनों पर लागू करेगा।

छ) देय एवं परिसंपत्तियों पर प्रधान विषय :-

1. बोर्ड ने तुलन पत्र और आय व व्यय लेखा में लेखा ऑकड़ों को हजारों रूपये तक पूर्ण कर (रॉड्ड आफ), जहाँ पर अनुसूचियों में राशियों को सही समझने तथा वित्तीय विवरणियों को समझने वास्तविक ऑकड़ों में दिया गया।
2. लेखाओं के यूनिफार्म फार्मेट के अनुसार ज्ञात देन-दारों को चालू संपत्तियों के अंतर्गत और सभी प्रोविजनल परिसंपत्तियों को प्रोविजनल के अनुसार रखा गया। दि. 31-03-2017 को समाप्त वर्ष के लिए वर्ष के लिए कुल देय राशि रु. 26,75,87,249.90 है।
3. पूर्णधृति तथा पट्टेधृति भूमियों के विवरण को, बोर्ड के तुलन पत्र का अनुलग्नक - I से III (अनुसूची - 8) के अंदर स्थिर संपत्ति विवरणों में अलग से सूचित किया गया।
4. दि. 31/03/2017 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 7,40,081.50 पर मूल्यांकित लेखन - सामाजी एवं उपभोक्त वस्तुओं को उन पदार्थों के वास्तविक खरीद दाम पर विचार करते हुए, अन्तिम स्टॉक लेखे के तहत दिखाया गया।

5. तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 23 (2) के अनुसार बोर्ड ने अधिशेष (ऊपरी) निधियों को आवधिक जमाओं के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेश किया है। 2016-17 को समाप्त वर्ष के लिए आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ तम्बाकू निधियों के कुल निवेश ₹ 541,67,95,973.44 के हैं। लेखा परीक्षकों के सुझाव के अनुसार यह आवधिक जमाओं की राशि तुलन पत्र के चालू संपत्ति, ऋण अग्रिम : अनुसूचित बैंकों के जमा लेखाओं (एफडीआर) के साथ अनुसूची - II में प्रदर्शित करना होगा।

सभी आवधिक जमाओं को प्रत्यक्ष रूप से सात्यापित किया गया। आवधिक जमाओं के विवरण, विवरणिका के रूप में तैयार किया गया तथा विवरण के अनुलग्नक क्रम में पाया।

6. बोर्ड की स्थिति संपत्तियों प्रोरेटा मासिक आधार पर मूल्यहास के परिकलन के लिए निर्धारित किये गये। पूर्व वर्ष की मूल्यहास को निर्धारित किया गया। बोर्ड द्वारा अपनाये संपत्तियों पर मूल्यहास के दर निम्नलिखित प्रकार है :

1. भूमि-पट्टधृति : 360 महीनों की अवधि
2. भवन : पट्टधृति भूमि पर : 276 महीनों की अवधि
3. पूर्णधृति भवन : 1.58% (आर सी सी छत) & 3.17% जैर - आर सी सी
4. फर्नीचर और फिटिंग्स और विद्युत उपकरण : 9.50%
5. साइंकिल, ग्रंथालय पुस्तक, विविध उपकरण, टार्पलीन : 9.50%
6. ट्राली, वैयिंग स्केल & क्यूबिकल्स : 9.50%
7. कार्यलय उपकरण प्रदर्शनी उपकरण : 19.00%
8. वैज्ञानिक उपकरण, कॉर्पियर मशीन : 19.00%
9. अग्नि शामक : 19%
10. कंप्यूटर : 31.67 %

जहाँ तक ट्रालियों का सम्बन्ध है, कम्पनी आधिनियम में कोई निश्चित प्रतिशत उपलब्ध नहीं है, ट्रालियों का उपयोग बहुत ही कच्चा है और ये ट्रालियों मुटा लेवर शामिकों द्वारा कठोरता से प्रचालित किया जाता है। इन ट्रालियों का टूट-फूट बहुत अधिक होते हैं और ये काम करने के लिए अनुपयुक्त बन जायेगी। अतः ट्रालियों के मूल्यहास - दर @ 9.50% पर निर्धारित किया गया है।

अग्निशामकों के सन्दर्भ में, सिलिङ्डरों में उपयोग किये जाने वाला पदार्थ, 5 वर्षों के बाद अनुपयुक्त उपयोग के लिए एक बार तोड़े जाने पर, सही ढंग से रखे। आग दुर्घटना के समय उपयोग के लिए एक बार तोड़े जाने पर, उसको प्राधिकृत अभिकरण के द्वारा सामग्री की पुनः भर्ती की जाने की जरूरत है, जोकि लागत - महँगा है। अतः अग्निशामकों के लिए अपनाये जाने वाला मूल्यहास - दर अग्निशामकों के जीवनकाल के अनुसार @ 19% (प्रतिशत) का रहेगा।

उसी प्रकार, कॉपियर मशीन के लिए भी प्रति वर्ष @ 19% का मूल्यहास दर अपनाया गया है, क्योंकि कॉपियर मशीन का जीवनकाल 5,00,000 प्रतियों का है। 5,00,000 प्रतियों के जेराक्ष की कालावधि के पश्चात मशीन की लागत बहुत खर्चीला है, जिसमें रखरखाव पर भारी खर्च लगता है।

संपत्तियों पर पिछले वर्ष मूल्यहास के साथ दि. 31/10/2017 तक तम्बाकू बोर्ड की स्थिर संपत्तियों पर ₹ 5,46,25,848.80 की कुल रकम का मूल्यहास किया गया है।

7. दि. 31-03-2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष दौरान परिसंपत्तियों को, जो कि सपीडब्ल्यूडी और राईट्स अभिकरणों को रीलीज अग्रिमों केलिए परिसंपत्तियों के रूप में कैपिटलैज किया गया। फार्म - 65 के व्यय विवरण के अनुसार पूँजी कार्यों, रखरखाव कार्यों और विद्युत कार्यों से संबंधित ₹ 2,24,77,753.00 राशि को कैपिटलैज किया गया।
 8. दि. 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए फुटकर व्यय के लेखों पर ₹ 96,13,143.88 की रकम खर्च हुई है, जिसमें जेनरेटरों का रखरखाव, पानी की खरीदी, बिजली मरम्मत & प्रतिस्थापन, स्वीपिंग व्यय आदि., शामिल हैं।
- दि. 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए फुटकर प्राप्तियों के लेखों के लेखों पर ₹ 2,97,86,294.18 की रकम खर्च हुई है, जिसमें सतर्कता दलों द्वारा सीज किये तम्बाकू पर जुर्माना, बेल पट्टा का विभिन्न मूल्य, जी एस पी प्रमाणपत्र की बिक्री, व्यूस पत्रों को अंशदान, समाचार पत्र की बिक्री, इनपुट ऋण खाता के अंतर्गत सरप्लस व्याज आदि., शामिल हैं।
9. 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष केलिए प्रत्येक क्रेताओं और ग्रोयरों से @1% एफसीवी तम्बाकू पर सेवा प्रभार लेखा के अंतर्गत ₹ 53,29,36,335.59 प्राप्त हुई।
 10. केन्द्र सरकार से अथवा राज्य सरकार से 2016-17 वित्तीय वर्ष से दौरान कोई अनुदान / सहायता को प्राप्त नहीं किया गया।
 11. दि. 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष केलिए विदेशी मेले तथा प्रदर्शनियों के सम्बंध में ₹ 11,89,594.80 की राशि खर्च की है।
 12. सेवा निवृत्ति सुविधाएँ जैसे., उपदान (ग्राच्युटी), अवकाश वेतन और पदाधिकारियों को, जो सेवा निवृत्ति प्राप्त होते हैं, जिसमें 7 सीपीसी के बढ़ाये दरों के अनुसार सेवानिवृत्ति सुविधाओं के भुगतान करने केलिए देयताएँ भी सम्मिलित हैं, को पेंशन नकदीकरण आदि., लेखा के अंतर्गत ₹ 14,52,75,697.00 की राशि रही है।
 13. दि. 31-03-2017 तक तुलन पत्र के अनुसूची - 11 के अनुसार चालू संपत्तियों, ऋण और अग्रिम लेखाओं के अंतर्गत ₹ 606,91,88,043.97 राशि उपलब्ध रहा था।
 14. ₹ 16,02,484.00 की रकम 1977 तूफान ऋण संबंधित प्रधान लेनदारों (किसानों) से बकाया है। सामान्य मुकद्दमों एवं ईपी, प्लैटफार्म अधिकार क्षेत्र में संबंधित मनानीय व्यायालयों के सामने दायर किये गये और ये व्यायाधीन (सबजुडिस) हैं। बोर्ड ने, व्याज और कानूनी प्रभारों के अधित्याग में 50% जैसी ऋण की रकमों को, एक मुक्त निपटान के तहत देय बकायों को वसूल करने के लिए तीव्र प्रयत्न किये और देय बकाये की वसूली हेतु कमजोरी रही। बाकी लेनदार तम्बाकू पैदा नहीं कर रहे और न पता है। बोर्ड के द्वारा किये गये सभी प्रयासों के बावजूद, चूँकि कानूनी तौर पर कार्रवाई करने के लिए कोई बन्धक रखी गई सम्पत्ति नहीं रही। बाकी रमक की वसूली की संभावना कम है। जहाँ बोर्ड ने व्यायालयों का दरवाजा खटखटाया, वहाँ कानूनी खर्च व्यक्तिगत मामलों में बकाये रकम से बढ़कर रहा। अतः हैदराबाद में



दि. 28/07/2007 को संपन्न बोर्ड की 122 वीं बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की और 1977 तूफान झूणों के संबंध में हानियों को बढ़ाया खाते डालने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया। क्योंकि तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 24(2) के अनुसार हानियों को बढ़ाया खाते डालने के लिए सरकार सक्षम है। इस संबंध में, बोर्ड ने पत्र सं 3 (20) 2006-07/ एलआरसी, दि 27/09/2007 और दि. 07/ 01/2008, 13/05/2008, 23/03/2009, 12/04/2010, 11/10/2010, 30/04/2013, 07/02/2014, 24/10/2014 & 28/07/2015, 09/06/2016 & 20/02/2017 को अनुस्मारक लिखा। इस संबंध में सरकार की स्वीकृत प्रतिक्षित है।

15. तम्बाकू बोर्ड द्वारा समय पर लीज पर परिसर को निष्कासन नहीं करने के संबंध में गोपालपुरम नीलाम प्लैटफार्म के संबंध में अतिरिक्त जिला जज व्यायालय, कोबुरु के साथ मामले के रूप में व्यायालय संबंधित रु. 110.65 लाख आकर्षित देयता राशि रहा था।
16. ऑंगोल - II नीलाम प्लैटफार्म से संबंधित अनिश्चित देयता से संबंधित ₹ 13.38 लाख राशि अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल जज, ऑंगोल, प्रकाशम जिला के साथ विचाराधीन रहा है। पीटीशनर ने कारारनामा समय के खिलाफ बोर्ड द्वारा लीज पर किये परिसर को पूर्व निष्कासन के किरायों के लिए दावा किया। डामेज ₹ 13.38 लाख + दि. 31/12/2015 से 18% व्याज और अन्य लीगल प्रभार के लिए दावा किया।
17. कर्नाटका राज्य ग्राहक उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेशों के अनुसार ₹ 25,000/- की राशि, जो राज्य रिड्डासल आयोग, बेंगलूरु के साथ उपलब्ध है, को 31/03/2017 के तुलन-पत्र की संपत्तियों की तरफ दिखाया है।
18. वाणिज्यक प्राचलनों के लिए आंशिक रकम (व्यापार रक्कंध के लिए अनुदान सहायता) के उद्देश्य के लिए रखरखाव किये निधि लेखाओं को, तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि, तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि, तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन निधि (टाइटर - 1) तथा तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि को, लेखापरीक्षा द्वारा सुझाये गये के अनुसार नियत/धर्मरक्षण निधियों की अनुसूचि - 3 के अंतर्गत दर्शाया गया है।
19. वाणिज्यक संचालन (व्याप्र संबंध के लिए अनुदान) लेटवा के अंगर्तत मार्जिन राशि के अंतर्गत निधि लेखा बहियों के अनुसार रु. 20,42,75,409.00 राशि उपलब्ध रहा था व्यापार रक्कंध, जो एमएसपी प्रचालनों के लिए रु. 1.25 करोड़ मार्जिन राशि के साथ 1984 में भारत सरकार द्वारा सूजन किया गया। 1987 से 2000 के दौरान एम एस पी प्रचालनों के लिए रु. 0.91 करोड़ लाभ प्राप्त किया दि. 31-03-2017 तक नियत जमाओं पर व्याज के रूप में रु. 18.27 करोड़ प्राप्त किया।
20. सामान्य भविष्य निधि खाता के अंतर्गत लेखा बहियों के अनुसार ₹ 24,32,96,847.45 उपलब्ध रहे। ब्राड शीट के अनुसार चंदा के व्याज को मिलाकर पदाधिकारियों को देय रकम ₹ 23,17,48,317.00 है। आवधिक जमाओं पर उपार्जित व्याज अधिशेष राशि ₹ 1,15,48,530.45 है अधिशेष राशि, सा भ नि के लिए पदाधिकारियों के अंशदान के देय व्याज से अधिक है।
21. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि लेखा के अंतर्गत निधियों में, भा.जी.नि, विजयवाडा के साथ ₹ 130,85,47,888.00 राशि और बैंक में नकद के रूप में ₹ 1,87,113.17 राशि कुल मिलाकर लेखा बहियों में ₹ 130,87,35,001.17 राशि उपलब्ध रहा है। भारतीय जीवित बीमा निगम ने निधि लेखा के बीमांकित (एक्चुरियल) मूल्यांकन के अनुसार दि. 31.03.2017 तक ₹ 171.55 करोड़ की कुल निधि आवश्यकता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उपलब्ध निधि ₹ 130.85 करोड़ को ध्यान में रखने हुए ₹ 40.70 करोड़ की राशि जमा करने के लिए अनुरोध किया था। अतः ₹ 40.70 करोड़ देय राशि को लेखा बहियों में देयता के रूप में ली गई है।



22. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन योजना खाता के अंतर्गत निधि, जो खाता बहियों के अनुसार रु. 70,07,474.00 है। कर्मचारियों और नियोक्ता का अंशदान, जो साभनि व्याज दरों सहित है, के संबंधित नया पेंशन योजना के अंतर्गत देय रु. 59,21,56,900 रहा है। एफडी आर के पर प्राप्त व्याज की अधिशेष, राशि रु. 10,85,905.00 राशि, जो एन पी एस के अंतर्गत पदाधिकारियों को देय व्याज राशि से अधिक रहा है।

बोर्ड ने, उन कर्मचारियों, जिन्होंने दि. 01-01-2004 को या बाद में नियुक्त हुए थे, केलिए नयी पेंशन योजना का सृजन किया। बोर्ड द्वारा साथ-साथ कर्मचारियों द्वारा आवश्यक अंशदान का हिस्सा को तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नयी पेंशन योजना के नाम पर बैंक खाता खेलने के द्वारा बैंक में जमा दिया गया।

दि. 31-03-2017 तक एन पी एस लेखा के अंतर्गत दि. 01/01/2004 के बाद 121 पदाधिकारियों का चयन हुआ था। एन पी एस के अंतर्गत पदाधिकारियों से प्रति महीने उनके वेतनों में से पेंशन अनुदान रु. 1,36,70,910.00 घटाया गया और बोर्ड इसके समान राशि रु. 1,36,70,910.00 अंशदान के रूप में और साभ नि के दरों में उनके अंशदान पर व्याज के रूप में रु. 58,47,919.00 क्रेडिट किया गया इसका कुल निधि रु. 3,31,89,739.00 रहा है। एनपीएस के अंतर्गत बोर्ड के पास उपलब्ध राशि में से रु. 2,72,68,170.00 को प्रान प्राप्त पदाधिकारियों के व्यक्तिगत अंशदान डेटा को अपलोडिंग करने के द्वारा ट्रस्टी बैंक अक्सिस बैंक, मुंबई को स्थानांतरण किया गया था। बोर्ड के साथ एन पी एस लेखा के अंतर्गत एन एस डी एल, मुंबई से प्रान न प्राप्त पदाधिकारियों से संबोधित बोर्ड के पास रु. 59,21,569.00 राशि उपलब्ध रहा है।

23. तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि योजना के अंतर्गत निधि में बही खातों के अनुसार रु. 55,08,39,092.58 राशि (आन्ध्र प्रदेश रु. 30,60,57,743.46 कर्नाटका में रु. 24,47,81,349.12) उपलब्ध रहा था।

भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 06/05/2007 -ईपी (आगि. IV) दि. 28/07/2008 द्वारा अप्रधिकृत तम्बाकू और ग्रोयरों द्वारा आधिक्य तम्बाकू की बिक्री पर वसूल किये जाने वाले जुर्मानाओं से तम्बाकू किसान और तम्बाकू बोर्ड के बीच 1:2 अनुपात में अंशदान के साथ तम्बाकू बोर्ड ग्रोयर कल्याण योजना का सृजन करने केलिए अनुमति प्रदान किया। 2009-10 के को यह निधि खाता का सृजन हुए।

24. उपदान (ग्राट्युरी) और अवकाश नकद केलिए निधि खाता सृजन करने केलिए मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया गया और सरकार से स्वीकृत प्राप्त होना है। सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद उपदान (ग्राट्युरी), अवकाश वेतन और अर्धवेतन राशि का सही परिकलन वर्कआउट किया जायेगा तथा निधि खाता वास्तव भुगतान करने के बाद वास्तविक देयता का प्रावधान की जाएगी। इस संबंध में 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17 वर्षों केलिए अवकाश वेतन, ग्राट्युरी और अर्ध वेतन का भुगतान के संबंध में रु. 15.00 करोड़ कुल देनदारी प्रदान की गई है।

25. नीलामकार सेवा (क्रेता प्राधिकरण शुल्क, डेमरेज प्रभार & बेल पट्टा) की सेवाओं कानूनी परामर्श सेवाएँ (लीगल प्रभार) और किराया काब प्रचालक सेवाओं (वाहनों को भाड़ा) पर सेवा कर से संबंधित सेवा कर विभाग को देय रु. 1,66,98,147.00 राशि को प्रोविजनल देयताओं के रूप में लिया गया, जजो कि यह मामला सी ई एस टी ए टी, हैदराबाद और आयुक्त (अफील), केन्द्रीय उत्पादा शुल्का & सेवा कर, गुन्दूर के अधीन हैं। कंपेनियों से देय राशि रु. 6,19,339.58 को लेखा बहियों में चालू संपत्तियों के रूप में दिखा गया।
26. 2014-15 वर्षों के लिए (₹3,500/- से ₹7,000/- तक राशि को बढ़ाने के कारण प्रत्येक को ₹3,500/- ₹700/- बकाया) और 2015-16 के लिए प्रत्येक को हिसाब से बोर्ड के कर्मचारियों को बेनस भुगतान ₹57.24 लाख राशि को देयता राशि के रूप में रखा गया।
27. दि. 01.01.2016 से 31.03.2017 तक बोर्ड के पदाधिकारियों को 7 सीपीसी के देयता भुगतान करने देयता से संबंधित ₹12,26,14,107.00 का प्रावधान किया गया।
28. दि. 31.03.2017 तक सेवा निवृत्त लाभों, संपत्ति कर, कंप्यूटरों का रखरखाव, तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि (बोर्ड हिस्सा) को दय राशि और सीपीडब्ल्यूडी राईट्स आदि., के कार्यकारी अभिकरणों को देय राशि लेखा बहियों में बकाया देयताओं के रूप में प्रावधान की गई है।
29. मेसर्स स्टेसालिए लिमिटेड, कोलकत्ता को तम्बाकू बोर्ड के लिए एफसीवी तम्बाकू ग्रोयर सूचना प्रणाली केलिए परियोजना डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन निष्पादन करने वर्क आर्डर जारी किया गया था। इस परियोजना के नियम एवं शर्तों के अनुसार परियोजना कार्य समापन के लिए दि. 31-01-2015 को अंतिम तारीख है। यह कंपेनी 31-01-2015 तक परियोजना समाप्त करते में असफल रहा और एस आर दस्तावेज के अनुसार परियोजना समापन नहीं कर पाया और समय बढ़ने के लिए माँग की थी। इसलिए परियोजना समापन करने के लिए दि. 30-06-2015 को अंतिम तारीख माना गया। दि. 23-07-2015 को बोर्ड ने इस परियोजना की इथिति की समीक्षा की और यह पाया कि साफ्टवेयर असंपूर्ण और सभी माइक्रोसॉफ्ट एवं ऑफिस रिपोर्टों को विकसित की जानी है। अतः मेसर्स. स्टेसालिट लिमिटेड को जारी कार्य आदेश को रद्द कर दिया गया और इसकी सूचना दि. 15-07-2016 द्वारा सूचित किया गया था। 2015-16 के दौरान बनायी गयी प्रोविजनल देयता ₹42.27 को 2016-17 के दौरान खाता बहियों में वापस ली गई।
30. तम्बाकू बोर्ड पंजीकृत एफ सी वी तम्बाकू ग्रोयरों को रसायनिक उर्वरकों को प्रोक्स्यूर और वितरित कर रहा है। 2008-09 तक ग्रोयरों को उर्वरकों को वितरण करने के लिए स्पाईसेस ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एस टी सी एल) की सेवाओं ली थी। 2009-10 के दौरान, मेसर्स. एस टी सी एल सेवाएँ अनुपलब्धता के कारण ग्रोयरों को उर्वरकों की वितरण करने का कार्य बोर्ड ने, अपना लिया। इन प्रचालनों के लिए उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मैसूर ने ग्रोयरों को, जो कि यह के बीच ठी अधिनियम, 2003 के अंतर्गत डीलर अनुज्ञित प्राप्त नहीं करने के कारण यह बिलम्बित भुगतान रहा था, के लिए उर्वरकों वितरण करने के लिए कर राशि ₹2,34,27,445/- और कर पर जुर्माना ₹70,28,233/- को अदा करने मूल्यांकन आदेश दि. 27/05/2011 द्वारा बोर्ड को (सूचना) जारी किया। इस संबंध में, बोर्ड ने कर्नाटका राज्य सरकार से और माननीय कर्नाटका उच्च व्यायालय द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर, बेंगलूरु को अपील करने के द्वारा अनेक प्रयास किये थे। बोर्ड द्वारा निर्धारित रिट पीटिशन माननीय अदालत द्वारा बरखास्त कर दिया था।

इस संबंध में, बोर्ड ने दि. 07/12/2013 को बिक्री कर अपीलीय व्यायालय, कर्नाटका, बैंगलूर को अपील की। यह ट्रिब्यूनल (व्यायालय) दि. 31/12/2013 को डी सी सी टी (वी ए टी), लेखा परीक्षा-I, मैसूर के साथ 30% कर राशि ₹91,36,703/- को जमा करने पर मामला स्वीकार किया। उप आयुक्त, वाणिज्यक कर, वी ए टी लेखा परीक्षा - 1, मैसूर के नाम पर ₹2,13,18,975.00 राशि को बी.जी. के रूप में रखा गया। ट्रिब्यूनल ने आदेश दि. 31/08/2016 द्वारा बोर्ड की अपील को खारिज कर दिया गया था।

अतः पूरा कर जुर्माना राशि बैंक गारंटी रद्द करने के द्वारा उप आयुक्त, वाणिज्यक कर, मैसूर को दि. 25/11/2016 को चुकाई गई।

डी सी सी टीवी ए टी (लेखा परीक्षा-I), मैसूर द्वारा ₹3,04,55,678/- की कर राशि प्राप्त करने के बाद, फिर ₹3,26,98,056/- राशि के लिए, जो 21/05/2009 से 25/11/2016 तक अवधि के लिए उक्त कर पर व्याज से संबंधित है, से संबंधित दूसरा डिमान्ड नोटीस जारी किया था। इस संबंध में, बोर्ड ने केवीएटी के आदेश और 09/12/2016 को जारी डिमान्ड नोटीस का चुनौती देते हुए एक रिट पिटीशन दि. 02/01/2017 को माननीय कर्नाटका उच्च व्यायालय, बैंगलूर के सामने दायर किया।

माननीय उच्च व्यायालय ने, मूल्यांकन आदेश दि. 27.05.2011 को जारी, जो अभियोजिक (डी सी सी टी, वाट, कर्नाटका) के साथ ₹32,69,805 राशि पीटिशनर को जमा करने के शर्त पर, आगे की कार्यवाही के लिए इंटिरम स्टेज जारी किया। इसी बीच, कर्नाटका राज्य सरकार ने कर समाधान योजना - 2017 द्वारा वाट, सी एस टी और के ई टी आदि., से जुर्माना और व्याज को अधित्याग, जो लोग दि. 01.04.2005 से 31.03.2016 तक कर अवधि के लिए 15.03.2017 तक राशि अदा नहीं किया गया था, तथा व्याज और जुर्माना भुगतान से संबंधित मामला लंबित रहा है, को व्याज और जुर्माना के 10% मात्र भुगतान करने से अधित्याग के लिए योज्य हैं।

उक्त मामला की स्थिति को देखते हुए बोर्ड ने सीटीडी. सं. 1789617671 द्वारा दि. 30.05.2017 को ई-पेमेंट के जारिये ₹32,69,805/- की राशि भुगतान किया। कर समाधान - 2017 के अंतर्गत व्याज के छूट लाभ को प्राप्त करने आँन - लाईन आवेदन नियंत्रित किया और एक समय लाभ योजना, जो कर्नाटका सरकार द्वारा घोषित किया गया था, को उपयोग करने बोर्ड की अपील को डिसमिस करने माननीय कर्नाटका उच्च व्यायालय, बैंगलूर में एक स्मारक (मेमो) नियंत्रित किया।

तम्बाकू बोर्ड की प्रमुख रसीद (आन्तरिक स्रोत)

31. तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 14 के अंतर्गत रहे प्रावधानों के अनुसार तम्बाकू बोर्ड ने, उनके नीलाम प्लैटफार्मों पर विपणित तम्बाकू का मूल्य पर @ 2% प्रदान की गई सेवाओं के लिए “सेवा प्रभार” के रूप में शुल्क लगायेगा सेवा प्रभार, जो ग्रोयर द्वारा विक्रित और क्रेता द्वारा क्रयित तम्बाकू पर प्रत्येक से @ 1% हिसाब से ग्रोयर तथा क्रेता से समान रूप से वसूल करेगा।
32. तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के नियम / विनियमों के प्रावधानों के अनुसार ग्रोयर, बखार प्रचालक & नर्सरीमेन के रूप में रजिस्ट्रेशन प्रदान करने ग्रोयरों से रजिस्ट्रेशन शुल्क और निर्यातक, तम्बाकू या तम्बाकू उत्पादों के निर्यातक, तम्बाकू डीलर, तम्बाकू पैकर, तम्बाकू प्रोसेसर, तम्बाकू निर्माणकर्ता और तम्बाकू के वाणिज्यक श्रेणीकरण कर्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन प्रदान करने व्यापारियों से और क्रेताओं, जिन्होंने नीलामियों में भाग लिये थे, से प्राधिकरण शुल्क वसूल करेगा।



33. बोर्ड, पंजीकृत उत्पादकों के द्वारा पैदा किये गये आधिक्य तम्बाकू तथा गैर-पंजीकृत उत्पादकों के द्वारा किये गये तम्बाकू पर लगाये गये अतिरिक्त सेवा-प्रभार एवं अतिरिक्त शुल्क लगाता है। ये दण्डशुल्क प्रतिवर्ष सरकार के द्वारा निर्धारित किये जाते हैं, और समय-समय पर बदले जा सकते हैं। 2016 नीलामों के दौरान, प्रति कि.ग्रा. @ ₹ 2- और 7.5% पंजीकृत ग्रोयरों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त तम्बाकू, जो प्रधिकृत कोटा की सीमा तक केलिए जुर्माना लगाया गया। आगे, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में उत्पादित तम्बाकू, जिसमें तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 14 के अनुसार सेवा प्रभार शामिल है, के लिए पंजीकृत ग्रोयरों और अपंजीकृत ग्रोयरों से प्राधिकृत 10% की कोटा सीमा से अधिक तक ₹ 2/- प्रति किलो & 15% जुर्माना लगाया गया।
34. अचर जमाओं पर व्याज, ऋणों पर अधिकारियों & कर्मचारियों से व्याज & अग्रिम विभिन्न विविध प्राप्तियाँ भी बोर्ड की रसीद हैं।

तम्बाकू बोर्ड का मुख्य व्यय :

35. आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में, बोर्ड द्वारा स्थापित नीलाम प्लैटफार्मों में नीलामियों के द्वारा एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए स्थापना और प्रशासनिक प्रकृति पर प्रधान व्यय को गैर-योजना के तहत कवर किया है।
36. नीलामियों का अविघ्न आयोजन और तम्बाकू की गुणवत्ता पैदावार की वृद्धि, ईधन, क्यूरिंग लागत समय का बचाव के लिए विस्तार विकास योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन और तम्बाकू की खेती में विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन और तम्बाकू की खेती में विभिन्न तकनीकी उपकरणों की आपूर्ति आदि., पूँजी प्रकृति की व्यय को योजना के तहत कवर किया गया है।
37. आय व व्यय लेखा के अंतर्गत योजना और गैर-योजना व्यय का वर्गीकरण किया गया है।
38. आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों के लिए विस्तार & विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत उठाये गये व्यय को अलग से दिखाए गये और व्यय मुख्य कार्यालय, गुण्ठूर में किया गया है।
- बोर्ड की प्राप्तियों की लेखा के लिए ₹144.00 करोड़ प्राप्त हो गया। जिसके लिए 2016-17 के लिए ₹115.97 करोड़ व्यय किये गये। इसमें प्लान व्यय के लिए ₹7.48 करोड़ और गैर-योजना के लिए ₹108.49 करोड़ व्यय किये गये।
39. वाणिज्यक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक के डी. ओ. सं. पीडीसीए/एसी डेस्क/तंबो/2015-16/1.42, दि. 25/10/2016 के संदर्भ में, लेखा-परीक्षा बोर्ड के पदेन सदस्य, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, हैदराबाद तथा लेखा-परीक्षा द्वारा सुझाये गये अनुसार, 2016-17 वर्ष के लिए तम्बाकू बोर्ड के वित्तीय विवरणियों को तैयार करते समय समुचित संशोधन किये गये हैं। वे निम्न प्रकार हैं :
- क) ट्रालियों, कॉपियर मशीन, अग्नि शामकों और भूमि & भवन (पट्टेधारी) आदि., छोड़कर बोर्ड की सभी संपत्तियाँ के लिए एसएलएम पद्धति के अंतर्गत कंपेनी अधिनियम, 2013 के अनुसार मूल्यहास दरों को

तुलन पत्र की अनुसूची - 24 के अंतर्गत लेखीकरण नीति 6 में उल्लिखित किया गया।

- ख) प्रगताधीन पूँजीगत कार्यों के लिए सूचित संशोधन को लेखा बहियों में कार्यान्वित किया गया।
- ग) परिसंपत्ति के सकल मूल्य पर मूल्यहास की परिणामना को खाता की पुस्तकों में की गई है।
- घ) लेखा परीक्षा द्वारा सूचितानुसार तम्बाकू निधि लेखा की वित्तीय विवरण को पुस्तिका में सभी टैपोग्राफिकल ऋटियों को कार्यान्वित किया गया।
- ङ) 2015-16 के लिए परिसंपित्ति के सकल मूल्य के लिए मूल्यहास की अंतर राशि की बहीं खाताओं में रखा गया।
- च) वाणिज्यक प्रचालनों (व्यापर संबंध को सहायता अनुदान), तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि, तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि, तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना और तम्बाकू ग्रोयर कल्याण योजना के लिए मार्जिन राशि की एरमार्कड निधि लेखाओं के लिए सुझावों को तुलन पत्र & प्राप्तियाँ भुगतान विवरणों के अनुसूचियों में अलग से समाविष्ट किया गया।
- छ) वाणिज्यिक प्रचालनों (व्यापार संबंध को अनुदान सहायता) के मार्जिन राशि की निधियों को तम्बाकू निधि लेखा के आय & व्यय लेखा से अलग कर दिया गया और लेखा परीक्षा गण द्वारा सूचितानुसार तुलन पत्र के एरमर्कड निधियों की अनुसूची में सम्मिलित किया गया है।
- ज) लेखा परीक्षागण द्वारा सूचितानुसार अनुसूची - 24 और अनुसूची - 25 के अंतर्गत बोर्ड की लेखाकरण निधियों को, लेखाओं के संबंधित लेखाशीर्ष के अंतर्गत राशियों के बिना और संबंधित लेखाशीर्षों की राशियों की बोर्ड की लेखाओं के नोट में दिये गये।

ह/- xx xx xx

(सी.एस.एस. पट्टनायक)

प्रबंधक (वि व ले) & सचिव

आकलन निधियों की निधि शेष :

1. वाणिज्यिक प्रचालनों के लिए हाशियाँ राशि (व्यापार रक्तध को अनुदान सहायता) लेखा

क्रं.स.	विवरण	चातू वर्ष (₹)	पूर्व वर्ष (₹)
क.	अथरोष	188884667.00	173466774.00
ख.	निधि लेखा को जोड़		
क)	निवेशों से आय		
(मीआदी जमा & बर्बं खाता पर व्याज)			
अ)	प्राप्त अनुदान	15390742.00	15417893.00
ग)	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00
	घटाये :	0.00	0.00
क)	निकासी	0.00	0.00
ख)	अन्य भुगतान	0.00	0.00
	कुल (क + ख)	204275409.00	188884667.00
ग.	निधि उद्देश्य के लिए उपयोगी / व्यय		
i)	पूँजी व्यय	0.00	0.00
ii)	राजस्व व्यय	0.00	0.00
	कुल (ग)	0.00	0.00
	वर्षान्त में शेष राशि (क + ख - ग)	204275409.00	188884667.00

2. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि लेखा

क्रं.स.	विवरण	चातू वर्ष (₹)	पूर्व वर्ष (₹)
क.	अथरोष	239865583.45	214276490.45
ख.	निधि लेखा को जोड़		
क)	निवेशों से आय		
(मीआदी जमा & बर्बं खाता पर व्याज)			
अ)	साभनि आयग की वसूली	18382852.00	18986089.00
ग)	अंशदान	66738570.00	65962040.00
घटाये :		375151.00	707209.00
क)	निकासी	-82065309.00	-59841545.00
ख)	भुगतानित अग्रिम	0.00	-224700.00
	कुल (क + ख)	243296847.45	239865583.45
ग.	निधि उद्देश्य के लिए उपयोगी / व्यय		
i)	पूँजी व्यय	0.00	0.00
ii)	राजस्व व्यय	0.00	0.00
	कुल (ग)	0.00	0.00
	वर्षान्त में शेष राशि (क + ख - ग)	243296847.45	239865583.45

3. तमस्कारू बोर्ड कर्मचारी पेशन निधि लेखा

क्रं.स.	विवरण	चालू वर्ष (₹)	पूर्व वर्ष (₹)
क.	अथरोष	1003605024.17	873525633.17
ख.	निधि लेखा को जोड़		
क)	निवेशों से आय		
(मीआदी जमा & वर्षे खाता पर व्याज)			
ख)	पेशन निधि अंशदान	86918009.30	74821607.00
घटाये :		400000000.00	180500000.00
क)	भा जी नि द्वारा क्रयित पेशन वार्षिकी	-181787932.30	-125242216.00
ख)	अन्य भुगतान	0.00	0.00
कुल (क + ख)		1308735101.17	1003605024.17
ग.	निधि उद्देश्य के लिए उपयोगी / व्यय		
i)	पूँजी व्यय	0.00	0.00
ii)	राजस्व व्यय	100.00	0.00
कुल (ग)		100.00	0.00
वर्षान्त में शेष राशि (क + ख - ग)		1308735001.17	1003605024.17

4. तमस्कारू बोर्ड कर्मचारी तथा पेशन योजना लेखा

क्रं.स.	विवरण	चालू वर्ष (₹)	पूर्व वर्ष (₹)
क.	अथरोष	25282645.00	17610236.00
ख.	निधि लेखा को जोड़		
क)	निवेशों से आय	1841323.00	1821053.00
(मीआदी जमा & वर्षे खाता पर व्याज)			
ख)	पेशन विधि अंशदान		
घटाये :			
क)	एन एस डी एल, मुंबई को प्रेषित पेशन अंशदान (पेशन अंशदान)	-27268170.00	0.00
ख)	अन्य भुगतान (बैंक प्रभार)	0.00	0.00
कुल (क + ख)		7007474.00	25282645.00
ग.	निधि उद्देश्य के लिए उपयोगी / व्यय		
i)	पूँजी व्यय	0.00	0.00
ii)	राजस्व व्यय	0.00	0.00
कुल (ग)		0.00	0.00
वर्षान्त में शेष राशि (क + ख - ग)		7007474.00	25282645.00

तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि योजना लेखा

(राशि ₹ में)

क्र. सं	विवरण	चालू वर्ष			पूर्व वर्ष		
		आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटका	कुल	आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटका	कुल
क.	अथ शेष	275212348.51	225603399.29	500815747.80	239454893.37	194075627.76	433530521.13
ख.	निधि लेखा को जोड़						
क)	निवेशों से आय (भीआदी जमा & बैंक खाता पर व्याज)	21352710.00	16615176.00	37967886.00	21543557.00	16986468.00	38530025.00
ख)	ग्रोयर अंशदान	1699000.00	1376200.00	3075200.00	1967000.00	1455500.00	3422500.00
ग)	तम्बाकू बोर्ड अंशदान	3396000.00	2752400.00	6148400.00	8511376.14	3129727.76	11641103.90
घ)	सदस्यता शुल्क नवीकरण	20485654.00	21522104.46	42007758.46	22654808.00	34045171.09	56699979.09
ङ)	स्थिरपिंगों का ग्रोयर शेयर	2173829.95	1778242.45	3952072.40	0.00	0.00	0.00
च)	जुर्मानाओं	65800.00	47716.00	113516.00	23800.00	10800.00	34600.00
छ)	ऋणों पर व्याज	7401.00	1000.00	8401.00	36614.00	0.00	36614.00
ज)	विविध भुगतान	0.00	110.92	110.92	10300.00	0.00	10300.00
	घटाये :						
क)	ग्रोयरों को मृत्यु राहत	-18335000.00	-24915000.00	-43250000.00	-18990000.00	-24099895.32	-43089895.32
ख)	अन्य भुगतान	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (क + ख)	306057743.46	244781349.12	550839092.58	275212348.51	225603399.29	500815747.80
ग.	निधि उद्देश्य के लिए उपयोगी / व्यय						
i)	पूँजी व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ii)	राजस्व व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (ग)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्षान्त में शेष राशि (क + ख - ग)	306057743.46	244781349.12	550839092.58	275212348.51	225603399.29	500815747.80

तम्बाकू बोर्ड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार
तम्बाकू निधि लेखा - वित्तीय विवरणियाँ

दि. 31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

(राशि ₹ में)

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
I. अथशेष : बैंक शेष			I. स्थापना खर्च		
1. चालू खाताएँ	459065584.63	314004806.28	1. वेतन और मजदूरी	419709893.64	405618530.00
2. जमा खाताएँ	5126905032.39	4673781975.08	2. भते और बोनस	1334555.00	3636822.00
3. बचत खाताएँ	0.00	0.00	3. भविष्य निधि को अंशदान	0.00	0.00
II. प्राप्त अनुदान	0.00	0.00	4. पेंशन निधि को अंशदान	400000000.00	180500000.00
III. की गई निवेश व जमाएँ			5. पेंशन निधि को 3ंशदान (न पें यो)	3631459.00	2925678.00
(i) नियत / धर्मस्व निधियाँ			6. कर्मचारी कल्याण व्यय	0.00	0.00
क) वा.प्रचालनों के लिए मार्जिन धन (ट्रेडिंग विंग के लिए अनुदान)	194073352.00	180554956.00	7. सेवानिवृत्ति और टर्मिनल लाभ	82131950.00	50030709.00
ख) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि	313656864.45	290594960.45	8. अन्य :		
ग) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन फंड	1490523033.47	1128847240.17	a) छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	440619.00	970865.00
घ) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन योजना	34023370.00	24192362.00	b) चिकित्सा दावे (अधिकारी गण व स्टाफ)	8779938.00	7981288.00
ङ) तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि योजना	562580513.12	519290364.96	c) छुरिया दावे	1385335.00	786046.00
ii) निजी निधियाँ (निवेश)	0.00	0.00	d) स्टाफ को वर्दी	128786.00	168213.00
IV. निवेश पर आय			II. अन्य प्रशासनिक खर्च		
1. नियत / धर्मस्व निधियाँ	0.00	0.00	1. स्टाफ के लिए समयोपरि भत्ता	38553.00	80142.00
2. निजी निधियाँ			2. अधिकारी और स्टाफ के लिए यात्रा भत्ता	7498816.00	8631618.00
क) मीआदी जमाओं पर व्याज	358319582.10	448098852.05	3. बोर्ड सदस्य के लिए यात्रा भत्ता	192105.00	339507.00
			4. प्रशासन भवन/नीले का रखरखाव	2198533.00	5570904.00
			5. भवनों का विराया	12754064.00	16599013.00
			6. मुद्रण व लेखन सामाग्री	1927641.00	7374229.50
			7. विद्युत प्रभार	10412330.81	11335897.00

दि. 31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

(राशि ₹ में)

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
3. किराया			8. डाक और दूरभाष प्रभार	4723885.00	6001125.39
a) परिसरों के पट्टों पर किराये	1986035.00	2109170.00	9. बैठकों पर व्यय	1927485.00	918333.00
V. ब्याज प्राप्त			10. फुटकार व्यय	9818070.88	14545324.60
1. बैंक जमाओं से	0.00	0.00	11. मनोरंजन प्रभार	658468.00	863714.00
2. ऋण और अग्रिम (पदाधिकारी)	1248468.00	1817583.00	12. पत्रिकाओं के लिए चंदा	295650.00	275022.00
VI. अन्य आय			13. फर्नीचर और अन्य संपत्तियों के लिए मरम्मत	857717.00	1511981.00
1. ग्रोयर, बखार, नर्सरी	13079955.23	14285685.80	14. वाहन प्रभार	369005.00	529517.00
पंजीकरण शुल्क			15. कार्यशालाएँ और संगोष्ठियाँ	0.00	0.00
2. निर्यात पंजीकरण शुल्क	989300.00	1113062.00	16. दरें और कर	3925538.00	4303908.00
3. उत्पाद पंजीकरण शुल्क	1494200.00	1597200.00	17. बैंक प्रभार	10358.00	11707.00
4. डीलर पंजीकरण शुल्क	1564658.00	1570544.00	18. कानूनी प्रभार	301233.00	552500.00
5. पैकर पंजीकरण शुल्क	51600.00	151000.00	19. वाहन किराया	9064343.00	8769295.00
6. प्रोसेसर पंजीकरण शुल्क	446500.00	196200.00	20. वाहन रखरखाव	2871866.55	3990440.35
7. वाणिज्यिक ग्रोडर पंजीकरण शुल्क	64650.00	125250.00	21. बीमा	941082.00	1486035.00
8. निर्माणकर्ता पंजीकरण शुल्क	1123000.00	1131500.00	22. लेखापरीक्षा शुल्क	0.00	498420.00
9. मूल्यवान प्रकाशनों की बिक्री (टीजीपीवीएस)	374896.62	317290.00	23. साभनि के लिए 1% अंशदान ब्याज	0.00	0.00
10. फुटकर प्राप्तियाँ	40776043.99	53469725.23	24. अन्य संगठनों के साथ सदस्यता	0.00	0.00
11. एफसीवी तम्बाकू पर सेवा प्रभार	532936335.59	602903933.76	25. ऋण वसूली खर्च	0.00	0.00
12. पंजीकृत ग्रोयरों से @ 6.5% जुर्माना	80204485.64	104554402.58	26. ग्रंथालय पुस्तकें	16674.00	11734.00
13. पंजी & अपंणी ग्रोयरों से @ 2/- प्रति किलो जुर्माना	61531253.90	86656599.94	27. कंप्यूटर रखरखाव	1815164.00	1509276.00
14. पंजीकृत & अपंजीकृत ग्रोयरों में @ 14% जुर्माना	340764670.67	215750733.56	28. भार तौल स्केल के लिए सेवा प्रभार	2936579.00	2516808.00
			29. मुटा श्रमिक प्रभार	32374690.98	45841753.91
			30. अस्थाई संरचना निर्माण	0.00	0.00

दि. 31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान				(राशि ₹ में)	
प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
15. क्रेता प्राधिकरण शुल्क	769100.00	775400.00	31. मानव संसाधन विकास	252000.00	123033.00
16. स्टाफ के लिए ऋण & अग्रिम	3944503.00	3344477.00	32. ई - नीलाम प्रणाली का कार्यान्वयन	49449913.35	67130364.47
17. कृषकों को ऋण & अग्रिम	0.00	0.00	33. कार्यालय के खाचालन (एमआईएस) ऑनलाइन	242251.00	674208.00
VII. आधार राशि	0.00	0.00	34. एफ सी वी तम्बाकू के नियंत्रण और विकास	756721.00	515801.00
VIII. कोई अन्य प्राप्तियाँ			35. वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान	1359749.00	454136.00
1. अन्य देयताएँ	65248217.75	300349678.54	36. विपणन सुविधाओं के कार्यव्यन एवं रखरखाव	17685.00	42119.00
2. एसीटीओ व अन्यों के साथ जमाएँ	1650190.00	4078896.50	37. ग्रोयरों के लिए वित्तीय राहत (चक्रवात में फसल/बखार क्षति)	0.00	168454603.50
3. ग्रोयरों को क्षतिपूर्ति (आन्ध्र प्रदेश सरकार हिस्सा)	0.00	56151534.50	38. किसान अध्ययन दौरे : विदेश	0.00	0.00
			39. बाजार सर्वेक्षण	0.00	0.00
			40. निर्यात संवर्धन	0.00	1413853.79
			41. मेले और प्रदशनियाँ	1520020.80	4141113.43
			42. प्रचार और प्रसार	1855414.00	3920848.51
			43. फार्म यांत्रीकरण	2400902.00	823100.00
			44. एफ सी वी तम्बाकू के उपज / गुणवत्ता की अभिवृद्धि	6572645.00	9035675.00
			45. संसाधन अभ्यासों की अभिवृद्धि	12257975.00	670502.00
			46. एन टी आर एम को निकालना और उत्पाद संपूर्णता	7301414.00	7098984.00
			47. पीएचपीएम उपाय - बलिंग शेड / नमूना स्टोरेज सुविधाएँ	105000.00	240000.00
			48. अन्य विस्तार कार्यक्रम	1408671.00	2105930.00
			49. आर्ने - फार्म परीक्षण और प्रयोगिक ट्राइल्स	371615.00	455134.00
			50. नमूना परियोजना क्षेत्र	2205338.00	2730353.50
			51. तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि (बोर्ड का हिस्सा)	0.00	6084000.00



दि. 31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

(राशि ₹ में)

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
			52. सेवा कर व्याज & जुर्मानाएँ III. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के विपरीत किये गये भुगतान III. अनुदान और साक्षिडी पर व्य IV. किये गये निवेश और जमाएँ i) क) नियत / धर्मस्व निधियाँ क) काम के लिए मार्जिन धन। आपरेशन (ट्रेडिंग विंग के लिए अनुदान) ख) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि ग) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन फंड घ) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन योजना ङ) तम्बाकू उत्पादकों कल्याण निधि योजना ii) ख) निजी निधियाँ V. स्थिर संपत्तियों पर व्य और प्रगति में पूँजी कार्य 1. स्थिर संपत्तियों का क्रय 2. को अग्रिम : a) सि. पि. डब्यू. डी b) आर आई टी ई एस VI. अधिशेष रकम / ऋणों की वापसी VII. वित्त प्रभार (व्याज)	0.00	35873.00

दि. 31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान					
				(राशि ₹ में)	
प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
			VIII. अन्य भुगतान : 1) कर्मचारियों के लिए ऋण और अग्रिम 2) कृषकों के लिए ऋण और अग्रिम 3) अन्य देय 4) एसीटीओ और अन्यों के साथ जमाएँ 5) ग्रोयरों को क्षतिपूर्ति (आं.प्र सरकार का हिस्सा) IX. अंत शेष बैंक शेष 1. चालू खाते 2. जमा खाते 3. बचत खाते	2643776.00 0.00 212905494.47 391511.45 0.00	2397824.00 0.00 126296969.14 237063.00 56151534.50
कुल	9689395395.55	9031815383.40	कुल	9689395395.55	9031815383.40

₹/- xx xx xx

(टी. वैकेटेश)

कार्यपालक निदेशक & अध्यक्ष

आकलित निधियों की निधि शेष :

1. वाणिज्यक प्रचालनों के लिए हाशिया राशि (व्यापार रकम्य को अनुदान सहायता) लेखा

क्रं.स.	विवरण	चालू वर्ष (₹)	पूर्व वर्ष (₹)
क.	अथरोष क) बैंक में नकद (चालू आता) (एस बि हेच गुण्डर) घ) निवेश (आवधिक जमा)	5000.00 180549956.00	5000.00 164994244.00
ख.	प्राप्तियाँ क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बैंकें खाता पर व्याज)	13518396.00 0.00 0.00	15555712.00 0.00 0.00
ग.	भुगतान क) निकासी घ) अन्न शेष	194073352.00 0.00 0.00	180554956.00 0.00 0.00
घ.	क) निवेश (मीआदी जमा) घ) बैंक में नकद (चालू आता) (एस बि हेच गुण्डर)	194068352.00 5000.00 5000.00	180549956.00 5000.00
	कुल भुगतान (ग + घ)	194073352.00	180554956.00

2. तत्काल बोर्ड कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि लेखा


क्रं.स.	विवरण	चालू वर्ष (₹)	पूर्व वर्ष (₹)
क.	अथरोष क) बैंक में नकद (चालू आता) (एस बि हेच गुण्डर) घ) निवेश (आवधिक जमा)	35609.45 230493106.00	1256.45 204904001.00
ख.	प्राप्तियाँ क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बैंकें खाता पर व्याज) घ) अंशदान ग) सा भवित्व अग्रिम की वसूली	16014428.00 66738570.00 375151.00	19020454.00 65962040.00 707209.00
ग.	कुल प्राप्तियाँ(क + ख) भुगतान क) निकासी घ) भुगतानित अग्रिम	313656864.45 82065309.00 0.00	290594960.45 59841545.00 224700.00
घ.	अन्न शेष क) निवेश (आवधिक जमा) घ) बैंक में नकद (चालू आता) (एस बि हेच गुण्डर)	230920705.00 670850.45	230493106.00 35609.45
	कुल भुगतान (ग + घ)	313656864.45	290594960.45

3. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेशन निधि लेखा

क्रं.स.	विवरण	चालू वर्ष (₹)	पूर्व वर्ष (₹)
क.	अथरोष		
	क) वैक में नकद (चालू आता) (एस बि हेच गुण्डू) ख) निवेश (मीआदी जमा)	51480.17	64019.17
ख.	प्राप्तियाँ		
	क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & वैक आता पर व्याज) ख) पेशन निधि अंशदान	1003553544.00	873456911.00
ग.	कुल प्राप्तियाँ(क + ख)		
	भुगतान		
	क) भा जी नि द्वारा क्रयित पेशन वार्षिकी ख) वैक प्रभार	86918009.30	74826310.00
घ.	अन्त शेष		
	क) निवेश (मीआदी जमा) ख) वैक में नकद (चालू आता) (एस बि हेच गुण्डू)	400000000.00	180500000.00
	कुल भुगतान (ग + घ)	1490523033.47	1128847240.17
	181787932.30	125242216.00	
	100.00	0.00	
	1308547888.00	1003553544.00	
	187113.17	51480.17	
	1490523033.47	1128847240.17	

4. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी निधि पेशन योजना लेखा

क्रं.स.	विवरण	चालू वर्ष (₹)	पूर्व वर्ष (₹)
क.	अथरोष		
	क) वैक में नकद (चालू आता) (एस बि हेच गुण्डू) ख) निवेश (मीआदी जमा)	616.00	916.00
ख.	प्राप्तियाँ		
	क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & वैक आता पर व्याज)	24191746.00	16775041.00
	ख) पेशन निधि अंशदान	2679332.00	1565049.00
	कुल प्राप्तियाँ(क + ख)	34023370.00	24192362.00
ग.	भुगतान		
	राशि एनएसइएल मुंबई को प्रेषित (पेशन अंशदान)	27268170.00	0.00
	ख) अन्य भुगतान	0.00	0.00
घ.	अन्त शेष		
	क) निवेश (मीआदी जमा) ख) वैक में नकद (चालू आता) (एस बि हेच गुण्डू)	6439119.00	24191746.00
		316081.00	616.00
	कुल भुगतान (ग + घ)	34023370.00	24192362.00



5. तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि योजना लेखा

(₹)

क्र. सं	विवरण	चालू वर्ष			पूर्व वर्ष		
		आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटका	कुल	आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटका	कुल
क्र.	अथ शेष						
	क) बैंक में नकद (बचत खाता) (एक बि हेच गुण्टूर)	255166.57	11897457.07	12152623.64	872356.57	13810049.47	14682406.04
	ख) निवेश (मीआदी जमा)	261149125.00	199346105.00	460495230.00	230092117.00	168195175.00	398287292.00
	प्राप्तियाँ :						
	क) निवेशों से आय (मीआदी जमा बबैं खाता)	22858844.00	15477255.00	38336099.00	21191172.00	16571025.00	37762197.00
	ख) ग्रोयर अंशदान	1699000.00	1376200.00	3075200.00	1967000.00	1455500.00	3422500.00
	ग) तम्बाकू बोड अंशदान	0.00	0.00	0.00	4882000.00	1202000.00	6084000.00
	घ) सदस्यता शुल्क नवीकरण	20485654.00	21522104.46	42007758.46	22654808.00	34045171.09	56699979.09
	ड) स्वीपिंग का ग्रोयर हिस्सा	2173829.95	1778242.45	3952072.40	0.00	0.00	0.00
	च) जुर्माना	65800.00	47716.00	113516.00	23800.00	10800.00	34600.00
	छ) ऋणों पर व्याज	7401.00	1000.00	8401.00	36614.00	0.00	36614.00
	ज) विविध रसीद	0.00	110.92	110.92	10300.00	0.00	10300.00
	झ) विवाह ऋण	125000.00	999760.14	1124760.14	25000.00	1443693.58	1468693.58
	ज) शिक्षा ऋण	324519.56	195709.00	520228.56	301740.00	214149.77	515889.77
	ट) प्रधान बीमारी ऋण	365116.00	40647.00	405763.00	0.00	80893.48	80893.48
	ठ) बखार डामेज ऋण	353750.00	35000.00	388750.00	205000.00	0.00	205000.00
ग.	कुल रसीद (क + ख)	309863206.08	252717307.04	562580513.12	282261907.57	237028457.39	519290364.96
	भुगतान						
घ.	क) ग्रोयरों को मृत्यु राहत	18335000.00	24915000.00	43250000.00	18990000.00	24099895.32	43089895.32
	ख) विवाह ऋण	1000000.00	1725000.00	1825000.00	150000.00	1325000.00	1475000.00
	ग) शिक्षा ऋण	980500.00	75000.00	1055500.00	525000.00	250000.00	775000.00
	घ) प्रधान बीमारी ऋण	150000.00	100000.00	250000.00	465116.00	100000.00	565116.00
	ड) बखार डामेज ऋण	110000.00	130000.00	240000.00	727500.00	10000.00	737500.00
	अन्त शेष						
	क) 286610642.00	209345610.00	495956252.00	261149125.00	199346105.00	460495230.00	
	ख) बैंक में नकद (बचत खाता) (एसबीहेच, गुण्टूर) (एसबीएम, बेंगलूर)	3577064.08	16426697.04	20003761.12	255166.57	11897457.07	12152623.64
	कुल भुगतान (ग + घ)	309863206.08	252717307.04	562580513.12	282261907.57	237028457.39	519290364.96

2005-06 से 2016-17 तक गैर-योजना और योजना के अंतर्गत निधि गति स्थिति दर्शनेवाला विवरण

(₹)

क्र.स.	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	अथशेष (योजना & गैर-योजना)	9684.89	11040.23	13078.14	14740.62	18868.34	22721.86	25868.35	34406.37	36542.81	41384.66	47696.18	51899.06
2	प्राप्तियाँ												
	क) गैर-योजना	4306.93	5498.84	6621.68	8843.57	11900.92	11689.90	15650.73	11541.65	15083.54	16581.13	15387.68	14399.60
	ख) योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	सहायता अनुदान												
	क) गैर-योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख) योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	जोड़े : फुटकर प्राप्तियाँ (पूर्व अवधि के अतिरिक्त सेवा प्रभारों का समायोजन)	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	कुल (आई इ बी आर) (1 से 4)	13991.82	17117.07	19699.82	23584.19	30769.26	34411.76	41519.08	45948.02	51626.35	57965.79	63083.86	66298.66
6	व्यय												
	क) गैर-योजना	2297.76	3005.25	4379.67	3690.17	1703.68	1148.77	1565.04	2054.13	2061.98	1728.82	634.50	748.37
	ख) योजना	653.83	1033.68	579.53	1025.68	6343.72	7394.64	5547.67	7351.08	8179.71	8540.79	10550.30	10849.08
	कुल व्यय (6)	2951.59	4038.93	4959.20	4715.85	8047.40	8543.41	7112.71	9405.21	10241.69	10269.61	11184.80	11597.45
7	अन्तशेष (5-6)	11040.23	13078.14	14740.62	18868.34	22721.86	25868.35	34406.37	36542.81	41384.66	47696.18	51899.06	54701.21



संकेताक्षर

आ.प्र.

एमीएफ/ए.पी.एफ

ओ.म्.

बीएटी

बीजी

सीएसीपी

सीबीएस

सीएमओ

सीपीडब्ल्यूडी

सीपीए-एस

सीटीआरआई

इरलएस

इू

एफसीवी

जीआई

जीआरएल

जीएसपी

जीएलटीडी

आईपीएन

आईससओ

आईटीए

आईटीसी

आईटीडीए

केके

एलएसआई

एम.केजीएस/एम.केजीएस

एमडीपी

एमकेटीडी.

एमपीए

एमजीपी

एनपीवी

एनटीआरएम

एनएलएस

एनपीवी

ओएएस

ओएएसपी

ओएएससी

आरएटीडीएस

एसबीएस

एसएलएस

एसटीएल

सीबीएस

सीओएलएसी

टीक्यूसी

यूएड

यूके

यूएस

आंध्र प्रदेश

नीलाम ज्ञोटफार्म

ओसत मूल्य

बिटिश अमेरिकन टोबैको

बैक गारंटी

कृषि लागत और मूल्य आयोग

केन्द्रीय काली जिट्टी

आम बाजार संगठन

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग

फसल सुरक्षा एजेंटों

केंद्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान

पर्सी हल्की जिट्टी

योग्याय संघ

पट्टा कूरिड वज़ीनिया

गाल्वनीजिड आईरन

सामन्यीकृत प्रायमिक प्रणाली

हैट्टर

आरतीय पता तम्बाकू डिवीजन

एकीकृत कीट प्रबंधन

अंतराष्ट्रीय प्रमाणन संगठन

भारतीय तम्बाकू संघ

भारतीय तम्बाकू कंपनी

भारतीय तम्बाकू डीलर संघ

कर्नाटका

स्थाची निर्देश के पत्र

मिलियन किलोग्राम

न्यूनतम नियांत मूल्य

निपिण्ठ

मोडल परियोजना क्षेत्र

न्यूनतम समर्थन मूल्य

उत्तरी काली जिट्टी

राष्ट्रीय पात्पर स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान

उत्तरी हल्की जिट्टी

न्यूकिल्यर पालिहेज्मिस वैरस

जैर तंबाकू से संबंधित सामग्री

आन फर्म परीक्षण

राजभाषा कार्यालयन समिति

फार्म हार्वर्स्ट उत्पाद प्रबंधन

परिमाण

पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र

रेल इंडिया ट्रेकिलल एंड और आर्थिक सेवाओं

दीक्षिणी काली जिट्टी

दीक्षिणी हल्की जिट्टी

निट्टी परीक्षण प्रयोगशाला

पारपरिक काली जिट्टी

नगर राजभाषा कार्यालयन समिति

तम्बाकू गुणवत्ता मंडल

संयुक्त अरब अमीरात

यूनाइटेड किंगडम

अमेरिका

Indian Tobaccos

Naturally
PRODUCED

Invariably
PREFERRED



Presenting premium tobacco preferred world over by discerning Customers. Wide range of varieties of Flue Cured Virginia of neutral filler, flavourful and semi flavourful varieties, Burley, HDBRG, Dark Air / Sun Cured, Oriental, Dark Fire Cured, Rustica and Chewing Tobaccos and more.

State-of-the-Art processing plants meeting International Standards to ensure best quality of end product, making it the most favoured choice of international customers.



TOBACCO BOARD INDIA
(Ministry of Commerce & Industry)
Department of Commerce, Government of India
An ISO 9001:2008 Certified Organisation

Indian Tobacco the true blend of flavour and Taste.



तम्बाकू बोर्ड

भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग,

पो.बॉ.सं. 322, जी.टी. रोड,

गुन्दूर - 522 004., आन्ध्र प्रदेश, भारत

फोन : 91 863 2358399, फैक्स : 91 863 2354232

ई-मेइल : info@indiantobacco.com, वेबसाईट : www.indiantobacco.com